

खण्ड-9, अंक-6
गुरुवार, 29 ज्यैष्ठ, शक संवत् 1925
(19 जून, 2003 ई०)

उत्तरांचल विधान सभा

की

420

कार्यवाही

— 0 —

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2003)



(खण्ड 9 में 9 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :

उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)

2003

मूल्य :

विषय सूची

विषय

पृष्ठ संख्या

संप्रस्थिति	...	...
नारी निकेतन की संवासिनी की घटना पर मंत्री द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में विपक्ष द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत सूचना उठाये जाने का प्रयास	...	1-4
प्रश्नोत्तर	...	5-30
विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	...	30
पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मंगोलीहाट तथा बेरीनाग में जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूलों का इंटरमीडिएट स्तर तक उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	31
रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ तथा अगस्त्यमुनि में ट्रांसफार्मरों के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	31-32
जनपद रुद्रप्रयाग में जलामग्न द्वारा निर्मित पशु प्रजनन केन्द्रों का सदुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	32
घनसाली (टिहरी गढ़वाल) पेयजल योजना का निम्न गुणवत्ता का कार्य तथा रख-रखाव के अभाव में पेयजल का संकट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	32
चमोली के दशोली विकास खण्ड के अन्तर्गत पुरमाडी-पलेटी- सरतोली मोटर मार्ग का 4 माह पूर्व निर्माण अधूरा छोड़ दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	32-33
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डाहामंडी जिला पीड़ी गढ़वाल में व्यवस्थाओं की स्थिति गंभीर होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	33
चमोली के विकास खण्ड पोखरी के पाटी के गोदली धलगढ़ गांव में विद्युतीकरण न होने से जनता में आक्रोश होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	33-34
औद्योगिक नीति 2003	...	34
रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत शहीद भगवान सिंह मोटर मार्ग का बासवाड़ा, कण्डारा, भणज चन्द्रनगर, मोहनखाल का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	...	34
चमोली के विकास खण्ड पोखरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तन करने हेतु याचिका (उपस्थापित)	...	34

चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवीखेत को इटर स्तर पर उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	...	34
उत्तरकाशी के रौन्तल में हाई स्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	...	35
उत्तरकाशी के घरासु-दिकोली-सर्जशापट रौन्तल मोटर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	...	35
कार्य मंत्रणा समिति का कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	35
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	...	35-43
वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)	...	43-93
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	93-94
प्रसिद्ध धार्मिक स्थान जोशीमठ में गभीर पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट, सदस्य विधान सभा द्वारा दि० 16 जून, 2003 को दी गई सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत पेयजल मंत्री का वक्तव्य	...	94
नगरपालिका परिषद् पिथौरागढ़ के अन्तर्गत नजूल भूमि के फ्री-होल्ड के आवेदनकर्ताओं द्वारा समस्त घनराशि जमा करने के पश्चात भी फ्री-होल्ड न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रकाश पंत, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	...	95
अल्मोड़ा शहर में टैन्सी स्टैण्ड का निर्माण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कैलाश शर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	...	95-96

उपस्थिति

- 1—श्री अजय भट्ट
- 2—श्री अनिल नौटियाल
- 3—डा० अनुसूया प्रसाद मैथुरी
- 4—श्रीमती अमृता रायत
- 5—श्री अरविन्द पाण्डे
- 6—श्रीमती आशा देवी
- 7—श्रीमती इन्दिरा इदयेश
- 8—श्री उम्मेद सिंह मांजिला
- 9—श्री काशी सिंह ऐरी
- 10—श्री किशोर उपाध्याय
- 11—श्री कैलाश शर्मा
- 12—श्री कौल दास
- 13—श्री गगन सिंह
- 14—श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
- 15—श्री गोपाल सिंह राणा
- 16—श्री गोविन्द लाल
- 17—श्री गोविन्द सिंह कुजवाल
- 18—श्री जोत सिंह गुनसोला
- 19—श्री तसलीम अहमद
- 20—श्री तिलक राज बेहड
- 21—श्री तेजपाल सिंह रावत
- 22—श्री दिनेश अग्रवाल
- 23—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
- 24—श्री नव प्रभात
- 25—श्री नारायण दत्त तिवारी
- 26—श्री नारायण पाल
- 27—श्री नारायण राम आर्य
- 28—श्री नारायण सिंह जंतवाल
- 29—काजी निजामुद्दीन
- 30—श्री प्रकाश पंत
- 31—कुंवर प्रणव सिंह “वैम्पियन”
- 32—डा० प्रताप बिष्ट
- 33—श्री प्रदीप टम्टा
- 34—श्री प्रीतम सिंह
- 35—श्री प्रीतम सिंह पंवार
- 36—श्री प्रेमानन्द महाजन
- 37—श्री फूल सिंह बिष्ट
- 38—श्री बलवीर सिंह नेगी
- 39—श्री विजयपाल सिंह सज्जवाण
- 40—श्री भगत सिंह कोशगारी
- 41—श्री मदन कौशिक
- 42—श्री मन्त्री प्रसाद नैथानी
- 43—श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)
- 44—श्री मातबर सिंह कण्डारी
- 45—श्री माल चन्द्र
- 46—वी० यशवीर सिंह
- 47—श्री रणजीत सिंह रावत
- 48—श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
- 49—श्री रामप्रसाद टम्टा
- 50—श्रीमती विजय बड़थवाल
- 51—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
- 52—श्री शूरवीर सिंह सज्जवाण
- 53—डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल
- 54—गौ० राहजाद
- 55—श्री सुबोध उनियाल
- 56—श्री सुन्दर लाल मन्त्रवाल
- 57—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
- 58—श्री सुरेश चन्द जैन
- 59—श्री हरबंस कपूर
- 60—श्री हरभजन सिंह चीमा
- 61—श्री हरिदास
- 62—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
- 63—श्री हीरा सिंह बिष्ट
- 64—श्री हेमेश खर्कवाल
- 65—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

बृहस्पतिवार, दिनांक 19 जून, 2003 ई०

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में पूर्वान्ह 11.00 बजे
अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

नारी निकेतन की संवासिनी की घटना पर मंत्री द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के
सम्बन्ध में विपक्ष द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत सूचना उठाये जाने का प्रयास

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सीधे-सीधे सत्ता पक्ष के कुछ लोगों पर आरोप
लगाया है, मुख्य सचिव पर आरोप लगाया है।

(घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल एवं बसपा के माननीय सदस्यों
द्वारा अपनी-अपनी बात कहने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 311 के अन्तर्गत श्री प्रकाश पन्त, श्री हरिदास, श्री काशी सिंह ऐरी
तथा अन्य माननीय सदस्यों की एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने दिनांक
18-06-03 को सदन में हुई घटना का उल्लेख करते हुए चर्चा की मांग की है। मैं इस
सम्बन्ध में माननीय नेता सदन से कहना चाहूंगा कि वे अपना पक्ष सदन में रखें।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमान्, जो दुखित प्रकरण सदन के संज्ञान में और मेरे संज्ञान में आया है, उससे
मैं स्वयं दुखित हूँ। माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय सदस्यों ने आपके
निर्णय पर चर्चा की। आपने एक उचित कदम उठाया और एक समिति का निर्माण किया
और कल जब इसकी रिपोर्ट आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई तो माननीय श्री हरक सिंह रावत
ने तुरन्त एक संसदीय प्रणाली का अनुसरण किया और सदन के सम्मुख सार्वजनिक रूप
से अपना त्याग-पत्र दे दिया तथा सी०बी०आई० इनक्वारी की मांग की। उन्होंने दूध का
दूध और पानी का पानी की बात कही। जो विषय आज सामने आया और आपकी
भावनाओं के अनुरूप हमने सी०बी०आई० से जांच कराने का निर्णय ले लिया। (मेजों की
थपथपाहट) सी०बी०आई० को जांच के लिए जो पत्र लिखा जाता है वह एक प्रक्रिया के
अनुसार लिखा जाता है, जिसे लिखा जा रहा है और आज ही सांयकाल सम्मानित
उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी से आग्रह करूंगा। हालांकि सी०बी०आई० के
पास काम की अधिकता रहती है। लेकिन विषय के महत्व को देखते हुए दूध का दूध,
पानी का पानी होना आवश्यक है। सारे पहलुओं की जांच सी०बी०आई० से कराई
जायेगी। कभी-कभी लोगों को सी०बी०आई० से भी शिकायतें हो जाती हैं लेकिन जो
सी०बी०आई० के काम करने का ढंग है वह विश्व की जितनी भी जांच एजेंसियाँ हैं, उनसे
तुलना की जा सकती है, वह निष्पक्ष जांच करती है। जिन पहलुओं पर सम्मानित सदस्यों
और माननीय नेता विरोधी दल ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उन सभी पहलुओं पर
सी०बी०आई० विचार करेगी। इसका मुझे पूरा विश्वास है। जब सी०बी०आई० जांच करती
है तो हम भी स्वतंत्र हैं और उस तक अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। जो घटना घटित

हुई वह बहुत दुखदाई है। सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य के लिए दुख का विषय है। आज ही महामहिम राज्यपाल जी का जन्म दिन भी है। उनके जन्म दिन पर आज मैंने अपनी ओर से सदन के सभी सदस्यों की तरफ से उन्हें बधाई दी है। वे इस समय नैनीताल में हैं। उन्होंने मुझे सूचित किया कि उन्होंने माननीय हरक सिंह रावत जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सी०बी०आई० जांच के लिए बड़े विशुद्ध ढंग से फार्म भरकर जांच हेतु भेजा जाता है वह भेजा जा रहा है। वह पत्र फैंस किया जायेगा तथा कोरियर द्वारा भी भेजा जाएगा। मैं स्वयं माननीय उपप्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह इसे स्वीकार करें।

मान्यवर, इसलिए मैं विनम्र निवेदन करता हूँ नेता विरोधी दल, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता उत्तराखण्ड, माननीय नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा माननीय सभी सदस्यों से, सदन की गरिमा को बनाये रखें। अभी हमारा बजट पास होना है, इसके साथ ही साथ जो प्रश्न हैं, वे बहुत ही लोकमहत्व के हैं। मान्यवर, हर प्रश्न से हमें समस्या का सही बोध होता है। लोक सभा में सभी पार्टियों ने मिलकर यह तय कर दिया है, हम सदन की कार्यवाही को चलायेंगे। यदा कदा व्यवधान होता रहता है, लेकिन आम तौर पर सदन की कार्यवाही चलती है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ उत्तरांचल की नवसृजित विधान सभा में एक ऐसी नजीर डालें, जिसे आने वाले इतिहास में उत्तरांचल का नाम रोशन हो। विरोधी दल ने अपना कार्य किया और शासकीय दल ने भी संसदीय परम्पराएं निभायीं। गलतियां होती रहती हैं, फिर भी इतिहास चलता रहता है। मैं चाहता हूँ सदन की कार्यवाही चलती रहे। मुझे कल औद्योगिक नीति सदन में रखनी थी, जिसके बारे में चर्चा थी उसको भी मुझे पेश करना था इसलिए मैं आग्रह करता हूँ नेता विरोधी दल से तथा साथ ही साथ माननीय सदस्यों से, कृपया सदन की कार्यवाही सुगमतापूर्वक चलाने का कष्ट करें।

श्री काशी सिंह ऐरी—

माननीय अध्यक्ष जी सन्दर्भ कल की घटना का था और माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित सभी दलीय नेताओं ने और सदस्यों ने इस सन्दर्भ में नियम 311 के तहत सूचना दी थी, जिस ओर माननीय नेता सदन ने हमारी शिकायतों का बहुत कुछ समाधान बात रखने से पहले ही कर दिया है। मान्यवर, अब इसमें बहुत कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है फिर भी आपने अवसर दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि कल के घटनाक्रम में दो-तीन बातें दुर्भाग्यपूर्ण रही। एक ऐसा विषय प्रदेश की जनता में पैदा किया गया जो बहुत अच्छा और स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है, इसके बाव आशंकाओं के निराकरण के लिए प्रतिपक्ष के ही मुख्य सदस्यों का एक जांच दल गठित कर दिया गया कि सत्यता की तह तक जाया जाय। कमेटी ने आपके आदेश को शिरोधार्य मानते हुए पूरी रिपोर्ट आपको सौंप दी है, वह भी बहुत अच्छी नहीं, एक दुर्भाग्यपूर्ण है। तीसरा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि उत्तरांचल की विधान सभा में एक माननीय मंत्री जी को त्याग-पत्र देना पड़ा। लेकिन मान्यवर, इससे एक बात स्पष्ट हो गयी जैसे माननीय नेता सदन ने कही हमें नई मान्यताएं स्थापित करनी हैं।

मान्यवर, यह नया राज्य है और नये राज्य में न केवल नई सोच की बातें आनी चाहिए बल्कि नई परम्परा भी स्थापित होनी चाहिए और वह हम सभी को कल देखने को मिला। माननीय सदस्य ने सी०बी०आई० से जांच कराने की मांग की है और इससे हम

भी सहमत हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कल सदन में त्याग-पत्र देकर एक निसाल कायम किया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदार होना ही नहीं चाहिए, ईमानदार दिखना भी चाहिए। मान्यवर, हम किसी के विरोध में आलोचना नहीं करते, जो आवश्यक बात होती है हम उन्हीं पर आलोचना करते हैं। मान्यवर, माननीय नेता सदन ने कहा है कि जो हमने नियम 311 में भावना व्यक्त की है उन सब की जांच करायेगे।

मान्यवर, कल माननीय मंत्री जी ने हमारे उच्च पदस्थ अधिकारियों पर संदेह किया है, यह हम सब के लिए, प्रदेश की जनता के लिए अच्छा संकेत नहीं है, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को जांच करवानी चाहिए, उसके टर्म्स ऑफ रिफरेंस की जांच कराये। मान्यवर, उस पर जरूर दृष्टि डालें ताकि यह दोबारा न हो। मान्यवर, हमारे किसी सदस्य के लिए शासन के अधिकारी षडयंत्र करें यह अच्छी बात नहीं है। मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री हरिदास—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो कमेटी गठित की यह बहुत अच्छी बात है। मान्यवर, कल जो घटना हुई वह नहीं होनी चाहिए थी। मान्यवर, कल माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुझे अधिकारियों द्वारा फंसाया गया है, तो मेरा मानना है कि जो सम्बन्धित अधिकारी हैं उनको उनके पद से हटाकर उनकी जांच कराई जानी चाहिए।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ अभी कहा है वह ठीक है और हम भी मानते हैं कि उनसे अच्छा मुख्यमंत्री फिलहाल हमें नहीं मिल सकता। मान्यवर, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच होगी। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया।

श्री बलबीर सिंह नेगी—

मान्यवर, कल की जो घटना हुई है, विगत दिनों से जो चर्चाएं चल रही हैं, यह एक गम्भीर घटना है और डॉ० हरक सिंह रावत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया और इस प्रकरण के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं के बारे में उन्होंने सदन को अवगत कराया। श्रीमन् उन्होंने मुख्य सचिव और अपनी ही सरकार के कुछ मंत्रियों पर जो आरोप लगाए हैं, वे बहुत ही गम्भीर हैं। इस षडयंत्र में सत्ता और शासन के लोग भी शामिल हैं तो मान्यवर, पूरी सरकार पर ही प्रश्न-चिन्ह लग गया है और श्रीमन् इस प्रकरण से यह भी संकेत मिलता है कि यदि कोई भी मंत्री किसी भी अधिकारी के खिलाफ कुछ कहेगा या जांच करेगा तो वह भी उसका कच्चा बिट्ठा खोलकर रख देगा और उसको सत्ता से बाहर करने का षडयंत्र करेगा, जिससे पूरे सत्ता के गलियारे में भूचाल आयेगा और सत्ता में विराजमान लोगों को, उनके सिंहासन को तहस-नहस कर सकता है। तो मान्यवर, यह एक गम्भीर घटना है जिसमें प्रदेश के मुख्य सचिव को इंगित किया गया है और उसके साथ-साथ सत्ता पक्ष के अपने मित्रों पर षडयंत्र लगाने की बात की गयी है। यहां पर यह तो गम्भीर प्रश्न है और इस सिलसिले में मैं माननीय नेता सदन से आग्रह करूंगा कि वे इस पर भी अपनी दृष्टि डालें, इस पर भी अपनी टिप्पणी करें कि इस सन्दर्भ में सरकार का पक्ष क्या है।

* वक्ता ने माषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)-**

मान्यवर, इस प्रकरण को आगे बढ़ाया जाए, इस पर बात की जाए, इसके लिए वह समय नहीं है। क्योंकि मैंने जैसा कल कहा था कि प्रकरण काफी दुखद है और विशेषकर दुखद इसलिए है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनका चरित्र हनन हुआ है, उनका कोई दोष नहीं है। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सी०बी०आई० बिठा दी है तो इसमें दोष क्या है, किसका है या नहीं है यह तो सी०बी०आई० देखेगा। मान्यवर, हमारा उत्तरांचल आपसी भाईचारे, आपसी सद्भाव और विशेष चीजों के लिए प्रसिद्ध है। माननीय मंत्री जी ने जहां शासन-प्रशासन पर चंगली उठाई तो यह तो मैंने पहले भी कहा है कि कई माननीय मंत्रियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने सत्ता पक्ष के लोगों के बारे में कहा इससे बहुत ही दुःखद स्थिति दिखायी देती है। मान्यवर, नारी निकेतन में किस तरह से मर्ती हो रही है उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है, यह तो एक प्रश्न सामने आ गया, एक अविवाहित नारी के साथ यह बात आयी, ऐसी और न जाने कितनी परिस्थितियाँ आती होंगी।

मान्यवर, इसमें कौन है? क्या सही है? ऐसी स्थितियाँ कितनी आती होंगी। हमारे समाज की जो स्थिति है उसको कैसे ठीक किया जाए? इससे तो प्रशासन पर प्रश्नचिन्ह उठता है। इस संबंध में माननीय नेता सदन ने सी०बी०आई० को जांच सौंपने का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया और एक विधायकों का दल भेजा यह आपने एक अच्छा कदम उठाया। लेकिन आखिर उस लड़की का भविष्य क्या होगा? यही नहीं और भी समाज में बहुत सी ऐसी घटनाएँ हैं, जिसमें लोग पीड़ित हैं। केवल राजनेताओं की ही बातें नहीं हैं और भी बातें हैं उनको कैसे दूर किया जाए। मैं सोचता हूँ कि सरकार को इससे सबक लेना चाहिए। मैं केवल सदन में यह बात नहीं कह रहा हूँ सदन के बाहर भी ऐसा होना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं जैसे सत्ता दल द्वारा किस प्रकार उप प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाए गए। केवल राज्य की ही बातें नहीं हैं हम लोग नेता हैं। मुझे ध्यान है किस प्रकार उनके ऊपर आरोप लगाए गए। आरोप तो हम पर लग सकते हैं आप पर लग सकते हैं सबमें कुछ न कुछ कमियाँ होती हैं। हर बुराई में कोई न कोई भलाई होती है। इस घटना को एक उदाहरण के रूप में हमें लेना चाहिए और एक संकल्प करना चाहिए। हम सब लोगों को यह संकल्प लेना होगा कि ऐसी घटनाएँ नहीं होनी चाहिए जिससे किसी का चरित्र हनन होता है उसमें क्या बात सही है और क्या गलत है यह तो हम नहीं जानते? यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हम लोगों को एक संकल्प लेना होगा उदाहरण के रूप में, जिससे कि उत्तरांचल में एक स्वस्थ परम्परा बनें। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में वायरल फीवर की रोकथाम

****1—श्री मातबर सिंह कण्डारी—**

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत है कि प्रदेश में वर्ष 2002-2003 में वायरल फीवर से कुल कितने लोगों की मृत्यु हुई तथा सबसे अधिक मृत्यु प्रदेश के किरा जनपद में हुई?

सरकार द्वारा वायरल फीवर की रोकथाम के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)—

प्रदेश में वर्ष 2002-2003 में वायरल फीवर से कोई मृत्यु नहीं हुई है।

राज्य सरकार द्वारा प्रभावित जिलों में वायरल फीवर की रोकथाम के लिए प्रभावित जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये हैं तथा निरोधात्मक कार्यवाही हेतु चिकित्सा दल संपचार में लगाये गये हैं। सबसे अधिक प्रभावित जिला टिहरी गढ़वाल के लिए अपर निदेशक, स्वास्थ्य को भेजा गया। टिहरी गढ़वाल में रक्त एवं गले के साव के नमूने जांच हेतु राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली को भेजे गये हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी अपेक्षित है। वस्तुस्थिति से राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली को अवगत कराया जाता रहा है। डा० एम०सी० गुप्ता, निदेशक, इन्स्टीट्यूट ऑफ इपीडिमोलॉजी, चेन्नई तथा डा० अजय खेरा, उप निदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली द्वारा भी जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया गया है। उन्होंने चिकित्सा विभाग द्वारा प्रभावी क्षेत्र में की गई निरोधात्मक कार्यवाही पर सन्तोष व्यक्त किया। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जनपद-टिहरी गढ़वाल में वायरल फीवर से, जैसाकि आपने कहा कि कोई मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन मेरे संज्ञान के अनुसार वायरल फीवर से वहाँ चार लोगों की मृत्यु हुई है। क्या माननीय मंत्री जी इसकी पुनः जांच करेंगे कि यह उत्तर सही है या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि जनपद-टिहरी में वायरल से चार व्यक्तियों की जो मृत्यु हुई है उनके आंकड़े एकत्रित नहीं किए गए या फिर प्रशासन ने प्रयास नहीं किया कि वायरल से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मान्यवर, जो भी उत्तर आए सदन में, वह ठीक-ठीक वह सही आना चाहिए। और जो उत्तर प्रशासन द्वारा मंगाया जाये वह सही होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन-कौन से जिले वायरल से प्रभावित हुए और दूसरा प्रश्न है कि वायरल फीवर होने का क्या कारण है। उत्तरांचल में इस बीमारी से बचने के लिए सरकार क्या-क्या प्रयास कर रही है?

श्री तिलक राज बेहड़—

मान्यवर, मैंने पहले ही अवगत करा दिया है कि वायरल फीवर के कारण कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। जो भी मृत्यु हुई है वे केवल नैचुरल डेथ या दीर्घकालीन बीमारी के कारण हुई है। मान्यवर, वायरल फीवर एक बीमारी है जो गर्मी के कारण होती है। जहाँ-जहाँ भी यह रोग पाया गया हमने उपचार के लिए चिकित्सा दल गठित किये थे। सी०एम०ओ० के नेतृत्व में दल भेजे गये, दिल्ली और चेन्नई से टीमें मंगाई गयीं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वायरल के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई, बल्कि दीर्घकालीन बीमारी के कारण मृत्यु हुई है। तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि किस जनपद के किस ब्लॉक में ये मृत्यु हुई और जिनकी मृत्यु हुई वे कितने वर्ष के थे?

श्री तिलक राज बेहड़—

मान्यवर, इसकी सूची मंगाकर माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूँगे।

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि दीर्घकालीन बीमारी के कारण मृत्यु हुई है। मैं जानना चाहता हूँ कि किस ब्लॉक और किस जनपद में मृत्यु हुई है। मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार जनपद टिहरी के प्रतापनगर ब्लॉक में 4 लोगों की मृत्यु वायरल फीवर के कारण हुई है। हरिद्वार और कुमाऊँ मंडल भी इससे प्रभावित हुआ है और प्रतापनगर में तो 4 लोगों की मृत्यु हुई है। मान्यवर, मैं चाहूँगा की सही सूचना मिले।

श्री तिलक राज बेहड़—

मान्यवर, मैंने कहा कि वायरल फीवर के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। दीर्घकालीन बीमारी और नैचुरल डेथ के कारण मृत्यु हुई है। मान्यवर, जहाँ तक जनपदों के वायरल फीवर से प्रभावित होने का सवाल है तो जनपद टिहरी में 25, उत्तरकाशी में 19, पौड़ी में शून्य और चमोली में शून्य व्यक्ति इस रोग से प्रभावित थे। आज कोई भी रोगी वायरल फीवर से प्रभावित नहीं है।

श्री प्रकाश पंत—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 में वायरल फीवर के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। मेरा पहला प्रश्न है कि इस पूरे प्रदेश में किस वित्तीय वर्ष में कितने रोगी वायरल फीवर से प्रभावित हुए? मेरा दूसरा प्रश्न है—माननीय मंत्री जी ने टिहरी को सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कहा है। चूँकि वायरल फीवर पूरे प्रदेश में और विशेष तौर पर पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों में फैला था तो मैं जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली को कितने नमूने रक्त के और कितने नमूने गले के साव के भेजे गये तथा कब भेजे गये?

तो उसकी जाँच न आ जाये, इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है? एक प्रश्न और था, मान्यवर, संचारी रोग संस्थान उत्तरांचल में स्थापित किया जाना बहुत आवश्यक है। क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्रवाई करेगी तथा जो टीम यहाँ जाँच

के लिए आई थी उस टीम ने केवल टिहरी जनपद में ही दौरा किया या वह टीम उत्तरांचल के किसी और क्षेत्र में भी गई?

श्री तिलक राज बेहड़—

मान्यवर, टीम द्वारा वहां पर 20 सैम्पल लिये गये थे और वह टीम टिहरी जनपद में गई थी क्योंकि इस संबंध में सबसे ज्यादा शिकायतें उसी जनपद की थीं। डा0 गुप्ते और डा0 अजय खैरा द्वारा वहां पर सैम्पल लिये गये थे।

श्री प्रकाश पंत—

मान्यवर, मंत्री जी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि संचारी रोग संस्थान के संबंध में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

श्री तिलक राज बेहड़—

मान्यवर, इस संबंध में हम विचार कर रहे हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि यह रोग कहीं पर ज्यादा होता है कहीं पर कम होता है। मान्यवर, यह जो वायरल फीवर है, यह का संचारी रोग है और यह प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में फैलता है और विशेषकर पर्वतीय घाटियों में इसका प्रकोप ज्यादा होता है और यह हर वर्ष होता भी है तो क्या मंत्री जी इसे हर वर्ष होने वाली घटना मानकर इसकी एहतियात के लिए पहले से ही कोई व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे? ताकि इसकी रोकथाम पहले से ही हो सके। और दूसरा यह है कि जो अभी मंत्री जी ने बताया डा0 गुप्ते और डा0 अजय खैरा की टीम ने टिहरी जनपद का दौरा किया था तो क्या आप ऐसे ही विशेषज्ञों का दौरा सम्पूर्ण उत्तरांचल में करायेंगे ताकि प्रदेश स्तर पर इस बीमारी का पता चल सके?

श्री तिलक राज बेहड़—

मान्यवर, मैंने पहले भी बताया था कि जो घाटियां ज्यादा गर्म होती हैं, समय-समय पर यह बीमारी वहां पर फैलती है। इस संबंध में चिकित्सा विभाग द्वारा समय-समय पर दवाओं का वितरण भी कराया जाता है और सभी अधिकारियों को समय-समय पर यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्र में इन बीमारियों की रोकथाम के लिए सज्ज रहें। दूसरा प्रश्न जो मा0 सदस्य ने पूछा है उसके उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो वहां पर ऐसे विशेषज्ञों की टीम बुलाकर वहां का परीक्षण कराया जायेगा।

उत्तरांचल के वनों में आग से क्षति एवं रोकथाम के उपाय

**2—श्री प्रकाश पंत—

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि 15 फरवरी, 2003 से 30 मई, 2003 तक उत्तरांचल के वन क्षेत्र में फैली आग से कितनी वन सम्पदा तथा वन्य जीव व जन हानि हुई है?

सरकार द्वारा इस आग को रोकने के क्या उपाय किये तथा इसमें कितना व्यय किया गया?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात) —

इंगित अवधि में 608 अग्नि दुर्घटनायें हुई, जिसमें कुल 2,225 है० वन क्षेत्र अग्नि से प्रभावित हुआ, वन क्षेत्र में हुई क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है, वन्य जीव के हानि की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है।

जन हानि के रूप में 30 मई, 2003 तक निम्न घटनायें हुई—

(1) टिहरी वन प्रभाग के अन्तर्गत श्री गैणा राम (वन रक्षक) की आग बुझाने समय दि० 29-5-2003 को मृत्यु हो गई।

(2) दिनांक 30-5-2003 को चमोली जनपद में केदारनाथ वन प्रभाग में लगी आग को बुझाने/नियंत्रित करने में श्री विजय सिंह वन रक्षक तथा श्री पूरण सिंह सरपंच वन पंचायत बैजू चमोली गम्भीर रूप से घायल हुये हैं।

सरकार द्वारा वन क्षेत्रों में लगी आग पर नियंत्रण पाने के लिये निम्न कार्यवाही की गयी :-

(1) आग की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल विभागीय कर्मचारियों एवं फायर वाचर आदि को आग पर नियंत्रण पाने हेतु मौके पर भेजा गया, जिनके द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में काउन्टर फायर कर अग्नि पर नियंत्रण पाया गया तथा मैदानी क्षेत्र में आग को उसी स्थान पर बुझाया गया।

(2) विभाग द्वारा अग्नि काल के लिये लगभग 1600 फायर वाचर कार्य पर लगाये गये।

(3) आकस्मिक अग्नि पर नियंत्रण पाने हेतु विभिन्न स्थानों पर 112 वाच टावर तथा 126 क्रू स्टेशन स्थापित किये गये।

(4) वायरलेस नैटवर्क को सुदृढ़ किया गया जिससे सूचना का आदान प्रदान हो सके तथा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त व्यक्ति अग्नि नियंत्रण हेतु उपलब्ध कराये जा सकें।

(5) वनों से लगे ग्रामों में ग्रामवासियों के साथ अग्नि पर नियंत्रण एवं सहयोग पाने के लिये बैठकों का आयोजन अग्नि काल से पूर्व किया गया।

(6) अग्नि काल से पूर्व अग्नि रेखाओं की सफाई व कन्ट्रोल वर्निश का कार्य किया गया।

आग को रोकने में 15 फरवरी से 30 मई तक रुपये 2,06,64,000 का व्यय किया गया, जिसमें अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित सभी प्रकार के व्यय सम्मिलित हैं।

श्री प्रकाश पंत—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। मेरा अनुरोध है कि मैं सभी प्रश्न एक साथ पूछ रहा हूँ इसलिए माननीय मंत्री जी इनका बिन्दुवार उत्तर दे दें। मेरा पहला प्रश्न है कि प्रभावित क्षेत्र में कितना क्षेत्र संयुक्त वन प्रबन्धन के अन्तर्गत आता है? माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है, तो मान्यवर, वह अनुमान कब तक लगा लिया जाएगा? मेरा दूसरा प्रश्न है कि अग्निकाण्ड में अब तक जितने भी लोग घायल

हुए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिजनों को कितनी धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है? जितने भी वन कर्म या नागरिक अग्निकाण्ड में घायल हुए हैं, उनके लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है और कितनी राहत राशि उनको दी है? मान्यवर, मेरा अगला प्रश्न है कि आग रोकने के लिए जो 2 करोड़ 6 लाख 84 हजार रुपये खर्च किए गये हैं, यह किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि खर्च हुई है? मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि वनों से जुड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों की मदद क्या आग बुझाने में सरकार द्वारा ली गयी है? तथा किस घटना में कितनी सहायता ग्रामीणों से प्राप्त हुई है?

श्री नव प्रभात—

मान्यवर, माननीय सदस्य के पहले प्रश्न के उत्तर में कहना चाहूंगा कि हमारे पास संयुक्त वन प्रबन्धन के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। सिविल सोयम तथा पंचायती वन का कुल 825.33 हेक्टेयर क्षेत्र आग से प्रभावित हुआ है तथा शेष क्षेत्र अनारक्षित है। जहाँ तक हानि के अनुमान का सवाल है, अभी यह कार्य चल रहा है। यह जानकारी लगभग 30 दिन में आपको उपलब्ध करा दूंगा, अभी हमारा पूरा ध्यान वनाग्नि को रोकने पर है। मृतक के परिजनों को मुआवजे से सम्बन्धित प्रश्न के उत्तर में मुझे कहना है कि अभी अल्मोड़ा में हुए अग्निकाण्ड में जिन 4 बच्चों की मृत्यु हो गयी थी, उनके परिजनों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि तथा एक घायल बच्चे के परिजनों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि अवमुक्त कर दी गयी है। अग्निकाण्ड में जो लोग घायल हुए हैं, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की गयी है, अभी उन्हें सहायता राशि प्रदान नहीं की गयी है। जहाँ तक मदवार खर्च की गयी धनराशि का विवरण देने की बात है। मान्यवर, मेरे पास मदवार विवरण उपलब्ध नहीं है लेकिन विभागवार विवरण उपलब्ध है, इसे मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री प्रकाश पंत—

मान्यवर, इसमें ग्रामीणों की मदद के लिए क्या नीति रही है?

श्री नव प्रभात—

मान्यवर, जहाँ तक ग्रामीणों की मदद का सवाल है हमने सरकार की नीति स्पष्ट की थी कि जब तक हम स्थानीय नागरिकों को यह महसूस नहीं करायेंगे कि उनका वनों से सीधा संबंध है, वह नियंत्रण कार्य करते हैं। यह कार्य हम वन पंचायतों के माध्यम से करेंगे। हमारे यहाँ के नागरिक वनों से प्यार करते हैं। प्रत्येक वन पंचायतों के गठन का कार्य हम पूरा कर देना चाहते हैं। इनको हम वन पंचायत की कुछ योजनाओं के तहत अधिकार प्रदान करना चाहते हैं। इस कार्य से लोगों का सीधा जुड़ाव जंगल से पैदा होगा। इसी के साथ हमने इको टूरिज्म की भी एक नीति तैयार की है, जिससे गांव के आदमी का निश्चित रूप से सहयोग वनों से पैदा होगा।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह सबत—

मान्यवर, जो आग पर नियंत्रण पाने हेतु फायर वाचर लगाये जाते हैं, क्या यह पर्याप्त हैं? क्योंकि आग की बार-बार घटनाएँ हो रही हैं। अरबों रुपये की सम्पत्ति हमारी समाप्त हो रही है। दूसरी बात यह है कि इसमें अनेक लोग वीरगति को प्राप्त हुए, आग को बुझाते हुए, इसमें उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी उनकी स्मृति बनी रहे इसके लिए सरकार क्या करेगी?

श्री नव प्रभात—

मान्यवर, जहाँ तक फायर वाचर का सवाल है इन लोगों की नियुक्ति इसलिए की गई है कि अगर अग्निकाण्ड कहीं पर होता है तो उसकी सूचना मिल पाये। हमारे पास 1600 फायर वाचर हैं। मान्यवर, इस कार्य हेतु घनराशि उपलब्ध है। जहाँ तक इस कार्य को करते हुए जो शहीद हो चुके हैं उनके लिए सम्मान के रूप में कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो यह आग लग रही है, यह 10 हजार फीट के ऊपर के जो जंगल हैं उनमें लग रही है।

मान्यवर, जो दस हजार फीट की ऊँचाई पर जंगल है, वहाँ पर बेशकीमती जड़ी-बूटियाँ हैं। मान्यवर, उन जंगलों पर एक दवा थुनेर है जो कैंसर की बीमारी में काम आती है। वहाँ काली गुच्छी है जो बेशकीमती है, इसका दाम बाजार में एक लाख रुपये किलो तक है। इन जंगलों में लगातार पिछले 6-7 साल से आग लग रही है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि ग्वालदम, कौसानी और पाण्डवखोली आदि जो बहुत ही सघन जंगल हैं, उन जंगलों में आग लग रही है। मान्यवर, इन जंगलों में आग कहीं सुनियोजित तरीके से तो नहीं लगाई जा रही है? जिससे वहाँ पर निवास करने वाले कस्तूरी भूग तथा अन्य वन्य जीवों को मारा जा रहा हो और उनकी तस्करी की जा रही हो। इन जंगलों में आग के पीछे कहीं विभाग के लोगों का ही तो हाथ नहीं है? इन जंगलों की सुरक्षा के विशेष प्रयास सरकार को करने चाहिए।

श्री नव प्रभात—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिस ओर ध्यान आकृष्ट किया है उसके महत्व को मैं भी स्वीकार करता हूँ। उसको मैं दिखवा लूंगा।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे गये उनका यथासम्भव जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया है। किन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि वनों में आग लगना एक ऐसी घटना हो गई है, जिसके सम्बन्ध में हम जितनी भी बातें कहें उसका समाधान नहीं होगा। इसके लिए हम सब को प्रयास करने होंगे। आम दिनों में जब हम दौरो में वहाँ जाते हैं तो वनों में लगी आग को देखकर हमारा मन भी दुखी होता है कि यह आग किस कारण से लग रही है। इस आग की रोकथाम नांव के निवासियों द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है। इसके लिए हमें एक नीति बनानी होगी। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि यदि माननीय मंत्री जी सहमत हों तो इस पर नियम 49 अथवा 52 के तहत चर्चा स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री नव प्रभात—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूँ। माननीय सदस्य कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। समय बाद में निर्धारित कर लिया जायेगा।

श्री हरभजन सिंह चीमा—

मान्यवर, जंगलात का महकमा बहुत महत्वपूर्ण महकमा है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा अपने उत्तर में 608 अग्नि दुर्घटनाएँ बताई गई और करीब 1500 एकड़ का जंगल जल गया। मान्यवर, प्राकृतिक वनों में फायर टावर नहीं लगाये गये हैं और न फायर रोड हैं। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि सरकार प्राकृतिक वनों में फायर टावर लगाने की कोई योजना बनाये तथा फायर रोड बनाने की भी कोई योजना बनाये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय चीमा जी मैंने इसके लिए समय निर्धारित कर दिया है आप अपने सुझाव जब इस पर चर्चा चलेगी तो दे सकते हैं। कृपया आसन ग्रहण करें।

इसको मैं चर्चा में सुनूंगा।

तारांकित प्रश्न

उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में रेशम उत्पादन की नीति का स्वरूप

*1—श्रीमती विजय बड़थवाल—

1—क्या ग्रामोद्योग मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में रेशम उत्पादन की अपार सम्भावनाएँ हैं?

2—यदि हाँ, तो क्या पर्वतीय क्षेत्र में रेशम उद्योग से ग्रामीणों की भागीदारी के लिए सरकार ने कोई नीति बनाई है?

3—यदि हाँ, तो इसका स्वरूप क्या है?

4—यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान मंत्री (श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल)—

जी हाँ।

उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में रेशम विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा 21 विकास खण्डों में 31 चौकी उद्यान एवं प्रसार केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

उत्तरांचल सरकार द्वारा पर्वतीय घाटी क्षेत्रों में शहतूती रेशम तथा ऊँचाई वाले पर्वतीय भागों में गैर शहतूती ओक टसर रेशम उत्पादन कार्य को संचालित करने की रणनीति बनाई गई है इस क्रम में जनपद रुद्रप्रयाग एवं चमोली में ओक टसर कीटपालन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है जिसको अन्य पर्वतीय जनपदों में भी विस्तारित किया जा रहा है।

इस परियोजना के अन्तर्गत ओक टसर रेशम कीटपालन कार्य से लेकर रीलिंग, स्पिनिंग, बीविंग तथा विपणन आदि कार्य ग्रामीण कृषकों/उद्यमियों की सहभागिता से संचालित किये जा रहे हैं।

प्रदेश में आगामी वर्षों में शहतूती एवं गैर शहतूती रेशम विकास की दशा में स्वरूप निर्धारित करने हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार के विशेषज्ञों तथा रेशम निदेशालय उत्तरांचल के शीर्ष अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई है जो उपलब्ध

संसाधनों एवं सम्भावनाओं का दोहन करने हेतु आगामी 10 वर्षों के लिए कार्ययोजना का ब्लू प्रिन्ट/पर्सपेक्टिव प्लान की संरचना करेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती विजय बड़थवाल—

मान्यवर, मैं आपको माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि जैसे खुद माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है रेशम उत्पादन की पर्वतीय क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। इसकी संभावना को देखते हुए विभाग द्वारा 21 विकास खण्डों में 31 चौकी उद्यान एवं प्रसार केन्द्र स्थापित किये गये हैं। मैं जानना चाहती हूँ ये चौकियां किन-किन विकास खण्डों में खोली गयी है? क्या सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों एवं सिंचाई वाले क्षेत्रों में इस कार्य को संचालित करने के लिए कोई रणनीति बनायी गयी है? रुद्रप्रयाग तथा चमोली जनपदों में ओक टसर का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, इनमें कितने स्थानों पर ये खोले गये हैं तथा कितने हे० क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ हो गया है। तथा अन्य पर्वतीय जनपदों में इसके विस्तार के लिए क्या किया जा रहा है?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल—

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय सदस्या ने किया है। रेशम एक ऐसा उत्पादन है जिसके द्वारा लोगों को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं, इसे देखते हुए सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र में इसको प्रारम्भ कर दिया है। जिसके तहत 21 चौकी उद्यान विभाग के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। रेशम को बढ़ाने की दृष्टि से ओक टसर का कार्य जनपद रुद्रप्रयाग तथा चमोली में प्रारम्भ कर दिया गया है। यह कार्य केन्द्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार के विशेषज्ञों तथा रेशम निदेशालय के सहयोग से चलाया जा रहा है, इसमें 4.63 लाभार्थियों का अश्वदान भी सम्मिलित है इस योजना के तहत वर्तमान वर्ष में 258 कीटपालक लाभान्वित किये गये हैं। इससे मान्यवर, हमें 5825 किलो ग्राम खोया प्राप्त हुआ है तथा 711 कीटपालकों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

मान्यवर, 1692 मीटर कपड़े का उत्पादन किया गया है और उसका विपणन कार्य किया गया है। मान्यवर, इस दृष्टि से दूसरे जनपदों में भी इस काम को बढ़ाने की सम्भावना खोजी जा रही है, उसके अनुसार नैनीताल में एक सेंटर स्थापित किया है।

श्रीमती विजय बड़थवाल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा जो उत्तर दिया गया है वह गलत है। मान्यवर, मैंने पूछा था कि चमोली और रुद्रप्रयाग में किन-किन स्थानों पर कीट पालन का काम किया जा रहा है और कितना उत्पादन हुआ है? और अन्य पर्वतीय जनपदों में कौन-कौन से स्थानों को चिन्हित किया गया है? माननीय मंत्री जी इसका विस्तार से जवाब दें।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल—

मान्यवर, रुद्रप्रयाग और चमोली विकास खण्डों में यह कार्य प्रारम्भ किया गया है।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, कौन सा स्थान है, कौन सा ब्लॉक है?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल—

मान्यवर, यह दसौली विकास खण्ड में है।

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, अगर जानकारी नहीं है तो इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

सम्बन्धित विभाग के अधिकारी को यहां पर उपस्थित रहना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल—

मान्यवर, उखीमठ और पिथौरागढ़ में यह कार्य प्रारम्भ किया गया है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि रुद्रप्रयाग और चमोली में है और फिर कह रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में है। मान्यवर, कृपया माननीय मंत्री जी स्पष्ट उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूँ।

*2—श्रीमती आशा चौटियाल—

चतुर्थ गुरुवार तक के लिए स्थगित।

राज्य में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

*3—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य के अधीन 11040 कालेजों/हाई स्कूलों में अध्यापकों के कुल कितने पद रिक्त हैं?

क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह नण्डारी)—

11040 कालेजों/हाई स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों के विवरण निम्नवत् है :-

(1) प्रवक्ता (पुरुष शाखा)	2002
प्रवक्ता (महिला शाखा)	218
योग	<u>2220</u>

(2) सहायक अध्यापक

(एल०टी०) (पुरुष शाखा) 1916

सहायक अध्यापक

(एल०टी०) (महिला शाखा) 302

योग 2218

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकार ने यह वायदा किया था कि हम 24 घण्टे में विकल्पधारियों को कार्यमुक्त कर देंगे और अभी आप कह रहे हैं कि राज्य परामर्शीय समिति का निर्णय प्रतीक्षित है अर्थात् आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा एक प्रश्न तो यह है कि यह प्रतीक्षा 5 वर्ष, 1 वर्ष कब तक चलती रहेगी? क्या माननीय मंत्री जी समय बतायेंगे और दूसरा यह है कि क्या आप यह बतायेंगे कि भारत सरकार द्वारा गठित राज्य परामर्शीय समिति का पूर्वानुमोदन आवश्यक है? तो क्या यह अनुमोदन हो चुका है या नहीं? भारत सरकार की इस समिति का गठन करवा दिया गया है या नहीं और यह समिति कब तक निर्णय लेगी और आप विकल्पधारियों को कब तक कार्यमुक्त कर देंगे?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

मान्यवर, पुनर्गठन आयुक्त के पत्रांक 527, दिनांक 5-5-2001 के अनुसार विकल्पधारियों को कार्यमुक्त करने हेतु राज्य परामर्शीय समिति का पूर्वानुमोदन आवश्यक है। इस हेतु राज्य परामर्शीय समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रेषित किए जाने हेतु परिपत्र भी निर्धारित हैं। मान्यवर, इसमें एक अनोखी बात यह भी है कि उत्तरांचल विद्यालयीय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् रामनगर नैनीताल के मैदानी संवर्ग के 95 कर्मचारियों को शासन के आदेश संख्या-442/माध्यमिक/2002, दिनांक 29-04-2002 द्वारा उत्तर प्रदेश हेतु कार्यमुक्त किया गया था, उनको कार्यमुक्त किया गया है, वापस नहीं किया गया है। इसके अलावा मान्यवर, शिक्षा विभाग के 75 अधिकारी, कर्मचारी जो पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश में गठित पर्वतीय संवर्ग के समय मैदानी संवर्ग के हैं, उनका विकल्प भी उत्तर प्रदेश के लिए पत्रा हुआ है। ऐसे विकल्पधारियों को उत्तर प्रदेश हेतु कार्यमुक्त किए जाने के लिए प्रस्ताव निर्धारित परिपत्र पर तैयार करके शासन के आदेश संख्या 184/माध्यमिक/2003, दिनांक 16-04-2003 द्वारा पुनर्गठन आयुक्त उत्तरांचल के माध्यम से राज्य परामर्शीय समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, यह प्रस्ताव जैसे ही स्वीकृत हो जायेगा उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, कब तक कार्यमुक्त कर देंगे? आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग हैं जो यहां आने की बात कह रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

मान्यवर, मैंने उत्तर प्रदेश से आने की बात ही नहीं की।

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि उत्तरांचल में कितने विकल्पधारी उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं, इसके बारे में क्या निर्णय ले रहे हैं? और जो परामर्शीय समिति का गठन कर दिया गया है? इसमें कौन-कौन से लोग शामिल हैं और विकल्पधारियों को कब तक कार्यमुक्त कर देंगे?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि पुनर्गठन आयुक्त उत्तरांचल के माध्यम से राज्य परामर्शीय समिति को प्रस्ताव भेजा गया है, जैसे ही प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे, उन्हें कार्यमुक्त किया जायेगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि इस समिति का गठन जो आपने किया राज्य परामर्शीय समिति के इसमें कितने सदस्य हैं? कौन-कौन से लोग हैं और कहाँ पर कार्य कर रहे हैं?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

मान्यवर, यह जो राज्य परामर्शीय समिति है, यह भारत सरकार द्वारा बनायी गयी है और जो पुनर्गठन आयुक्त हैं, वे प्रस्ताव भेजते हैं। यह समिति जब प्रस्ताव भेजेगी तो ही कुछ होगा।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन् प्रश्नकर्ता जोकि माननीय सदस्य हैं उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। क्योंकि माननीय प्रश्नकर्ता स्वयं सरकार में रहे हैं एक वरिष्ठ मंत्री के रूप में। उनको पूरा ज्ञान है। उत्तरांचल गठन होने के बाद जो उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के बीच विभिन्न परिसम्पत्तियाँ तथा प्रशासकीय विभागों के संबंध में वितरण की प्रणाली बनी सौभाग्य से उसमें माननीय सदस्य मंत्रिमण्डल के सदस्य भी थे जिसमें यह विकल्प व परिकल्प का प्रश्न तय हुआ। पहले भी यही व्यवस्था थी राज्य स्तर की समिति होगी जिसमें मुख्य सचिव दोनों राज्यों के मुख्य अधिष्ठाता होंगे और जो मुख्य व्यवस्थापक होगा वह उसकी मानिटोरिंग करेगा। किस विभाग के कितने अधिकारी यहाँ से वहाँ जाने हैं और कितने वहाँ से यहाँ आने हैं इसकी मानिटोरिंग मुख्य व्यवस्थापक करेगा। यह पद्धति पहले से ही मिली है विरासत में। यह पद्धति ठीक है। यह राजनेताओं के नेतृत्व का दायित्व है कि वह कैसे और कितनी जल्दी इसको तय कर लें। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा कि मैं कहना चाहूँगा कि पितृ राज्य है। मैं उसके संबंध में ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे कि उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचे और यह राज्य हित में भी नहीं है। कुछ कारणों से इसमें अनावश्यक देर हो रही है। यह सारी बातें सदन की जानकारी में हैं। मैंने अपने बजट भाषण में इसका उल्लेख किया है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। इसमें कई विभागों में देरी हुई है। हमने भरसक प्रयास किया है कि इसमें शीघ्रता हो।

इसमें हमसे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं हमारे स्तर से या आपके स्तर से जब आप सरकार में थे। लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जब हमारे प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में एक राय न हो, मतभेदता न हो तो इस पर एक केन्द्र सरकार की समिति है जिसका उल्लेख माननीय शिक्षा मंत्री जी ने किया अपने संदर्भित उत्तर में। उसके पास यह प्रस्ताव भेजा जाता है कि आप हमारे मामले को हल करिये क्योंकि हम इसको तय नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिसको पिछली सरकार ने तय किया जैसे विद्युत वाला मामला है। कुछ समस्याएँ अभी तय नहीं हो पायी हैं। हम भारत सरकार के आभारी हैं कि वह इस संबंध में संवेदनशील है। जैसे परिवहन का मामला चल रहा है। हम चाहते हैं कि इसमें शीघ्रता हो। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हजारों लोगों का सवाल है। हमने यहां से कुछ अध्यापकों को वहां भेजा तो वहां उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है उनके लिए परेशानी हो रही है। अगर हम अपने राज्य से 4000 अध्यापकों को वहां भेजें तो वहां जगह होनी चाहिए जहां वे अपनी प्वानिंग दे सकते हों और जब वहां पर पोस्ट ही नहीं होगी तो वे लोग कहाँ जायेंगे।

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि इसकी नम्मीरता को समझना चाहिए। इसे ऐसा प्रश्न नहीं बनाना चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के बीच खाई बंदे। यह न हमारे हित में होगा, न उत्तर प्रदेश के हित में होगा। विकल्पधारियों की सबसे अधिक संख्या शिक्षा के क्षेत्र में है। इस दिशा में कुछ न कुछ हल निकलेगा। भारत सरकार दोनों पक्षों को बुलाकर उचित हल निकालेगी और चूंकि उत्तरांचल नया राज्य बना है तो वह हमारे प्रति न्याय करेगी। इसका मुझे विश्वास है।

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो राज्य परामर्शीय समिति है, इसका चेयरमैन कौन है? दूसरा प्रश्न—आपने अपने उत्तर में लिखा है पुनर्गठन विभाग के प्रचलित आदेशों के अनुसार विकल्पधारी अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त किये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित राज्य परामर्शीय समिति का पूर्वानुमोदन आवश्यक है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि ये "प्रचलित आदेश" क्या है? तीसरा प्रश्न—विकल्पधारियों की कितनी संख्या राज्य परामर्शीय समिति को भेजी गई है?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

मान्यवर, राज्य परामर्शीय समिति के समक्ष जितने भी मामले उठाये जाते हैं तो हमारी जो समिति विकल्पधारियों के लिए बनी है इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में पुनर्गठन आयुक्त के पास ये सारे मामले जाते हैं और फिर राज्य परामर्शीय समिति के पास जाते हैं। जब यह समिति इसको स्वीकार करती है तभी इस पर कार्यवाही होती है।

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, मेरा सीधा सा सवाल है कि इसका चेयरमैन कौन है, दूसरा—हमारे विकल्पधारियों की कितनी संख्या राज्य परामर्शीय समिति को दी है और प्रचलित आदेश क्या है? मान्यवर, ये स्पेसिफिक और छोटे प्रश्न हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

मान्यवर, पुनर्गठन आयुक्त प्रस्ताव समिति के पास भेजेगा तभी वे कार्यमुक्त किये जायेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, सम्मानित प्रश्नकर्ता स्वयं इस संबंध में भिन्न हैं। उन्हें मालूम होगा कि चेयरमैन कौन है। (व्यवधान) कभी-कभी ऐसे प्रश्न उठ जाते हैं जो विभागीय परिधि से ऊपर उठकर प्रदेशीय परिधि में आ जाते हैं। इसके लिए एक तरीका यह भी हो सकता है कि वे कहें कि यह प्रश्न अलग है और इसके लिए समय चाहिए। यह उन्होंने नहीं कहा, यह उनका बड़प्पन है। जहां तक प्रदेश स्तर की बात है दोनों मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश में श्री जे0एस0 बग्गा तथा हमारे प्रदेश से श्री मधुकर गुप्ता हैं, दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव इसमें होते हैं और श्री नपच्यल साहब पुनर्गठन आयुक्त हैं, वे पूर्व सरकार में भी इसी पद पर कार्यरत थे। विभिन्न विभागों के सचिव माननीय मंत्री जी से परामर्श लेकर इनसे मिलते हैं और कई विभागाध्यक्ष भी इनसे स्वयं सम्पर्क करते हैं। जहां तक दिल्ली के स्तर की बात है तो श्री विश्वनाथ आनंद इसके चेयरमैन हैं वे उत्तर प्रदेश कैंडिडेट के अधिकारी थे और उत्तरांचल की विभक्तता से वे परिचित भी हैं। वे दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुनर्गठन आयुक्तों से बातचीत करते हैं और इस संबंध में उनके द्वारा ही कार्यवाही होती है।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, माननीय नेता सदन के हस्तक्षेप के पश्चात तो कुछ बोलने का अवसर ही नहीं बचता है नेता सदन के बारे में हम लोग बाहर भी कहते हैं और सदन में भी कहते हैं कि आपके पोर-पोर में राजनीतिक और लोकतांत्रिक शिष्टाचार मरा हुआ है। इसीलिए आपने न तो उत्तर प्रदेश की निन्दा की, न ही केन्द्र सरकार की निन्दा की। लेकिन ऐसे काम नहीं चलने वाला है इस संबंध में हमें तेजी दिखानी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार से भी इस संबंध में कहना होगा कि थोड़ा तेजी के साथ इस कार्य को करें और केन्द्र को भी इसकी मदद दिलानी होगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन, 2000 में प्रावधान है कि यदि ऐसे मामलों में दोनों प्रदेशों के स्तर पर सहमति नहीं बनती है तो केन्द्र को इसमें हस्तक्षेप कर कार्यवाही करनी होगी। इस संबंध में शीघ्र ही कोई कदम उठाया जाना चाहिए।

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, कितनी संख्या है, यह स्पष्ट नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रदेश में नवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का मानक

*4- डा0 अनुसूया प्रसाद मैथुरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नवीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अन्तर विद्यालय के शिक्षकों द्वारा किया जाता है?

यदि हा, तो क्या बोर्ड की परीक्षा मूल्यांकन मानकों के अन्तर्गत है?

यदि नहीं, तो परीक्षा का औचित्य क्या है?

नोट — कृपया 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या 03 के उपरान्त प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं, अपितु कक्षा-9 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जनपद स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में गठित जिला परीक्षा समिति द्वारा किया जाता है।

प्रारम्भिक स्तर पर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच उन अध्यापकों/प्रवक्ताओं से कराई जाती है जो उस कक्षा/वर्ग को नहीं पढ़ाते हैं।

कक्षा-9 की बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन मानकों के अन्तर्गत है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ०प्र० के विकल्पधारी अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने की नीति

*5—श्री कैलाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उ०प्र० का विकल्प भर रखा है, उनको कार्यमुक्त करने के लिए सरकार क्या नीति बना रही है?

उसमें विलम्ब का क्या कारण है?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

पुनर्गठन विभाग के प्रचलित आदेशों के अनुसार विकल्पधारी अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त किये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित राज्य परामर्शीय समिति का पूर्वानुमोदन आवश्यक है।

राज्य परामर्शीय समिति का निर्णय प्रतिक्षित है।

विशिष्ट बी०टी०सी० हेतु चयन प्रक्रिया

*6—श्री नारायण पाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विशिष्ट बी०टी०सी० हेतु चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है।

यदि हाँ, तो कब तक चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

प्रकरण सम्प्रति विचाराधीन है।

निर्णयानुसार यथा समय।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में सेब के पेड़ों पर सूखे की बीमारी की रोकथाम

*7-श्री बलवीर सिंह नेगी-

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में सेब के नगीचों में सेब के पेड़ भारी संख्या में सूख कर नष्ट हो रहे हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार सूखे की बीमारी की रोकथाम के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने जा रही है?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

पौड़ी में किसानों को फलदार वृक्षों की पौध एवं खाद का निःशुल्क वितरण

1-श्रीमती विजय बद्धशाल-

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में सन् 2001-2002 में किसानों को कितने फलदार वृक्षों के पौध एवं कितनी खाद निःशुल्क वितरित की गई?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल-

जनपद पौड़ी गढ़वाल में वर्ष 2001-02 में 1615 फलदार वृक्षों की पौध एवं 98.74 कुन्नाल खाद (डर्वरक) निःशुल्क वितरित की गई।

रुद्रप्रयाग के रा०३० कालेज खेड़ाखाल बछणस्यू में हिन्दी (प्रवक्ता) पद का सृजन

2-श्री मातबर सिंह कण्डारी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के राजकीय इण्टर कालेज खेड़ाखाल बछणस्यू में हिन्दी (प्रवक्ता) का पद सृजित न होने के क्या कारण हैं?

क्या सरकार छात्र हित में अविलम्ब उक्त कालेज में हिन्दी प्रवक्ता का पद सृजित करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह मण्डारी-

सम्प्रति प्रस्ताव यथा समय शासन में प्राप्त न होने के कारण प्रवक्ता हिन्दी के पद का सृजन नहीं किया जा सका।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी के जू०हा० स्कूल औडखोला की भूमि समतलीकरण कार्य का भुगतान

3—श्री प्रीतम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के जूनियर हाई स्कूल औडखोला का भूमि समतलीकरण कार्य श्री सरतलाल निवासी औडखोला द्वारा करवाया गया है?

क्या उक्त कार्य का भुगतान सरतलाल को किया जा चुका है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभाग द्वारा श्री सरतलाल निवासी औडखोला को जूनियर हाई स्कूल औडखोला के भूमि समतलीकरण का कार्य करने हेतु कोई आदेश नहीं दिये गये थे जिसके कारण श्री सरतलाल को भुगतान नहीं किया गया।

अल्मोड़ा रा०उ०मा० विद्यालय लगगढ़ा के क्षतिग्रस्त भवन का पुनर्निर्माण

4—श्री कैलाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रा०उ०मा० विद्यालय लगगढ़ा (अल्मोड़ा) के क्षतिग्रस्त भवन के पुनर्निर्माण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अध्यापकों के पदों पर पदोन्नति

5—श्री कैलाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में शिक्षा विभाग में कार्यरत

उच्च शिक्षित, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को योग्यता के आधार पर अध्यापकों के पदों पर पदोन्नति करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हां, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह मण्डारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति प्रकरण शासन के विचाराधीन नहीं है।

जनपद चमोली में मण्डल घाटी में समन्वित विकास योजना

6—डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या उद्यान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में मण्डलघाटी विकास हेतु शासन स्तर पर प्रस्तुत समन्वित विकास योजना को लागू किया जा रहा है?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभागीय चालू योजनाओं के माध्यम से घाटी में फल एवं सब्जियों का विकास किया जा रहा है।

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए

बी०टी०सी० प्रशिक्षण कार्यक्रम

7—डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर किये जाने हेतु बी०टी०सी० प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हां, तो कब से?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह मण्डारी—

सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रस्ताव अप्राप्त।

जनपद चमोली के जू०हा० स्कूल सरतोली का उच्चीकरण

8-डा० अनुसूया प्रसाद मैथुरी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के अन्तर्गत जू०हा० स्कूल सरतोली विकास खण्ड चमोली को हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकृत किये जाने की जनता द्वारा निरन्तर मांग की जा रही है?

यदि हां, तो उक्त विद्यालय का उच्चीकरण कब तक हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी-

जी हां।

मानक पूर्ण होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के रा०उ०मा० विद्यालय कटखेत का उच्चीकरण

9-श्री प्रीतम सिंह पंवार-

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलघार में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटखेत का उच्चीकरण किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हां, तो कब तक उच्चीकरण कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी-

जी हां।

मानक पूर्ण होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जसपुर विधान सभा क्षेत्र के बालिका इंटर कालेज में गणित विषय

10-डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल-

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जसपुर विधान सभा क्षेत्र में एक मात्र बालिका इंटर कालेज, जिसमें कि छात्राओं की संख्या 1750 है, में कक्षा 11 व 12 में गणित विषय नहीं है?

यदि हां, तो क्या सरकार इस वर्ष उक्त विद्यालय में गणित विषय की शिक्षा प्रारम्भ करने पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी-

जी हां।

सम्प्रति प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है?

प्रश्न नहीं उठता।

मानक पूरा करने वाले विद्यालयों के उच्चीकरण का प्रस्ताव

11—डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान सरकार के कार्य काल में कितने विद्यालयों का उच्चीकरण किया गया है तथा उनका जनपदवार विवरण क्या है?

क्या मानक पूरे करने वाले विद्यालयों का उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह गण्डारी—

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 07 जूनियर हाई स्कूलों का हाई स्कूल स्तर पर तथा 04 हाई स्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किया गया है। इनके जनपदवार विवरण निम्नवत हैं :-

जू०हा० स्कूल का हाई स्कूल स्तर पर

1. नैनीताल	02
2. अल्मोड़ा	01
3. बागेश्वर	01
4. चमोली	01
5. टिहरी	01
6. हरिद्वार	01

हाई स्कूल का इण्टर स्तर पर

1. अल्मोड़ा	01
2. नैनीताल	02
3. टिहरी	01

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं चठता।

जनपद हरिद्वार को 'आम जोन' घोषित किये जाने की योजना

12—चौ० यशवीर सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार जनपद को आम जोन के रूप में घोषित किये जाने की सरकार कोई योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजबात—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में इस क्षेत्र को आम ज्ञान घोषित किए जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद अल्मोड़ा के मा०वि० में रिक्त पदों पर नियुक्ति तथा पूर्व से कार्यरत पी०टी०ए० शिक्षकों का नियमितीकरण

13—श्री कैलाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शासन के विचाराधीन है?

यदि हां, तो क्या इन माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत पी०टी०ए० शिक्षकों को भी नियमित किया जायेगा?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं, अपितु राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एल०टी० ग्रेड के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही मण्डल स्तर पर संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा की जा रही है तथा प्रवक्ता के सीधी भर्ती के पदों हेतु अधिवाचन लोक सेवा आयोग को भेजे जा चुके हैं।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पदों पर चयन हेतु वर्तमान प्रक्रिया में संशोधन विचाराधीन है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पी०टी०ए० शिक्षक नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत नियुक्त नहीं हैं।

उद्यान विभाग द्वारा इस्पैक्टोगीटर (लीफ एनालाइजर) अनुपयोगी यंत्र खरीदने के दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

14—श्री अजय भट्ट—

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग द्वारा विदेश से एक इस्पैक्टोगीटर (लीफ एनालाइजर) कब एवं किस तिथि को खरीदा गया था?

क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उक्त यंत्र का आज तक उपयोग नहीं किया जा रहा है?

यदि हां, तो उपयोग न करने के क्या कारण हैं?

क्या मंत्री जी अनुपयोगी यंत्र खरीदने के दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल—

वर्ष 88-89 में दिनांक 31-3-89 को यह यंत्र खरीदा गया था।

जी हाँ।

यह उपकरण जर्मनी से क्रय किया गया तथा इसके उचित रूप से संचालन के लिए कान्सटैन्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर की जरूरत होती है जिसकी वित्तीय स्वीकृति पूर्ववर्ती उ0प्र0 शासन द्वारा वर्ष 1991-92 में प्रदान की गई, इस अवधि में यह विदेशी संस्था बन्द हो गई जिस कारण इस यंत्र को स्थापित नहीं किया जा सका एवं तकनीकी जानकारी के अभाव में काफी प्रयासों के बावजूद भी इस आयातित लीफ एनालाइजर उपकरण को नहीं चलाया जा सका।

जी हाँ, इस सम्बन्ध में तत्कालीन निदेशक उद्यान के विरुद्ध कार्यवाही शासन के विचाराधीन है, जांच सम्बन्धी पत्रावली पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 से प्राप्त किये जाने की कार्यवाही चल रही है, पत्रावली प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रा0उ0मा0 विद्यालयों के उच्चीकरण के मानक

15—श्री बिरान सिंह चुफाल—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में रा0उ0मा0 विद्यालयों के उच्चीकरण के क्या मानक हैं?

क्या सरकार जनपद पिथौरागढ़ में रा0उ0मा0वि0 पुराना थल का उच्चीकरण करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

रा0उ0मा0 विद्यालयों के इण्टर स्तर पर उच्चीकरण हेतु निम्न मानक निर्धारित हैं :-

1. क्षेत्र की सेवित जनसंख्या कम से कम 8000।
2. कक्षा-6 से 10 तक की छात्र संख्या कम से कम-150।
3. कक्षा-11 की अनुमानित छात्र संख्या कम से कम-25।
4. हाई स्कूल का प्रथम बैच कम से कम 5 वर्ष पूर्व का हो।
5. गत 03 वर्ष का परीक्षाफल 50% से कम न हो।
6. 10 कि0मी0 की परिधि में अन्य इण्टर कालेज न हो।
7. निःशुल्क पर्याप्त भवन एवं भूमि उपलब्ध हो।

जी हाँ।

यथा मानक पूर्ण होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला सहायक निबन्धक पद पर की गयी पदोन्नतियों में आरक्षित वर्ग का कोटा

16—श्री कौलदास—

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि जिला सहायक निबन्धक पद पर की गयी पदोन्नतियों में आरक्षित वर्ग के कितने व्यक्तियों की पदोन्नतियों की गयी है?

यदि आरक्षित कोटा नहीं भरा गया है तो क्यों?

कब तक आरक्षित कोटा भर दिया जायेगा?

सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)—

जिला सहायक निबन्धक पद पर उत्तरांचल में सहकारी निरीक्षक वर्ग-1 के पदों से आरक्षित वर्ग के किसी व्यक्ति की पदोन्नति नहीं की गई है।

सहायक निबन्धक के स्वीकृत 13 पदों के विरुद्ध उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक-2-2001-53(1)/2001, दिनांक 18-7-2001 के अनुसार 19 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जो 2.47 अर्थात् 2 पद होते हैं, सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती व 50 प्रतिशत पद प्रोन्नति से भरे जाने का प्राविधान है इस प्रकार प्रोन्नति कोटे का एक पद व सीधी भर्ती का एक पद आरक्षण की श्रेणी में आता है।

वर्तमान में प्रोन्नति से कार्यरत सहायक निबन्धकों के पदों पर आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति का एक एवं अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति कार्यरत है।

सीधी भर्ती के आरक्षित पद के विरुद्ध अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया था, जिसकी विज्ञप्ति निर्गत हो गई है।

उत्तरांचल लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के पश्चात् शासन स्तर से उक्त पद पर नियुक्ति कर दी जायेगी।

उत्तरांचल में सहकारी बैंकों के सचिव/महाप्रबन्धक के पदों पर पदोन्नतियों में आरक्षण कोटा

17—श्री कौलदास—

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल में सहकारी बैंकों के सचिव/महाप्रबन्धक के पदों पर वरिष्ठ प्रबन्धकों की पदोन्नतियों में आरक्षण कोटा नहीं भरा जा रहा है जबकि वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर इस वर्ग के अधिकारी कार्यरत हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वरिष्ठ प्रबन्धकों के होते हुए भी जिला सहकारी बैंकों के कनिष्ठ, वरिष्ठ प्रबन्धकों को कार्यवाहक सचिव/महाप्रबन्धक किन कारणों से बनाया जा रहा है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी नहीं, उत्तरांचल राज्य गठन के पश्चात् सचिव/महाप्रबन्धक के पद पर कोई पदोन्नति नहीं की गई है, अतः आरक्षण कोटा भरे जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश से प्राप्त वरिष्ठ प्रबन्धकों की अनन्तिम वरिष्ठता सूची में उत्तरांचल में कार्यरत वरिष्ठतानुसार सूची के क्रमांक-1 पर श्री जीवन चन्द्र जोशी की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होने क्रमांक-3 पर श्री एल०डी० गुरुरानी एवं क्रमांक-4 पर श्री प्रमोद कुमार द्वारा स्वयं प्रमारी बनने से इंकार करने तथा क्रमांक-6 पर श्री प्रकाश चन्द्र दुम्का द्वारा पूर्व में प्रमारी पद के दायित्व के निर्वहन करने से असमर्थता व्यक्त करने के कारण उक्त वरिष्ठ प्रबन्धकों को छोड़ते हुये क्रमांक-2 पर श्री सतीश चन्द्र लखौरा क्रमांक-5 पर श्री एन०पी० शगुनन एवं क्रमांक-7 पर डा० मनमोहन थपलियाल, वरिष्ठ प्रबन्धकों को वरिष्ठता के अनुसार काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत प्रमारी सचिव/महाप्रबन्धक बनाया गया है, इसके लिये उन्हें कोई वेतन/पता नहीं दिया जाता है।

उत्तरांचल सहकारी बैंक के अपर सचिव पद को निरस्त करने की मांग

18-श्री कौलदास-

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के कार्यवाहक क्षेत्रीय प्रबन्धक को गढ़वाल मण्डल में उत्तरांचल सहकारी बैंक में केन्द्रीय सेवा का अपर सचिव, बनाया गया है।

क्या यह सही है कि उत्तरांचल सहकारी बैंक के अधिकारियों द्वारा इस पद पर नियुक्ति की मांग की गयी है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार अपर सचिव पद पर की गयी तैनाती निरस्त करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी-

जी हाँ, उ०प्र० सहकारी बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक, गढ़वाल मण्डल देहरादून को अपर सचिव (सह०), उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न सम्बर्ग प्राधिकारी सहकारी बैंक केन्द्रीयत सेवा की बैठक दिनांक 29-8-2001 के प्रस्ताव संख्या-3 के अनुसार आदेश संख्या 64/सम्बर्ग-प्रा०/2001-02 दिनांक 29-8-01 द्वारा अपर सचिव, कैंडर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

जी नहीं, उत्तरांचल सहकारी बैंक में प्रबन्ध निदेशक के अतिरिक्त कोई अधिकारी कार्यरत नहीं है।

उत्तरांचल के जिला सहकारी बैंकों के अधिकारियों द्वारा नियुक्ति की मांग की गई है।

कैंडर सेवा के अन्तर्गत जिला सहकारी बैंकों के अधिकारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए जिला सहकारी बैंकों से भिन्न अन्यत्र सेवा के अधिकारी को अपर सचिव, कैंडर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, उक्त स्थिति में जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों को अपर सचिव के पद पर नियुक्त किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

जनपद ऊधमसिंह नगर में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति न दिये जाने के कारण

19—श्री नारायण पाल—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर में प्राथमिक शिक्षकों के कितने पद माह मार्च, 2000 तक रिक्त थे?

क्या प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे?

यदि हां, तो शिक्षकों को नियुक्ति न दिये जाने के क्या कारण हैं?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जनपद ऊधमसिंह नगर में माह मार्च, 2000 तक प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 460 पद रिक्त थे।

जी हां।

जनपद ऊधमसिंह नगर हेतु चयनित 91 तथा देहरादून जनपद से 100 विशिष्ट बी०टी०सी० अभ्यर्थियों का स्थानान्तरण करके जनपद ऊधमसिंह नगर के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में माह जनवरी, 2000 में नियुक्तिवां की गई।

प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का नियमितीकरण

20—श्री हरबंस कपूर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सरकार शीघ्र नियमित करेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्तियां नियमानुसार की गई हों, के नियमितीकरण पर आपत्ति नहीं है।

यथा समय।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी गढ़वाल/उत्तरकाशी दुग्ध संघ को भ्रूण प्रत्यारोपण योजना हेतु धन आवंटन

21—श्री बलवीर सिंह नेगी—

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1996 में जनपद टिहरी गढ़वाल व उत्तरकाशी में नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल दुग्ध संघ व उत्तरकाशी दुग्ध संघ को भ्रूण प्रत्यारोपण योजना हेतु कुल कितनी धनराशि रवीकृत की गई थी?

क्या इसका उपयोग स्वीकृत योजना हेतु किया जा चुका है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

वर्ष 1996 में जनपद टिहरी गढ़वाल व उत्तरकाशी में नरल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत टिहरी दुग्ध संघ व उत्तरकाशी दुग्ध संघ को भ्रूण प्रत्यारोपण योजना हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी के रा० आदर्श विद्यालय दोणी को उच्चिकृत करने पर विचार

(22) श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के रा० आदर्श विद्यालय दोणी में कुल कितने अध्यापक कार्यरत हैं?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को जूनियर हाईस्कूल में उच्चिकृत करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जनपद टिहरी गढ़वाल में दोणी नाम का कोई रा० आदर्श विद्यालय संचालित नहीं है। बल्कि दोणी नाम से रा० आदर्श विद्यालय है जिसमें एक अध्यापक कार्यरत है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

रा० आदर्श विद्यालय दोणी जूनियर हाईस्कूल स्तर पर संचालित है।

घनसाली विधान सभा क्षेत्र के जू० हा० स्कूल रगड़ी, जसपुर, कटैती, केपारस, निवालगांव, बगर एवं वणचुरी का उच्चिकरण

23—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जू० हा० स्कूल—रगड़ी, जसपुर, कटैती, केपारस, निवालगांव, बगर एवं वणचुरी का उच्चिकरण हाई स्कूल स्तर पर किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं, केवल जूनियर हाई स्कूल कंपास के उच्चीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त विद्यालय उच्चीकरण हेतु मांगों को पूरा नहीं करता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री प्रकाश पंत—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान सभा के कार्य संचालन नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है इसके खण्ड 185 के भाग 2 में स्पष्ट है कि शासन के प्रत्येक विभाग के लिए प्रस्थापित अनुदान के संबंध में साधारणतया एक पृथक मांग रखी जायेगी। लेकिन हमारे सदन के फटल पर 28 अनुदान मांगें प्रस्तुत की गई हैं। प्रत्येक अनुदान मांग में कई विभाग समाहित कर दिये गये हैं। जिनके मंत्रालय पृथक हैं जिस कारण विभाग वार अनुदान मांगों पर चर्चा में अलग-अलग विभागों द्वारा बजट प्रस्तुत करने में और चर्चा में भाग लेने में असुविधा होगी। सम्भवतया कल से हम लोग विभागवार बजट पर भी चर्चा करेंगे। मान्यवर, इस संबंध में मा० वित्त मंत्री जी को कुछ अधिकार भी प्रदान किये गये हैं परन्तु वित्त मंत्री दो या अधिक विभागों के लिए प्रस्थापित अनुदानों को एक ही मांग में सम्मिलित कर सकेंगे अथवा ऐसे व्यय के सम्बन्ध में सुगमताया किसी विशेष विभागों के अधीन वर्गीकरण नहीं हो सकता, एक ही मांग प्रस्तुत कर सकेंगे। लेकिन हमारे यहां पर 28 अनुदान मांगों को सदन के फटल पर रखा जा रहा है, उसमें विभिन्न विभागों को एक साथ रख दिया है जब विभागवार चर्चा होगी तो एक ही अनुदान पर तीन-तीन माननीय मंत्रीगण खड़े होंगे।

मान्यवर, इससे अनावश्यक समय भी जाया होगा और निश्चित रूप से इससे माननीय सदस्यों के सामने व्यवहारिक कठिनाई आने वाली है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय पंत जी, आगे से ध्यान रखा जाएगा कि यह परम्परा न पड़े।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से श्री नारायण राम आर्य, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री बलवीर सिंह नेगी, डा० अनुसूया प्रसाद मैथुरी, श्रीमती विजय बड़थवाल तथा श्री महेन्द्र प्रसाद मट्ट की सूचना को मैं नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

* वक्ता ने माधन का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट तथा बेरीनाग में जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूलों का इंटरमीडिएट स्तर तक उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नारायण राम आर्य—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट तथा बेरीनाग के अन्तर्गत निम्न जू0 हाई स्कूल एवं हाई स्कूलों का हाई स्कूल एवं इंटर स्तर पर उच्चीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ—

हाई स्कूल स्तर

1-जू0हा0 स्कूल, पच्चाधार	2-जू0हा0 स्कूल, गोधीनगर	गंगोलीहाट
3- " नापल	4- " घोडासिल	
5- " मूलीगांव	6- " ग्वाल	बेरीनाग
7- " पाताल भूनेश्वर	8- " जालली	
9- " रैतोली		
10- " चामा चौड़ा		

इंटर स्तर

1-रा0हा0 स्कूल, सेराघाट	2-रा0हा0 स्कूल, खैरोली	गंगोलीहाट
3- " डोबलाखेत	4- " डम्डे	
5- " दुवौला	6- " पिलखी	
7-कन्या गण्डाई गंगोली		
8- " छडौली	बेरीनाग	

इन विद्यालयों के आस-पास कहीं पर भी उच्चीकृत विद्यालय नहीं है। यहां पर छात्र-छात्राओं की संख्या पर्याप्त है। यहां पर यातायात की अत्यन्त कठिनाई है। छात्र-छात्राओं को विद्याध्ययन के लिए दूर जाने के लिए कठिनाईयां हैं। क्षेत्रीय जनता बार-बार इन विद्यालयों के उच्चीकरण के लिए मांग करती आ रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का भाग बहुत ही पिछड़ा हुआ है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ।

रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ तथा अगस्त्यमुनि में ट्रांसफार्मरों के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आशा नौटियाल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रुद्रप्रयाग विकास खण्ड ऊखीमठ एवं अगस्त्यमुनि में विद्युत अव्यवस्था की ओर लाना चाहती हूँ। आये दिन अगस्त्यमुनि एवं ऊखीमठ के अनेकों गांवों में ट्रांसफार्मर जले पड़े होने के साथ ही लकड़ी के खम्बों में झूलते विद्युत तारों व कई गांवों में बर्फ से क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों

के निर्माण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत लाईन के विस्तारीकरण की मांग शासन प्रशासन से करती आ रही है। लेकिन सरकार द्वारा इस विद्युत अव्यवस्था के निवारण हेतु किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी है। जबकि सरकार उत्तरांचल प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने का सपना संजोये हुए हैं। वहीं हमारे दूरस्थ गांवों में बिजली के एक-एक खम्बे के लिए जनता तरसती रहती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर कार्यवाही की मांग करती हूँ।

जनपद रुद्रप्रयाग में जलागम द्वारा निर्मित पशु प्रजनन केन्द्रों का सदुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, जनपद रुद्रप्रयाग में जलागम द्वारा दो पशु प्रजनन केन्द्र (1) रवांकरा (बछणास्यू) (2) कौट रानीगढ़ में 4-4 लाख रुपये की लागत से 5-7 वर्ष पूर्व बनाये गये हैं। दोनों पशु प्रजनन केन्द्र वीरान पड़े हैं।

अस्तु मैं सरकार से चाहूंगा कि इन दोनों पशु प्रजनन केन्द्रों को किसी सरकारी विभाग को सौंपा जाए ताकि चार-चार लाख रुपये के भवनों का सदुपयोग हो सके।

घनसाली (टिहरी गढ़वाल) पेयजल योजना का निम्न गुणवत्ता का कार्य तथा रख-रखाव के अभाव में पेयजल का संकट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बलबीर सिंह नेगी—

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र घनसाली (टिहरी गढ़वाल) के ज्यूंदाणा ग्राम पंचायत के अन्तर्गत ग्राम गजगांव में गढ़वाल जल संस्थान नई टिहरी द्वारा पेयजल योजना का कार्य निम्न गुणवत्ता के साथ करने व योजना के समुचित रख-रखाव के अभाव में ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जिससे ग्रामीणों के समक्ष पेयजल का गम्भीर संकट पैदा हो गया है। मेरे क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता द्वारा इस ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया गया कि ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उक्त सम्बन्ध में निरन्तर उदासीनता बरती जा रही है।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, तात्कालिक व लोकमहत्व की सूचना को नियम 301 के अन्तर्गत सरकार को आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें।

चमोली के दशोली विकास खण्ड के अन्तर्गत पुरमाड़ी-पलेटी-सरतोली मोटर मार्ग का 4 माह पूर्व निर्माण अधूरा छोड़ दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० अनुसूया प्रसाद मैथुरी—

मान्यवर, जनपद चमोली के विकास खण्ड, दशोली के अन्तर्गत पुरमाड़ी-पलेटी-सरतोली मोटर मार्ग का शासनादेशों की स्वीकृति के तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा 4 माह

पूर्व नव निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था, लेकिन आधा अधूरे निर्माण के बाद अचानक निर्माण कार्य रोक दिया गया है। यदि इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाता तो सुदूरवर्ती एवं दुर्गम क्षेत्र के कई गांवों के निवासी इस यातायात की सुविधा से लाभान्वित होते। अचानक निर्माण कार्य रोके जाने से स्थानीय जनता में गहरा आक्रोश है।

यह एक अत्यन्त लोक महत्व का अवलम्बनीय प्रश्न है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस मोटर मार्ग के पुनः निर्माण प्रारम्भ करवाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डाडामंडी जिला पौड़ी गढ़वाल में व्यवस्थाओं की स्थिति गंभीर होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्रीमती विजय बड़थवाल—**

मान्यवर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डाडामंडी जिला पौड़ी गढ़वाल में बहुत दिनों से अव्यवस्था बनी हुई है, यहां पर तीन डाक्टरों के पद सृजित हैं, लेकिन वर्तमान में एक डाक्टर यहां पर नियुक्त है, वह भी अधिकतर अनुपस्थित रहते हैं, अन्य कर्मचारियों के पद भी रिक्त हैं, उक्त अस्पताल एक बड़े क्षेत्र जनता व डाडामंडी कस्बे को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से बनाया गया था, लेकिन उक्त अस्पताल में न तो दवाईयां हैं, गन्दगी का आलम इस प्रकार रहता है कि रोगी और अधिक बीमार होने की स्थिति में आ गया है। क्षेत्र में इन दिनों, डायरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों का प्रकोप है लेकिन अस्पताल में डाक्टर न होने के कारण या तो रोगी को शहर के अस्पतालों में चिकित्सा हेतु ले जाना पड़ रहा है, लेकिन जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, उनकी बीमारी से मृत्यु की आशंका बनी है। कई लोगों की मृत्यु भी हुई है बीमारों की स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए, अस्पताल में समुचित व्यवस्था किया जाना नितान्त आवश्यक है, अतः आपसे विनम्र निवेदन करते हुए मैं लोक महत्व की उक्त सूचना सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करती हूँ।

चमोली के विकास खण्ड पोखरी के पाटी के गोदली थलगढ़ गांव में विद्युतीकरण न होने से जनता में आक्रोश होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—**

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के ग्राम पाटी के गोदली थलगढ़ गांव में विद्युतीकरण न होने के कारण जनता में व्याप्त जनक्रोध की ओर दिलाना चाहता हूँ। महोदय 200 परिवार एवं इण्टर कालेज के कर्मचारी आवास इसी गांव में हैं। विद्युत व्यवस्था न होने के कारण इतने बड़े गांव की जनता ने बार-बार विभागीय अधिकारियों को विद्युतीकरण हेतु आवेदन किया परन्तु आज तक भी किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई।

अतः महोदय इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूँ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आज माननीय सदस्य श्री मातबर सिंह कण्डारी ने नियम 300 के अन्तर्गत एक सूचना दी है जिसमें उन्होंने नियम 51 की सूचनाओं के संबंध में उल्लेख किया है। मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

औद्योगिक नीति 2003

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमान मैं आपके माध्यम से सदन की अनुमति से उत्तरांचल शासन द्वारा प्रस्तुत उत्तरांचल की नई औद्योगिक नीति 2003 को सदन के पटल पर रखता हूँ। भारत सरकार द्वारा 7 जनवरी, 2003 को केन्द्रीय औद्योगिक नीति घोषित की गई है, उत्तरांचल के बारे में। उसका पूरक एक औद्योगिक नीति के रूप में प्रस्तुत है।

रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत शहीद भगवान सिंह मोटर मार्ग का बासवाड़ा, कण्डारा, भणज, चन्द्रनगर, मोहनखाल का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्रीमती आशा नोटियाल—

माननीय अध्यक्ष जी जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत शहीद भगवान सिंह मोटर मार्ग के बासवाड़ा, कण्डारा, कणसिल, भणज, चन्द्रनगर, मोहनखाल मोटर मार्ग के डामरीकरण कराये जाने के संबंध में श्री बचन सिंह रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करती हूँ।

चमोली के विकास खण्ड पोखरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तन करने हेतु याचिका

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी स्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तन के सम्बन्ध में श्री महादेव प्रसाद भट्ट एवं अन्य निवासीगण, जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवीखेत को इंटर स्तर पर उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवीखेत के इंटर स्तर पर उच्चीकरण के सम्बन्ध में श्री नन्दन सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

उत्तरकाशी के रौन्तल में हाई स्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पवार—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उत्तरकाशी के रौन्तल में हाई स्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में श्री बचन सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

उत्तरकाशी के धरासू-ढिकोली-सर्जशापट रौन्तल मोटर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पवार—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उत्तरकाशी के धरासू-ढिकोली-सर्जशापट रौन्तल मोटर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बचन सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

कार्य-मंत्रणा समिति का कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 जून, 2003 की बैठक में दिनांक 18 जून, 2003 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है—

जून, 2003 (1) वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
19 गुरुवार

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना आपके द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उनमें से मैं माननीय श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री बलवीर सिंह नेगी, श्री नारायण पाल, श्री मदन कौशिक और श्रीमती विजय बड़थवाल की सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में संविधान एवं नियम विरुद्ध कार्य किये जाने के कई मामले प्रकाश में आये हैं। प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ तभी दिया जा सकता है जब कि वह उत्तरांचल का निवासी हो। इस प्रकार प्रदेश से बाहर के व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। किन्तु पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा प्राध्यापकों के लिये किये गये हाल के वचन में शासनादेशों की अनदेखी करते हुए कम से कम पांच अनुसूचित जाति एवम् पांच अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई है। यही नहीं विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद् का अनुमोदन लेकर अनिवारित तरीके से विश्वविद्यालय के सैकड़ों अशिक्षित श्रमिकों की जन्मतिथि में परिवर्तन किया गया है।

उक्त स्थिति के कारण क्षेत्र की जनता में विश्वविद्यालय प्रशासन एवम् सरकार के प्रति व्यापक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। अतः अविलम्बनीय इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा किये जाने की मांग करता हूँ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने कार्यस्थगन के रूप में आपके समक्ष रखा है। मान्यवर, मैं इसे सदन के संज्ञान में और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आरक्षण का लाभ बाहर के लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए। आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गयी है। मान्यवर, जब राज्य बना था तो हमारे राज्य के विधेयक के साथ अन्त में जो अनुसूचियाँ दी गयी हैं, उसके अन्त में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की सूची अलग से दी गयी है, उसी के आधार पर यदि राज्य में जातियाँ हैं तो उनको लाभ मिलना चाहिए। मान्यवर, लेकिन पंत नगर विश्वविद्यालय में इस व्यवस्था को ताक पर रखकर प्रदेश के बाहर से लोगों की नियुक्ति की जो नियम विरुद्ध है। दूसरी बात संज्ञान में यह आयी है कि पंत नगर विश्वविद्यालय का जो फार्म है, उसमें काम करने वाले कर्मचारी और श्रमिक उनकी जन्मतिथि में एक से अधिक बार हेराफेरी की गयी है, उनके रिकार्ड को बदला गया है। मान्यवर, जो प्रबन्धकीय गतिविधियाँ हैं, उन्हें प्रबन्ध परिषद् प्रस्ताव पारित करती है, लेकिन प्रबन्ध परिषद् को भी ये अधिकार नहीं है, वे किसी श्रमिक, अधिकारी की जन्मतिथि जो सेवा पत्रिका में दर्ज है उसको बदल सके, या उसमें फेरबदल कर सके। लेकिन मान्यवर, पंतनगर विश्वविद्यालय में ऐसा किया गया है, इस पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए।

मान्यवर, वहाँ के कर्मचारियों और स्थानीय जनता में इस बात को लेकर आक्रोश व्याप्त है, इसलिए मैं चाहता हूँ सारे सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय।

कृषि मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा)—

मान्यवर, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को शासनादेश के विरुद्ध नियुक्ति देने के सम्बन्ध में पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञप्ति संख्या ए-1/2002 के अनुसार 19-8-2002 तक मर्ती हेतु प्रार्थना-पत्र मांगे गये तथा 19 नवम्बर, 2002 से 9 अप्रैल, 2003 तक इटरव्यू लिये गये तथा नियुक्ति पत्र जनवरी,

फरवरी और अप्रैल, 2003 में जारी किये गये तथा माह जनवरी से 12 मई, 2003 अभ्यर्थियों को ज्वाइन कराया गया। मान्यवर, विश्वविद्यालय की आख्यानुसार विश्वविद्यालय को 10 अक्टूबर, 2002 का शासनादेश 2002-2003 को प्राप्त हो गया था, हालांकि सम्बन्धित शासनादेश 10 अक्टूबर, 2002 को ही समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को भेज दिया गया है। विश्वविद्यालय के अशिक्षित श्रमिकों की जन्म तिथि में जो परिवर्तन किया गया है वह केवल ऐसे श्रमिकों की जन्म तिथि में किया गया है, जिनके पास जन्म तिथि के सम्बन्ध में कोई विधिक प्रमाण-पत्र नहीं था। अतः उनको विश्वविद्यालय द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के द्वारा परीक्षण किया गया था तथा मेडिकल बोर्ड की संस्तुति के अनुरूप उनकी जन्म तिथि अभिलेखों में अंकित की गयी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय विपिन चन्द्र त्रिपाठी, माननीय काशी सिंह ऐरी तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री बलवीर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने गुप्त नियम 56 के अन्तर्गत कार्य स्थगन की ग्राह्यता पर सुनने का अवसर दिया। मान्यवर, हम टिहरी जनपद में बनाये जा रहे बांध निर्माण कार्य का स्वागत करते हैं। यह एक अतिमहत्वाकांक्षी परियोजना है, परन्तु परियोजना के निर्माण में प्रत्येक परियोजना क्षेत्र के गांव की जनता मयभीत तथा प्रभावित हो रही है, साथ ही ग्रामीणों की खड़ी फसल, मकान तथा अन्य जल स्रोतों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंच रहा है। मान्यवर, विशेषकर असेना, पडागली, पिलखी, मोटी, पिपोला, नंदगांव, बड़कोटी गांवों से पत्थरों का दुलान किया जा रहा है जिसके तीर्थ यात्री प्रभावित हो रहे हैं। मान्यवर, ग्राम पडागली और असेना से 28 लाख टन पत्थरों का दुलान होना है और उन पत्थरों को टिहरी कैदरनाथ मोटर मार्ग से ट्रक ले जाती हैं और उसी मार्ग से तीर्थ यात्रियों की बसें गुजरती रहती हैं। मान्यवर, जब उस मार्ग से पत्थर भरी ट्रकें जाती हैं तो उन ट्रकों से पत्थर गिरते रहते हैं जिससे उसके पीछे चलने वाली यात्रियों की बसें क्षतिग्रस्त होती हैं। मान्यवर, तीर्थ यात्री प्रभावित हो रहे हैं। मान्यवर, इस तात्कालिक, अविलम्बनीय और लोकमहत्त्व के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

सिंघाई मंत्री (श्री शूरवीर सिंह सज्जवान)—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने स्वीकारा है कि यह परियोजना प्रदेश और देश हित में बन रही है। मान्यवर, इस परियोजना के निर्माण और इस परियोजना को समयबद्ध पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता है और उसी प्रतिबद्धता के अनुरूप काम हो रहा है। मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि ग्राम पडागली और असेना से 28 लाख टन पत्थरों का दुलान होना है, तो माननीय सदस्य जानते हैं कि असेना से एक अलग से मार्ग बनाया गया है जिस पर यात्री नहीं चलते हैं, फिर बीच में 2 किलोमीटर के बाद दूसरे मार्ग से पत्थर लाये जाते हैं। मान्यवर, बीच में दो-दो किलोमीटर में यह व्यवधान पड़ रहा है और उसके विस्तारीकरण के लिए सरकार के पास प्रस्ताव है और शीघ्र ही उसका विस्तारीकरण किया जायेगा।

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि वहाँ पर जो असेना, पिलखी, पटागली, पिपोला, नंदगांव, बड़कोटी जो तमाम गांव पड़ते हैं, उन गांवों की जनता इससे परेशान है। मान्यवर, वहाँ की जनता के हितों को ध्यान में रखकर सरकार ने उनको पुनर्वासित कर दिया, पुनर्वास में जो कठिनाइयाँ थीं वह दूर हो गयी। मान्यवर, जो विस्थापित स्थान से नहीं जा रहे हैं और जो अतिरिक्त मांग कर रहे थे, उसका भी सरकार ने प्राविधान कर दिया है। माननीय सदस्य ने जिज्ञासा व्यक्त की है कि जहाँ से पत्थर निकाले जा रहे हैं उसके कारण से वहाँ के मकानों में क्रैक्स आ गये हैं, तो उसके लिए मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है और शीघ्र ही जांच रिपोर्ट आ जायेगी और जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जायेगी तो उसके बाद जो भी गांव हैं वहाँ माननीय सदस्य को साथ लेकर जायेंगे और उसके बाद सरकार विधिवत रूप से वहाँ के लोगों के विस्थापन का कार्य करेगी।

श्री बलबीर सिंह नेगी—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने पुनर्वास की समस्या पर प्रकाश डाला और कहा कि सम्बन्धित गांवों का पुनर्वास हो चुका है। श्रीमन्, ग्रामसभा पिथोला, ग्रामसभा पिलखी, ग्राम सभा पटागली और घोंटी का कोई भी पुनर्वास नहीं हुआ है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पिलखी का पुनर्वास हो चुका है, परन्तु ऐसा नहीं है इसका पुनर्वास नहीं हुआ है और पिपोला का भी पुनर्वास नहीं हुआ, ये आंशिक डूब क्षेत्र के गांव हैं और जो फर्टाइल, उर्वरा जमीन है वह डूब क्षेत्र में आ रही है और जो असिंचित जमीन है वह डूब क्षेत्र में है और इसलिए उन्हें पूर्ण डूब क्षेत्र का भी दर्जा नहीं मिला है और जो पशुधन का चुगान एवं चारा था वह भी प्रभावित हो रहा है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, मैं उसका विरोध करता हूँ और सदन का बहिर्गमन करता हूँ।

(श्री बलबीर सिंह नेगी सदन त्याग कर चले गए)

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह नेगी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्रहस्य करता हूँ।

श्री नारायण पाल—

मान्यवर, मैं सितारगंज ब्लॉक में वर्तमान समय में बैकुल नदी, सूखी नदी, खगरा नदी, करना नदी, कैलाश नदी से जो कटान हो रहा है, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर थारु समाज की जो एक बहुत बड़ी संख्या निवास करती है, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जो आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत कमजोर हैं, निवास करते हैं और कई बार सर्वे होने के बाद जहाँ हजारों एकड़ जमीन कट रही है, नदियों से कटान को लेकर सरकार और शासन कोई भी कार्यवाही नहीं कर पा रही है जिससे वहाँ का पूरा क्षेत्र भयभीत है और आने वाले बारिश के मौसम में मुझे आसंका है कि हजारों एकड़ जमीन के साथ-साथ जन-हानि भी हो सकती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ और यह भी बताना चाहता हूँ कि प्रस्तावित बैकुल नदी को 10-15 साल से इस नदी पर जो बांध बनाने की योजना बनती रही है,

आज भी सिर्फ कागजों पर ही है उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। मान्यवर, इससे सम्बन्धित पत्र भी मैंने माननीय मंत्री जी को भेजा था और विषय से हटकर मैं इसके उत्तर का जो माननीय मंत्री जी द्वारा भेजा गया है, का उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार का ध्यान और माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर नहीं है मैं मांग करता हूँ कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार दृष्टि डाले और चर्चा की मांग करता हूँ।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

मान्यवर, मैं इस संबंध में माननीय सदस्य का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात उठायी। मान्यवर, यह पूरा प्रदेश नदी-नालों का प्रदेश है और यहाँ पर हर साल कोई न कोई दैवीय आपदा आती रहती है। जहाँ तक इन्होंने बैंगुन नदी का उल्लेख किया है और इस संबंध में माननीय सदस्य का एक पत्र भी मुझे मिला है। मैं इस पत्र पर समुचित कार्यवाही कर रहा हूँ और जो प्रबंधन की बात आपने कही। उसका पूरा सर्वेक्षण कराया जा रहा है। जैसाकि आपको भी पता है कि इस प्रदेश के पास कितने संसाधन हैं। संसाधनों की कमी है लेकिन फिर भी जितने भी संसाधन हैं उतने में, जो भी होगा सरकार कार्यवाही करने के लिए वचनबद्ध है।

श्री नारायण पाल—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन्होंने जो पत्र भेजा है जिसमें इन्होंने तमाम बातें कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, के बारे में लिखकर भेजा है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जो नदी का कटान हो रहा है उसके रोकथाम के लिए वर्तमान में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

मान्यवर, जैसा कि मैं पहले अवगत करा चुका हूँ कि इसकी रोकथाम के लिए योजना बनाई जा रही है।

श्री नारायण पाल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि रोकथाम के लिए योजना बनाई जा रही है तो उसका खुलासा भी करें कि कौन सी योजना बनाई जा रही है? माननीय मंत्री जी यह कह रहे हैं कि यह प्रदेश नदी-नालों का प्रदेश है। शायद माननीय मंत्री जी ऊधमसिंह नगर नहीं गए होंगे। इन्हें मालूम नहीं है कि जो नदियाँ कटान कर रही हैं उससे कितना नुकसान हो रहा है। मान्यवर, इस विषय पर माननीय मंत्री जी को कोई कारगर उपाय करना चाहिए। उनको व्यवहारिक बात करनी चाहिए। यह नहीं कि बैठे-बैठे यही कह दें कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य नारायण पाल एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्रहण करता हूँ।

*श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 56 के कार्य स्थगन की सूचना पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हरिद्वार जनपद में ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज इस प्रदेश का प्रमुख आयुर्वेदिक महाविद्यालय है। वह महाविद्यालय शहर के बीचोंबीच में स्थित है। इस महाविद्यालय के दो कि०मी० की दूर पर हरिद्वार कोतवाली स्थित है। इस महाविद्यालय के दूसरी ओर दूसरी कोतवाली और तीसरी ओर थाना रानीपुर और चौथी ओर थाना कनखल स्थित है। इस महाविद्यालय में सैकड़ों डाक्टर्स अध्ययन करते हैं वहीं इनका हास्टल भी है जहाँ पर ये निवास करते हैं। महाविद्यालय के कर्मचारी और अध्यापकगण इसी परिसर में रहते हैं और जो ऋषिकुल विद्यापीठ का गेट खुलता है वह इसी महाविद्यालय में खुलता है। इसमें एक औषधीय वाटिका है जिसमें डाक्टर्स रिसर्च/अध्ययन करते हैं।

मान्यवर, इस औषधीय वाटिका पर विगत कुछ दिनों से तस्करों की नजर पड़ गई है और उसमें जो बहुत पुराने और दुर्लभ प्रजाति के वन-वन के पेड़ थे, एक के बाद एक सात पुराने पेड़ तस्करों द्वारा काट लिये गये हैं। मान्यवर, इसकी सूचना कोतवाली में दी जाती है, इसकी रिपोर्ट दर्ज होती है। जब पहला पेड़ कटा था तब भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जब दूसरा पेड़ कटा तब भी उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। लेकिन मान्यवर, यह रिपोर्ट केवल थाने तक ही सीमित रहती है। इसमें कोई कार्यवाही नहीं होती है। वन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। मान्यवर, वन विभाग के अधिकारी भी के पर भी नहीं पहुँचते हैं। इससे तस्करों का हौसला बढ़ता जा रहा है। 2 जून को जो पुराने पेड़ थे, उनको भी काट लिया जाता है और उसकी जानकारी तब होती है जब सैकड़ों लोग वहाँ से गुजरते हुए मंदिर को जाते हैं। तस्कर पेड़ तो उठा ले गये थे, लेकिन पेड़ काटने के निशान वहाँ पर मौजूद थे। इसकी सूचना डी०एम० और सिटी मजिस्ट्रेट को दी जाती है। 13 जून को इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि इससे पहले जिस तरह पेड़ काटे गये और उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गयी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, देखने में यह भी आया है कि जो महत्वपूर्ण, दुर्लभ प्रजाति के पुराने वन-वन के पेड़ थे उनको काटने में कहीं न कहीं इन तस्करों के साथ वहाँ रहने वाले कुछ लोग और कालेज स्टॉफ के कुछ लोगों की मिलीभगत है। वन विभाग के अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। मान्यवर, सूचना देने के बाद भी अभी तक कोई तात्कालिक कार्यवाही भी नहीं हुई है। मान्यवर, यह मामला बहुत गम्भीर है, तात्कालिक है, लोक महत्व का है। अतः मेरा अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही रथगित कर इस पर चर्चा कराई जाये।

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूँ और जिन लोगों का उन्होंने अपनी इस नोटिस में जिक्र किया है कि जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए घरना इत्यादि दिया, उनका मैं अभिनन्दन करना चाहता हूँ। जैसा माननीय सदस्य ने विवरण दिया स्पष्ट है कि 2 संस्थाओं की भूमि पर स्थिति सम्पत्ति है। सामान्यतः ऐसी सम्पत्ति की रक्षा उसके मालिक द्वारा ही की जाती है। मान्यवर, 2-6 की घटना और 5 जून की घटना की पुलिस में एफ०आई०आर० दर्ज हुई है। वन विभाग को इसकी जानकारी मिलने पर ट्री प्लांटेशन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वाक्य नहीं किया।

एक्ट की धाराओं को इस मामले में लागू करने के लिए 6 जून को पुलिस को सूचित कर दिया गया था। मान्यवर, इसमें 2 चीजें करने की आवश्यकता महसूस की गई है। एक तो पूरी सम्पत्ति का आकलन कर दिया जाये, कितने ऐसे पेड़ हैं, स्थल निरीक्षण करके हम उसकी सुरक्षा व्यवस्था की विवेचना कर लें। इसके लिए कंजरबेटर को आदेशित कर दिया गया है। अगर ऐसी कोई चीज जानकारी में होगी कि बड़े पेड़ काटे गये हैं तो वहां पर काफी लोग रहते हैं, इसकी हम जांच करा देंगे।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मंत्री ने कहा कि वह निजी संस्थान की जमीन है, उस जमीन का अधिग्रहण सरकार द्वारा कर लिया गया है। वैसे वह ऋषिकुल विद्यापीठ की जमीन है वहां पर आयुर्वेद कालेज भी है, उसी में बस स्टैंड भी बनता है, और मेला स्थल भी वहां पर बनता है, डी0एम0 उसका प्रशासक होता है और सिटी मजिस्ट्रेट उसका सचिव होता है। जब सरकार ने उसका अधिग्रहण कर लिया है तो अब उसकी देख-रेख करने से क्यों कतरा रही है? यदि उसका रखरखाव गंगा सभा कर सकती है तो उसे दे दिया जाये। सरकार ने उसका अधिग्रहण क्यों किया। अतः मान्यवर, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि इस प्रकरण पर सदन की शेष कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये।

श्री नव प्रभात—

मान्यवर, जब इसका स्थल निरीक्षण किया जायेगा तो माननीय सदस्य ने जो बिन्दु बताये हैं उन्हें भी समाहित कर लिया जायेगा।

श्री अह्वस—

माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्रहण करता हूँ।

श्रीमती विजय बडथवाल—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने गुड्डे नियम 58 पर अपनी बात को सदन में रखने का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, सर्वविदित है कि गंगा नदी हिन्दुओं की पवित्र नदी है। इसके लिए गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी गठन किया गया है, लेकिन आज लक्ष्मण-झूला एवं स्वर्गाश्रम जहां पर रोजाना कई तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं, वहां पर एक सीवर ट्रीटमेंट प्लान लगा हुआ है और आज उसकी गन्दगी ओवर फ्लो होकर उस क्षेत्र में तथा आस-पास की बस्ती में फैलती चली जा रही है। जिससे पूरे क्षेत्र में गन्दगी फैल रही है और पवित्र गंगा नदी के जल को प्रदूषित कर रही है। इस संबंध में क्षेत्र के लोगों तथा स्वयं मैंने भी विभाग से सम्पर्क किया और इस बात को उनके संज्ञान में लाया गया। गंगा का पानी प्रदूषित न हो, इसके लिए उस सीवररेज ट्रीटमेंट प्लान का सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण किये जाने की आवश्यकता है। माननीय पेयजल मंत्री जी भी कई बार स्वर्गाश्रम जाते रहते हैं, उनके संज्ञान में भी यह आया होगा। लेकिन आज तक इस संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है।

मान्यवर, मैं कहना चाहती हूँ कि अभी 2004 में अर्द्ध कुम्भ आने वाला है तो उससे पहले ही इसे ठीक किया जाना चाहिए, यह तो गंगा के पानी को तो प्रदूषित कर ही रही है और आस-पास के मकानों में भी यह पानी फैल रहा है जिससे वहाँ पर महामारी फैलने की आशंका बढ़ गई है, इससे जनता में रोष व्याप्त है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व की तात्कालिक सूचना पर सदन की समस्त कार्यवाही रोक कर चर्चा कराये जाने की मांग करती हूँ। क्योंकि इस तरह की जो गन्दगियाँ, जिसके कारण गंगा नदी प्रदूषित हो रही है वह ठीक हो सके। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि इसे स्वीकार कर सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाये।

*पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)—

मान्यवर, जैसा कि स्वर्गाश्रम एवं लक्ष्मण झूला क्षेत्र के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान के खराब होने की बात माननीय सदस्या ने कही है। वहाँ पर 5 एम०एल०डी० का एक सीवरेज प्लान्ट लगाया गया है और यह सही है कि वहाँ की आवश्यकता इससे कहीं अधिक है।

मान्यवर, इस विषय में सरकार गंभीर है और इस पूरे क्षेत्र में सीवरेज के ट्रीटमेंट के लिए 524 लाख रुपये का एक आगमन भी तैयार करके भारत सरकार को भेजा है। चूंकि गंगा प्रदूषण बोर्ड भारत सरकार के अधीन है, इसलिए इसमें पैसा भी भारत सरकार से प्राप्त होता है। यह धार्मिक स्थल है इसलिए वहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान बनाना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि इस प्लान के लिए पैसा मिलने में देरी नहीं होगी। भारत सरकार के जो अधिकारी यहाँ पर आए थे हमने उनसे स्थल का निरीक्षण भी कराया और वे इस प्लान के लिए सहमत हैं। जहाँ तक महामारी की बात माननीय सदस्या ने कही, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं वहाँ पर गया था। वहाँ पर सीवरेज प्लान की आवश्यकता जरूर है लेकिन इसके लिए सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की मांग करने के बजाय आपको भारत सरकार से बात करनी चाहिए, क्योंकि केन्द्र में आप ही के दल की सरकार है। मैं आपको जानकारी दे दूँ कि कुछ दिन बाद केन्द्रीय मंत्री श्री खण्डूरी जी इस क्षेत्र के भ्रमण पर आ रहे हैं, आप मेरी ओर से भी माननीय मंत्री जी से आग्रह करिएगा और उनको मेरी भावनाओं से अवगत कराइएगा कि 524 लाख रुपये के प्लान को स्वीकृत करने से इस समस्या से निजात पायी जा सकती है।

श्रीमती विजय बड़शाला—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूँ कि क्या सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए अर्द्ध कुम्भ मेले के बजट में से व्यवस्था नहीं की जा सकती? जहाँ तक माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहाँ पर महामारी की स्थिति नहीं है। यह सर्वविदित है कि सीवर की गंदगी बाहर आएगी तो महामारी अवश्य फैलेगी। माननीय मंत्री जी जब क्षेत्र के भ्रमण पर गए होंगे, तो उन्होंने किसी होटल के कमरे में बैठ कर जनता की समस्याएँ सुनी होंगी, सम्बन्धित क्षेत्र के भ्रमण पर संभवतः माननीय मंत्री जी नहीं गए होंगे, अन्यथा उन्हें वहाँ की स्थिति की पूरी जानकारी होती। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने 524 लाख रुपये के प्लान की बात कही, तो यह प्लान तो भारत सरकार ने स्वीकृत करना है। राज्य सरकार ने इस समस्या से निजात पाने के लिए अब तक क्या किया है, मैं यह जानना चाहती हूँ तथा एक बार पुनः आग्रह कराना चाहती हूँ कि वहाँ पर महामारी फैलने की आशंका है, बार-बार लोगों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्निर्माण नहीं किया।

ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

मान्यवर, सरकार किस तत्परता से इस सम्बन्ध में काम कर रही है, यह 524 लाख रुपये के आगमन से स्पष्ट हो जाता है, आपको इसके सम्बन्ध में जानकारी भी नहीं थी और हमने भारत सरकार को यह आगमन भेज भी दिया। इतना ही नहीं हमने भारत सरकार के अधिकारियों को बुलाकर स्थल निरीक्षण भी करा दिया है और उन्हें यह समझा दिया है कि यह प्लान बनना जरूरी है। आप सौभाग्यशाली हैं कि कुछ ही दिनों बाद माननीय खण्डूरी जी क्षेत्र के भ्रमण के लिए आ रहे हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप उनसे 524 लाख के इस प्लान के अतिरिक्त और पैसा भारत सरकार से इस कार्य के लिए मांग लीजिए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, पैसा मांगना सरकार का कर्तव्य बनता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूँ कि पैसा मांगना सरकार का कर्तव्य है और सरकार ने अपना कर्तव्य पूरा भी किया है। हमने 524 लाख रुपये का आगमन भारत सरकार को भेज दिया है लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं हुई है। ऐसा भी पहली बार हो रहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा कुम्भ मेले के लिए पैसा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूँ कि इससे पहले कभी केन्द्र सरकार द्वारा पैसा नहीं दिया गया। इस बार पहली बार कुम्भ मेले के लिए भारत सरकार से पैसा आ रहा है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

मान्यवर, हमारे बहुत अनुरोध के बाद केन्द्र सरकार ने पैसा देना स्वीकार किया है लेकिन फिर भी उतना पैसा नहीं मिल रहा, जितना हमने मांगा है।

श्री अध्यक्ष—

माननीया सदस्य श्रीमती विजय बड़थवाल तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्रहण करता हूँ।

अब हम अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(भोजनावकाश)

(श्री अध्यक्ष के पुनः 3.00 बजे अपराह्न पीठासीन होने पर)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे 2003-2004 के आय-व्ययक के सामान्य चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी। मान्यवर, यह उत्तरांचल

राज्य हमने इसलिए बनाया था कि हमारी गरीबी दूर हो और पिछड़े क्षेत्र का चहुँमुखी विकास हो, इस भावना को मद्देनजर रखते हुए जनता ने संघर्ष किया था। मैंने 2003-2004 के बजट को पढ़ा और सुना जिससे बड़ी निराशा हुई। बजट में नया चिन्तन और नया नियोजन नहीं दिखायी दिया। मैं यह कहता हूँ कि यह बजट ऋण और ब्याज से युक्त है जिसका बोझ हमारी जनता पर पड़ रहा है। राजस्व का 84 प्रतिशत भाग हमारे कर्ज में और ब्याज में जाता है, उसकी हम चिन्ता करें। शेष जो थोड़ा हिस्सा बचता है उससे हम कैसे राज्य का विकास करेंगे। जो हमारे पास आंकड़े हैं, आज प्रति व्यक्ति तीन हजार दो सौ के कर्ज से लदा पड़ा है। 2001-2002 में 1101 करोड़ रुपये का कर्जा लिया, वर्ष 2002-2003 में 2181 करोड़ रु० का कर्जा लिया गया। मुझे जानकारी मिली है कि 2003-2004 में 2660 करोड़ रुपये का कर्जा लिया जायेगा और इस प्रदेश की जनता को कर्ज के बोझ में घकेल दिया जायेगा। मुझे ऐसा लगता है कहावत है कि जब तक जियो उधार का घी पीकर जीयो। इस प्रदेश का विकास कर्जा लेकर के नहीं हो सकता है। जब मैं प्रदेश की हालत को देखता हूँ तो मुझे एक शेर याद आता है "किस-किस की नजर को देखें हम सब की नजर में रहते हैं, किस्मत ऐसी मिली है हर वक्त गम में रहते हैं"। मान्यवर, मेरे साथियों ने मुझे बड़े आराम से रखा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपने एक साथी की बलि दी है।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)—

मान्यवर, यह बजट मावण तो है नहीं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, आपने कहा इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। हमने किसी मंत्री को इस्तीफा देने को नहीं कहा किसी मंत्री पर आक्षेप नहीं लगाया। इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए थी और जो दोषी होता उसे दण्डित करते। तब तो बात अच्छी होती। हमारे एक माननीय सदस्य को यहां से लज्जित होकर जाना पड़ा, यह बड़े दुख की बात है।

मान्यवर, यह घाटे का बजट है। अनुमानित घाटा रु० 829.33 करोड़ बताया गया तथा शुद्ध घाटा 382.46 बताया गया। मान्यवर, जब हम घाटे में ही चल रहे हैं, तो विकास कहाँ से होगा। अगर घाटे को कम कर दिया जाता तो उत्तरांचल का चहुँमुखी विकास होता। मान्यवर, नॉन प्लान का बजट कम होना चाहिए और प्लान का बजट अधिक होना चाहिए। अगर प्लान का बजट अधिक होगा तो उत्तरांचल का चहुँमुखी विकास होता। मगर मैंने देखा नॉन प्लान का बजट अधिक है और प्लान का बजट कम है। इस तरह के बजट से क्षेत्र का विकास कैसे होगा। मान्यवर, बजट में कहीं पर मितव्ययता का उल्लेख नहीं है। कहीं पर भी फिजूलखर्ची को नियंत्रित करने का उल्लेख नहीं है। गरीब जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। फिजूलखर्ची को रोकने के कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। कितना अच्छा होता विदेश यात्रा पर नियंत्रण होता, नई गाड़ियाँ नहीं खरीदी जाती तथा बीजल और पेट्रोल पर नियंत्रण किया जाता। मान्यवर, टेलीफोन पर नियंत्रण होता, बिजली पर नियंत्रण होता तो यह पैसा राज्य के विकास कार्यों पर लगता।

मान्यवर, एक संगीन मामला मैं यहां पर आपके संज्ञान में ला रहा हूँ। उत्तरांचल में गरीब जनता निवास करती है। यहां की गरीब जनता अपने जीवन-यापन के लिए तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए दर-दर की टोकरे खाने को मजबूर हैं। मान्यवर, एक तरफ तो हम कर्जा ले रहे हैं दूसरी तरफ इसी देहरादून में जिसे अभी स्थाई राजधानी

नहीं कहा जा रहा है सचिवों के आवास राजपुर जाखन-में टाइप-5 के 14 आवास 4.35 करोड़ रुपये की लागत से बनाये गये हैं। ये मकान बहुत ही आलीशान बनाये गये हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप माननीय मंत्रीगणों के तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास को देखें तथा जो आवास सचिवों के लिए बनाये गये उनको भी देखें, तो आपको अन्तर स्पष्ट मालूम देगा। मान्यवर, जब यह राजधानी अस्थाई है तो यहाँ पर इतने महंगे आलीशान आवास क्यों बनाये जा रहे हैं यह तो जनता के पैसे का सीधा-सीधा दुरुपयोग है। जो विधायकों के लिए आवास बनाये गये हैं वे बिल्कुल कबूतरखाना जैसे बने हैं। उनमें न तो रोशनदान हैं, कमरे छोटे हैं और जितने कमरे निर्धारित थे उससे एक कमरा कम है। जहाँ सचिवों के एक-एक आवास पर 50-60 लाख रुपये खर्च किये गये हैं वहीं विधायकों के एक-एक आवासों पर मात्र 8 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। मान्यवर, जो अपर सचिव के आवास बने हैं, उन पर विधायकों के आवास से ज्यादा खर्च हो रहा है। सरकार को इस पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे गरीब जनता के घन का दुरुपयोग न होने पावे। राजस्व बढ़ाने के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। यहाँ पर इस समय माननीय वन मंत्री जी नहीं हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ वन निगम में टैंडर के द्वारा लकड़ी का दुलान होना चाहिए। इससे 450 करोड़ रु० का प्रतिवर्ष लाभ मिल सकता है। मगर यह कार्य मस्टर रोल पर किया जाता है और पैसे का दुरुपयोग होता है। डिपो में खैर की लकड़ी सड़ रही है, यदि इन लकड़ियों की नीलामी हो जाय तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। यदि हर विभाग रोजगारपरक योजनाएँ बनाता तो उत्तरांचल की जनता जो रोजगार के लिए देश-विदेश में न घूम रही होती। उनको भटकना न पड़ता। सरकार ने औद्योगिक नीति बनायी है। मान्यवर, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन यह नीति सीमित रह जायेगी इससे आम जनता को लाभ मिलने वाला नहीं है। मान्यवर, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना लागू की गयी थी। मगर जब इसकी समीक्षा करेंगे तो पायेंगे इससे किसी बेरोजगार नव युवक को रोजगार नहीं मिल पाया है। बैंक वाले ऋण देने में परेशान करते हैं। मान्यवर, ऐसी नीति बनायी जानी चाहिए जिसको हम घरातल पर ला सकें तथा गरीब जनता का इससे भला हो सके। हम केन्द्र सरकार के आगारी हैं उन्होंने हमें एक औद्योगिक पैकेज दिया। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस बजट को घरातल पर लायें।

मान्यवर, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर सभी मंत्रीगण, सत्तापक्ष के सभी विधायक तथा सम्पूर्ण विपक्ष के सभी सदस्य मौजूद हैं। जो यह बजट बनाया गया है इसमें कितने माननीय मंत्रियों तथा विधायकों की राय ली गयी है। अच्छा होता इसमें माननीय सदस्यों तथा माननीय विधायकों की राय ली जाती। मान्यवर, एस०एस०डी० में योजना घन की गयी, अच्छा होता यदि इसमें भी माननीय प्रत्येक विधायक की राय ली जाती। अफसरों ने मनमाने तरीके से इसमें कुछ बातें रखी तथा कुछ बातें छोड़ दीं। मान्यवर, आय-व्यय की एक समिति डोनी चाहिए। लोक लेखा, प्राक्कलन, आवास आदि समितियाँ बनायी गयी हैं, परन्तु आय-व्यय की समिति नहीं बनी है। मैं इस समिति की मांग करता हूँ। मान्यवर, अच्छा होता इस बजट को माननीय मंत्रीगण, तथा सभी माननीय विधायकगण मिल बैठकर बनाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया यह बजट गोपनीय बनाया गया। मान्यवर, हमें केवल इस बजट को "हाँ" और "ना" में पास करना है।

हम चुने हुए जनप्रतिनिधियों का मान-सम्मान इस सदन में नहीं होगा तो कहाँ होगा। मान्यवर, मैं चाहूँगा कि भविष्य में माननीय मंत्रीमणों और माननीय विधायकों की राय लेकर बजट बनाया जाए। मान्यवर, कितनी हैरानी की बात है कि एक मंत्री कहता है कि मेरी राय नहीं ली।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (डा० "श्रीमती" इन्दिरा हृदयेश)—

मान्यवर, आपसे किस माननीय मंत्री ने कहा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूँगा। मान्यवर, कितना अच्छा होता कि आप सभी की राय लेकर बजट बनाते। (व्यवधान) मान्यवर, श्री हरक सिंह रावत की विदाई हुई। हमारी विदाई हुई। तो यह होता रहता है। हमेशा कोई कुर्सी पर नहीं रहता है। अगर कुर्सी पर रहकर कोई चमत्कार कर दे तो अच्छा होता। मान्यवर, पुनरीक्षित आगमन के बारे में कहना चाहता हूँ। पुनरीक्षित आगमन पर रोक लगानी चाहिए।

डा० "श्रीमती" इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, आपको बता दूँ कि इसकी राजाशा हो गई है, इसकी प्रति भिजवा देंगे।

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, ऐसा किया तो अच्छा हुआ। मान्यवर, 80 प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है। मान्यवर, गांव का गरीब किसान, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाला इंसान, बेरोजगार, नौजवान महिलाओं का सम्मान और उत्तरांचल सरकार को नहीं है इसका ज्ञान। मान्यवर, आपने कमाल किया है कि एक मंत्री को हटा दिया।

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य कृपया विषय पर बोलें, बार-बार टिप्पणी करना ठीक नहीं है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, थोड़ी सी समालोचना है, आलोचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

कृपया समाप्त करें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य की जनता हमारे भाई-बहन हैं उनके दुख-दर्द दूर करने की हमारी क्षमता होनी चाहिए। मान्यवर, मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि आप टेंडर नीति में सुधार लायें ताकि हमारे छोटे भाईयों को रोजगार मिल सके। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो मस्टर रोल आपने बन्द कर दिया उसकी वजह से सारी सड़कें बन्द हो गयी हैं। मान्यवर, यदि मस्टर रोल में आदमी लगायेंगे तो सड़कें खुलेंगी। मान्यवर, कई वर्षों से मुआवजा नहीं बांटा, यदि मुआवजा बांट दें तो ठीक होगा। मान्यवर, 77 उद्यान पूंजीपतियों को दे दिए गए अच्छा होता कि वे बेरोजगारों को दे देते। मान्यवर,

मुझे पूछा जा रहा था कि क्या नियम है माननीय मंत्री जी से पूछा जा रहा था उन्होंने कहा मुझे कुछ पता ही नहीं है। मान्यवर, ये जो 77 उद्यान हैं ये क्षेत्रीय लोगों को दे दीजिए, उनको फायदा होगा। यदि बड़े पूंजीपतियों को देंगे तो केवल उन्हीं का पेट भरेगा, नौजवानों का, बेरोजगारों का मला नहीं होगा। मान्यवर, अफसरशाही पर नियंत्रण होना चाहिए, इसी के कारण एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। मान्यवर, भ्रष्टाचार पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, कितना अच्छा होता यदि उत्तरांचल भ्रष्टाचार से मुक्त होता, यदि हमारी जनता सुख-शांति से रहती तो ठीक होता।

मान्यवर, उत्तरांचल में व्यवसायी खेती पर बल देना चाहिए। माननीय कृषि मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं मैं उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि व्यवसायी खेती पर बल दें। मान्यवर, मैं बागवानी के सम्बन्ध में भी माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि फल-पट्टी बनायें। मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वे पर्यटन के क्षेत्र में विशेष ध्यान दें। एक करोड़ १० की लागत का एक पर्यटन आवास गृह जसोली, रानीगढ़, रुद्रप्रयाग में एकदम वीरान पड़ा हुआ है, वहां पर बकरियां घुमती हैं और एक करोड़ की लागत के इस भवन का दुरुपयोग हो रहा है। मान्यवर, पशुपालन मंत्री जी ने कहा कि इसे उद्योग का दर्जा दूंगा, यदि ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा। मान्यवर, मैं अनुरोध करता हूँ कि कृषि, बागवानी, पशुपालन आदि को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए इससे छोटे-छोटे लोगों को रोजगार मिलेगा। मान्यवर, रेशम की बर्चा अभी आयी थी, रुद्रप्रयाग में धारकोट गांव में एक रेशम फार्म है, वहां पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ कर्मचारी तनखाह ले रहे हैं और वे कुछ भी नहीं करते। तो मान्यवर, ऐसे रेशम फार्म चलाकर क्या करना है। मान्यवर, मैं माननीय इन्दिरा इन्दयेश जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि क्योंकि आप सीनियर मोस्ट मंत्री हैं सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई भी इकाई हमारी घाटे में न जाए।

श्री अध्यक्ष—

कण्डारी जी, कृपया समाप्त करें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, दो शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। माननीय पेयजल मंत्री जी कह रहे हैं कि हम पानी दे रहे हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि 2-3 किलोमीटर की दूरी से लोग पानी का ढुलान कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपकी पीठ का सम्मान करता हूँ और अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस उत्तरांचल की जनता के हित वाला बजट होना चाहिए और इसमें जो खामियां रह गयी हैं उनको सरकार दूर करेगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

काफी सदस्यों को बोलना है, कृपया समझ का ध्यान रखें, और प्रत्येक सदस्य के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित करता हूँ।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, जब हम लोग विधान सभा परिसर में प्रवेश करते हैं तो चूकि गाड़िया बाहर ही रहती हैं। डाइपर और गनर बाहर ही रहते हैं और बाहर उनके पीने के पानी

की व्यवस्था नहीं है तो कृपया इसके लिए आप निर्देशित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसकी व्यवस्था करें।

डा० "श्रीमती" इन्दिरा द्विवेदी—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने पानी के बारे में कहा तो कल से वहां पर एक टैंकर की व्यवस्था करवा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

कृपया समय कम है इसलिए संक्षेप में माननीय सदस्य अपनी बातें रखें।

श्री नारायण राम आर्य—

मान्यवर, आपने मुझे सन् 2003-2004 के बजट पर सरकार की तरफ से बोलने का अवसर प्रदान किया है इसके लिए मैं आपका अति आभारी हूँ। मान्यवर, हमारी सरकार ने निरंतर अनुश्रवण एवं नियंत्रण से इस वित्तीय असंतुलन को दूर करने का 2002-2003 में प्रयास किया गया है और कमी भी घन की कमी नहीं होने दी। जिसके फलस्वरूप 2002-2003 में केवल 30 दिन जोवर ड्राफ्ट की स्थिति में रहे। इसके लिए हम नेता सदन और विकास पुरुष श्री नारायण दत्त तिवारी जी को साधुवाद देते हैं। मान्यवर, सरकार ने निरंतर जन समस्याओं का समाधान करने लिए ध्यान दिया है और यहां तक व्यापार कर के क्षेत्र में जो हमारे सरकारी भवन नहीं है समस्त कार्यालय किराए पर चल रहे हैं सरकार ने इसके लिए घन तथा कम्प्यूटरीकरण करने के लिए इस बजट में प्राविधान किया है। इसी प्रकार हमारी सरकार ने आवकरी में सिंडीकेट को तोड़ने के लिए पुरानी परम्परा को अपनाया है और इसके लिए चौकियों की स्थापना की।

मान्यवर, विद्युतीकरण लगभग 84% गांवों की हो चुकी है। इस वर्ष लगभग 800 ग्रामों व 800 तोकों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है और 40,000 कुटीर ज्योति के कनेक्शन गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए इस बजट में प्राविधान रखा गया है। यह भी सरकार का सराहनीय कदम है इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की है जिससे अधिक से अधिक समाज के दबे निचले बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित होने का अवसर मिलेगा। मान्यवर, कक्षा-1 से कक्षा-8 तक के समस्त छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरित किये जाने का लक्ष्य है। समस्त राजकीय हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों को कम्प्यूटर की शिक्षा से जोड़ दिया गया है। सन् 2003-2004 में मान्यता प्राप्त कालेजों को भी कम्प्यूटर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। इसके अतिरिक्त पेयजल के संबंध में भी 128 बंद पेयजल योजना को पुनः चालू किया गया है यह भी सराहनीय कदम है। तुरंत राहत के लिए हैण्डपम्पों की व्यवस्था हमारे माननीय पेयजल मंत्री जी द्वारा की गयी है जिसकी चारों ओर समाज में प्रशंसा हो रही है और यह सराहनीय कदम है और 40 नगरीय क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन हेतु 10 करोड़ रु० का प्राविधान रखा गया है लेकिन मैं माननीय पेयजल मंत्री जी से यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि समाज के दबे कुचले लोगों के लिए एक पृथक से, जैसे कुटीर ज्योति योजना है वैसे ही हरिजन पेयजल योजना शुरू करें। जिससे इस समाज

को भी प्रयोजन सुविधा पूर्व की भांति मिलती रहे।

मान्यवर, और इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने खेलकूद के क्षेत्र में सराहनीय काम किया है। देहरादून में स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए धनराशि दी गई है। मुझे विश्वास है कि सरकार पिछड़े जनपद पिथौरागढ़ में भी इसके निर्माण में सहयोग प्रदान करेगी।

चिकित्सा के क्षेत्र में भी सरकार ने सराहनीय कदम चठाये हैं, किन्तु मुझे खेद है कि पिथौरागढ़ में बेस चिकित्सालय की स्थापना नहीं की गई है। जनपद पिथौरागढ़ में भी बेस चिकित्सालय की स्थापना की जाये। सरकार ने 4 घाम यात्रा से संबंधित अवस्थापना सुविधाओं आदि के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है यदि पिथौरागढ़ में रई झील का प्रस्ताव भी इस बजट में शामिल कर लिया जाता तो वहां की जनता भी सरकार पर अटूट विश्वास रखती। मान्यवर, मैं समाज कल्याण मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उन्होंने जो आश्रम पद्धति के विद्यालय चल रहे हैं, उनमें छात्रावास और विद्यालय भवन के लिए धन की व्यवस्था है, यह सराहनीय कदम है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। जैसा कि कल माननीय प्रदीप टम्हा जी ने कहा था, मैं उनकी भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करता हूँ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग बड़े विश्वास के साथ कांग्रेस को सत्ता में लाये हैं। मान्यवर, जहां-जहां कांग्रेस शासित सरकारें हैं वहां बैकलॉग भरने की प्रक्रिया चालू की गई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार बैकलॉग को भरे और उन दबे, कुचले लोगों का जो अटूट विश्वास सरकार पर है, उसे बनाये रखे और साथ ही साथ जो निपुक्तियां होती हैं जैसा कि शासनादेशों में स्पष्ट है और आरक्षण नियमावली में केवल प्रदेश स्तर को ही इकाई माना गया है। मेरा अनुरोध है कि आरक्षण नियमावली में केवल इस प्रदेश के लोगों को ही स्थान दिया जाये ताकि समाज का विकास हो सके। इसके अतिरिक्त बजट में कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की गई है। कर्मचारियों को एल0टी0सी0 तथा नगदीकरण की सुविधा नहीं दी गई है। मेरा अनुरोध है कि कर्मचारियों की इस समस्या का भी समाधान किया जाये और जो सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक हैं उनको चिकित्सा सहायता प्रदान की जाये। धन्यवाद। (तालियां)

श्रीमती विजय बड़थवाल—

मान्यवर, बजट भाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। यह उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित सरकार का दूसरा बजट है। मान्यवर, जैसा कि इस नवोदित राज्य की जनता की अपेक्षा थी। इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी इतने अनुभवी हैं कई बार इस बजट में भी जिक्र आया है कि आठ बार उन्होंने उत्तर प्रदेश का और दूसरी बार उत्तरांचल प्रदेश का बजट रखा है। अवश्य ही उत्तरांचल जो एक पर्वतीय राज्य है जिसमें जनता को बहुत अपेक्षाएँ थीं कि हमारा नया राज्य बनेगा और पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याएँ दूर होंगी लेकिन उन जन आकांक्षाओं के अनुरूप यह बजट नहीं है। मुझे तो यह महसूस होता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश और केन्द्र में बजट पेश किया है लेकिन वे शायद नहीं जानते कि पर्वतीय क्षेत्र में किस तरह का बजट होना चाहिए। वे इसे जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं बना पाये। जिस तरह का बजट उत्तर प्रदेश में रहता था उसी तरह का बजट यहां पर भी आया है। पिछले बजट के बारे में तो हमने यही सोचा था कि अभी नया राज्य है नयी

परिस्थितियाँ हैं और इस बार उसमें कुछ सुधार अवश्य होगा, लेकिन जिन बातों का समावेश बजट में होना चाहिए था वह कहीं नहीं दिखाई देती है।

मान्यवर, सबसे पहले वित्तीय प्रबंधन की बात है तो इसमें यह देखा जाना चाहिए था कि किस तरह की सुविधायें सरकारी कर्मचारियों को दी जानी चाहिए, चाहे वे अध्यापक हों या डाक्टर हों या इंजीनियर हों। आज जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर कोई जाने को तैयार नहीं होता है तो इसमें ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि ये कर्मचारी उन इंडीरियर इलाकों में भी जाने को तैयार हों। यदि उन इलाकों का विकास रुका हुआ है तो यह इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि वहाँ पर कोई कर्मचारी जाने को तैयार ही नहीं होता है, बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में कार्य होते हैं उनकी कोई मानीटरिंग, अनुश्रवण नहीं किया जाता है। जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब भी वहाँ पर एक पर्वतीय विकास मंत्रालय गठित था, उसके बाद भी यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ था। वही स्थिति आज भी वहाँ पर है उसके लिए विशेष व्यवस्था बजट में होनी चाहिए थी कि जो क्षेत्र विकास की मुख्य धारा में आने से रह गये हैं उन्हें उस धारा से जोड़ने के प्रयास बजट में होने चाहिए थे। इसके अलावा जो छोटे-छोटे कार्य टाइम ओवर टर्न और कास्ट ओवर टर्न के कारण नहीं होते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था भी बजट में की जानी चाहिए थी। आबकारी के विषय में मैं कहना चाहती हूँ कि जो शराब की तस्करी को रोकने के लिए मात्र 13 चौकियाँ बनाई गई हैं वह बहुत कम हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में तस्करी का कार्य हो रहा है, आपकी जो आबकारी नीति है वैसे तो हमारे प्रदेश की महिलायें पूर्ण शराबबन्दी की पक्षधर हैं, और वैसे भी पर्वतीय राज्य में शराब की निबन्धी नहीं होनी चाहिए।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र की जो मुख्य आवश्यकता है, वह सेतुओं और सड़कों के निर्माण की है।

मान्यवर, पर्याप्त रूप से यातायात के साधन उपलब्ध न हो पाने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में विकास के कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी कई गाँव ऐसे हैं जिनमें पहुँचने के लिए 20-25 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। इस समस्या के निराकरण के लिए पूरे पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन इस ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। मान्यवर, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे उत्तरांचल राज्य में एक असंतुलन की स्थिति पैदा हो गयी है, मैदानी क्षेत्रों में तो सड़कों का जाल बिछ गया है लेकिन दूर-दराज के गाँवों में यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है। आज हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की अनदेखी की जा रही है। 70 तथा 80 के दशकों में जिन सड़कों का निर्माण किया गया था आज उनकी स्थिति बहुत जर्जर हो गयी है, उनको ठीक करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र राजधानी से ज्यादा दूर नहीं है और देहरादून को सबसे कम दूरी से पौड़ी जिले से जोड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज मेरे क्षेत्र की कोई भी सड़क पूर्ण रूप से दमरीकृत नहीं है। यदि गंगा नदी में लक्ष्मण झूला पर एक पुल बना दिया जाय तो 25 किलोमीटर घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। मान्यवर, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए सड़कों और पुलों का निर्माण करना आवश्यक है और इस कार्य

में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी होगी, जो यातायात की सुविधा से वंचित हैं।

मान्यवर, ऊर्जा के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहती हूँ, उत्तरांचल राज्य में ऊर्जा की अपार सम्भावनाएँ हैं लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों ने पूर्व में उल्लेख किया कि यहां का जल और यहां की जवानी उत्तरांचल के काम नहीं आए। निश्चित रूप से मैं इस बात का समर्थन करती हूँ। यहां का नौजवान पढ़ने-लिखने के बाद भी रोजगार की तलाश में मैदानी क्षेत्रों में पलायन कर जाता है और नदियों का पानी भी बह कर निचले क्षेत्रों में चला जाता है। जल सम्पदा को बचाये रखने के लिए आवश्यक है कि यहां पर बड़ी-बड़ी परियोजनाएँ न बनाकर छोटी-छोटी योजनाओं में धन खर्च किया जाय। हमारे यहां बड़ी-बड़ी नदियों के अलावा छोटी-छोटी नदियाँ भी हैं, उन पर बांध बनाकर सिंचाई, पेयजल और विद्युत की समस्या से निजात पायी जा सकती है, साथ ही उनमें कुटीर उद्योग भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास इस बजट में परिलक्षित नहीं हो रहा है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे यहां जितनी बिजली पैदा की जाती है, उसका उपयोग नहीं हो पाता है। हमारे यहां ऊर्जा में कई तरह के घोटाले भी सामने आए हैं, जैसे—कॉमर्शियल यूज के लिए घरेलू दर पर बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है, जिससे सरकार को राजस्व घाटा हो रहा है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

मान्यवर, ऊर्जा निगम का वार्षिक घाटा रु० 98.11 करोड़ से बढ़कर 204.95 करोड़ रु० की स्थिति में है। जब ऊर्जा निगम एक रुपया प्रति यूनिट बिजली खरीदता है। इस तरह की जो हमारी ऊर्जा निगम की व्यवस्था है जिस से हमको फायदा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा ठीक से रखरखाव और उचित व्यवस्था न होने के कारण हमको घाटा हो रहा है। इस घाटे का माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी स्वीकारा है। ऊर्जा निगम की आवश्यक निगरानी करनी चाहिए और बिजली चोरी को रोकना चाहिए।

मान्यवर, तीसरा प्रश्न है मेरा, कि उत्तरांचल में पेयजल की समस्या भयंकर रूप ले चुकी है। यह सरकार पेयजल के संकट को दूर नहीं कर पा रही है जबकि केन्द्र सरकार से इसमें करोड़ों रुपये दिया जा रहा है। मान्यवर, जो पेयजल योजनाएँ बनायी जाती हैं उसको इंजीनियर शहर में बैठकर बनाता है, इस तरह से हमारी पेयजल की योजनाएँ बनती हैं, उसे नानटैक्नीकल आदमी बनाता है, जिस कारण से वहां पानी नहीं पहुंच पाता है। मान्यवर, योजनाएँ तो बनती हैं लेकिन उसका रखरखाव नहीं हो पाता है। इस तरह से एक-दो साल तक तो पानी पहुंचता है उसके बाद इस योजना को ढाई तीन सौ रु० के फीटर के मरोसे छोड़ दिया जाता है। वहां पर कोई अधिकारी या इंजीनियर इस योजना को देखने नहीं जाते हैं। मान्यवर, स्वास्थ्य के विषय में उत्तरांचल की एक अवश्यकता है कि महिलाओं के लिए यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले भी गये हैं लेकिन वहां पर कोई भवन की व्यवस्था नहीं है, ए०एन०एम० सेंटर भी कुछ बनाये गये हैं लेकिन ए०एन०एम० वहां पर मौजूद नहीं रहती हैं। मैं पौड़ी जिले की बात कहूंगी कि सी०एम०ओ० या उसके नीचे जो भी अधिकारी बैठे हैं वह वहां पहुंच नहीं पाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगी कि वह फिक्स कर दें कि सी०एम०ओ० द्वारा छः माह में एक बार इनका निरीक्षण होना चाहिए जिससे कि वहां कर्मचारी और डाक्टर लगातार अपने स्थान पर रहें। मान्यवर, जो बजट बनाया गया है मुझे लगता है कि यह उत्तरांचल

के पर्वतीय क्षेत्र की व्यवस्थाओं को देखकर नहीं बनाया गया है। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करती हूँ।

मान्यवर, जिन बातों का अभी यहां पर उल्लेख किया गया है उनको इस बजट में शामिल किया जाए और इसमें सुधार किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आपने मुझे आय-व्यय पर सामान्य चर्चा में बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद देती हूँ।

श्री नारायण पाल—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने आय-व्यय पर सामान्य चर्चा में बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, जब तक यह बजट पेश नहीं हुआ था मुझे आशा थी कि इस बजट में उत्तरांचल की जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उनका उल्लेख होगा किन्तु बजट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह बजट, जो उत्तरांचल की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उनको छोड़कर बनाया गया है। राज्य को ज्यादा समृद्ध बनाने की दिशा में बजट में कोई प्रयास नहीं किया गया है। मान्यवर, मैं पहला वक्ता हूँगा जिसे आप कह ही नहीं पायेंगे कि कम बोलो। मान्यवर, आज दुनिया में जितने भी झगड़े हैं उनके मूल में अर्थ है। मैं देखता हूँ कि राज्य में जितने भी आंदोलन हो रहे हैं उनके पीछे केवल अर्थ ही होता है। राज्य बनने के बाद राज्य के लोगों की अपेक्षाएँ थी जब वे पूरी नहीं होती तो लोग आंदोलन तथा प्रदर्शन करने को मजबूर हुए। उसकी ही परिणति है कि आज शिक्षा बन्धु आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। वे अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं तो उसके पीछे भी अर्थ है। सरकार यह कह देती है कि सरकार घाटे में है उसके पास पैसा नहीं है। इसलिए विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। हमारा राज्य एक नया राज्य है। आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं है। विरासत में हमें बहुत सारी कमियाँ मिली हैं लेकिन मुझे तब बहुत दुख होता जब मैं देखता हूँ कि मेरे क्षेत्र सितारगंज में मछली के ठेके दिये जाते हैं आज भी उस पर जो पैसा वसूल करता है वह उत्तर प्रदेश शासन करता है जब कि इसे हमें वसूल करना चाहिए इससे हमारे राज्य की आय बढ़ती। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कोई कमी है।

मान्यवर, दूसरी घटना मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चल रही है और मेरे क्षेत्र में कई सड़कें बनायी जा रही हैं। इन सड़कों के बारे में मैंने कई बार उत्तरांचल सरकार को लिखा और उस योजना से सम्बन्धित जो अधिकारी हैं, उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से मिला। जिस तरीके से सड़कें बनायी जा रही हैं और जो पॉलिसी इन सड़कों को बनाने की है, उसकी शिकायत की। मान्यवर, दो तारीख को डी0एम0 ऊष्मसिंह नगर तथा कमिश्नर कुमाऊँ मण्डल ने उन सड़कों पर जाकर उनका सत्यापन किया। मान्यवर, ठेकेदार एक किलोमीटर से मेटिरियल को लाता है, लेकिन 70 किलोमीटर से मेटिरियल लाने पर कमेंट किया जाता है। मान्यवर, 6 सड़कों पर काम किया जा रहा है, इनसे राज्य सरकार को डेढ़ से दो करोड़ रु० का घाटा निश्चित रूप से होगा। मान्यवर, तीसरी घटना 132 के0वी० तथा 200 के0वी० का बिजली घर जो बनाया जा रहा है, इस सम्बन्ध में, मैंने व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों से कहा, उन्हें लिखकर दिया, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है। मान्यवर, सितारगंज में सरकारी जमीन होने के बावजूद अधिकारियों ने मू-स्वामियों की जमीन खरीदी। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कर्नल फार्म है, जो 100 एकड़ जमीन पर था, जिसको धीरे-धीरे उन्होंने लोगों को

बैच दिया। मान्यवर, यह जो करोड़ों रु0 का नुकसान हो रहा है क्या सरकार को कहीं दिखवाई नहीं दे रहा है। मान्यवर, अब मैं जिस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कभी आपने वहाँ का प्रतिनिधित्व किया है। यहाँ 4-5 हजार की आबादी के लोग रहते हैं। यहाँ पर आप भी कभी नाव से गये होंगे। स्टेट प्लान के अन्तर्गत एक करोड़ रु0 मिला था, लेकिन प्रदेश सरकार से आग्रह करने के बावजूद डेढ़ करोड़ रु0 न मिलने के कारण यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं हो सका है।

मान्यवर, देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर तथा नैनीताल आदि विकसित जनपद हैं, लेकिन जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर पानी की बहुत कमी है। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक साल में पेवजल की व्यवस्था दुरुस्त करने का वादा किया, उसके बाद इस सरकार ने भी वादा किया मगर समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। इतिहास गवाह है प्रदेश ने देश को 10 नदियाँ दी हैं, परन्तु प्रदेश के कुछ क्षेत्र आज भी प्यासे हैं। मान्यवर, टिहरी बांध बन रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ। मान्यवर, सगीपवर्ती राज्यों को पानी-बिजली देने की बात सरकार कर रही है, लेकिन उत्तरांचल के लोग आज भी पानी-बिजली से वंचित हैं। मान्यवर, आज हमारे यहाँ पहाड़ के नौजवान अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। मान्यवर, मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जहाँ पर कुटीर उद्योग नहीं होंगे, हर हाथ को काम नहीं मिलेगा तो वहाँ का नौजवान अपराध की ओर बढ़ेगा।

मान्यवर, मैं माननीय वन्ना मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि गरीब किसानों को उनका 190 करोड़ रुपया नहीं दिया। मान्यवर, अव्यवहारिक योजनाओं पर पैसा लगाने की क्या जरूरत है। मान्यवर, संघार में कुछ नहीं हुआ है, अगर कुछ हुआ भी है तो वह सिर्फ कम्प्यूटर की खरीद हुई है। यह मैं सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूँ। मान्यवर, परम्परागत रूप से खनन, जड़ी-बूटी, पर्यटन, बिजली-पानी की ओर ध्यान देने तो कल हम एक अच्छे राज्य की कल्पना कर सकते हैं। मान्यवर, हल्द्वानी में एक आई0ए0एत0 अधिकारी ने कहा था कि 95 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी मृत समान हैं। मैंने उस टिप्पणी का विरोध भी किया। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में सैन्चूरी पेपर मिल, एच0एम0टी0 आदि कई कारखाने हैं जो आज निरन्तर घाटे की ओर जा रहे हैं। मैं महसूस करता हूँ कि कहीं न कहीं सरकार में कोई कमी है। माननीय अध्यक्ष जी, इस औद्योगिक नीति पर मैं थोड़ी टिप्पणी करना चाहता हूँ। मान्यवर, उद्योगपतियों ने अपेक्षाएँ की थीं कि उत्तरांचल राज्य में नये-नये उद्योग धन्धे स्थापित करने के लिए सरकार की नीति सही होगी तो यहाँ उद्योग लगायेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि यह जो उद्योग नीति है, यह बेकार है और नकारा साबित होगी। मान्यवर, आप सरकारी विभागों से पता कर लें कि कितने उद्योग धन्धे स्थापित हुए हैं। मान्यवर, मैं इस बजट का विरोध करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री विजय पाल सिंह सजवाण—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बजट चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने दीर्घ अनुभव के अनुरूप नवोदित उत्तरांचल राज्य को एक विकासोन्मुखी बजट माषण में इस बजट के माध्यम से सदन में प्रस्तुत किया है। निसंदेह यह बजट उत्तरांचल के विकास में मील

का पत्थर साबित होगा। मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने राज्य में आय के स्रोत सीमित होते हुए भी उत्तराखण्ड की जनता के आशाओं के अनुरूप कोई अतिरिक्त कर नहीं बढ़ाया है, इससे राज्य की जनता को निश्चित रूप से राहत होगी।

मान्यवर, जहाँ एक ओर इस बजट में राजकोषीय घाटे में सुधारकर आय-व्ययक अनुमान रु० 2317 करोड़ के सापेक्ष घटाकर रु० 1844 करोड़ अनुमानित किया गया है। इसके लिए मैं अपनी सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, जहाँ आयोजनागत व्यय के स्तर में काफी वृद्धि की गयी है, वहीं आय में वृद्धि कर सकल घाटे को कम करने के साथ 10वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति की संकल्पना की है। इसके लिए भी मैं अपनी सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, इस बजट में चालू निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने के लिए समुचित व्यवस्था करने को प्राथमिकता दी है ताकि पूर्व में स्वीकृत एवं अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराया जा सके। निर्माण कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है ताकि परियोजनाओं पर नियंत्रण रखा जा सके। मान्यवर, राजकोषीय सेवाओं में मुख्य रूप से व्यापार कर, आबकारी, स्टाम्प एवं पंजीकरण, परिवहन एवं मनोरंजन कर आदि इन सभी क्षेत्रों में प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं सुधार के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिससे जनता को राहत मिल सके। इसके लिए भी मैं अपनी सरकार का आभार प्रकट करता हूँ।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रिमण्डल के सहयोगियों को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारी जो ऊर्जा प्रदेश की परिकल्पना है, उसके अनुरूप 10वीं पंचवर्षीय योजना काल में 3000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के सृजन के लिए कार्य प्रारम्भ करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए मैं माननीय ऊर्जा मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। इस लक्ष्य के सापेक्ष में वर्तमान में टिहरी बांध परियोजना, कोटेश्वर बांध, मनेरी भाली स्टेज-2, विष्णु प्रयाग जो वर्तमान में निर्माणाधीन है, साथ ही लोहारीनाग, पाला, तपोवन, लखाड़ व्यासी, पाला, मनेरी, आदि परियोजना पर कार्य प्रारम्भ करवाया जा रहा है, सरकार ने ऊर्जा प्रदेश बनाने का दृढ़ संकल्प प्रस्तुत किया है। मान्यवर, इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इन परियोजनाओं में जिन किसानों की जो जमीन ली जाती है, उनके परिवारों को समूह "ग" एवं समूह "घ" में उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को परियोजना का लाभ मिल सके और वे इन परियोजनाओं के निर्माण में सहयोग दे सकें।

मान्यवर, इसके साथ ही यह भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने कृषि की भूमि राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने में परियोजनाओं को बनाने के लिए दी है वहाँ पर जो लोग तकनीकी शिक्षा में जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनको राजकीय सेवा में प्राथमिकता दी जाए। मान्यवर, पूरे उत्तरांचल में 445 बन्द और आंशिक बन्द योजनाओं को चालू करने में व हैण्डपम्पों, ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्माण के लिए 40 नगरीय पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन एवं निर्माण के लिए इस बजट में धन का प्रावधान किया है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय पेयजल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा "गंगा प्रदूषण इकाई" के द्वारा जनपद उत्तरकाशी में सीवर निर्माण कार्य चल रहा है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी

को बघाई देता हूँ और वहीं मेरा एक सुझाव है कि जनपद उत्तरकाशी में आंतरिक सीवर लाइन एवं विकास खण्डों में जनसंख्या के दबाव को देखते हुए विकास खण्ड भटवाड़ी, डुण्डा व धिन्याली सौड़ की सीवर लाइनों के प्रस्ताव स्वीकृत किए जायें ताकि इन शहरों से होने वाले गंगा प्रदूषण से मुक्ति मिल सके और यह एक अच्छा कदम होगा।

मान्यवर, उत्तरांचल में खासकर जनपद उत्तरकाशी टिहरी जिले के बूढ़ाकेदार चमोली जनपद दैवीय आपदाओं के प्रकोप से अक्सर प्रभावित होते हैं। इन प्रकोपों से भूकम्प, बाढ़ अतिवृष्टि आदि से गरीब किसान की कृषि भूमि नष्ट हो जाती है और सरकार द्वारा उन्हें किसी प्रकार का उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इन लोगों को नुकसान के हिसाब से उचित मुआवजा दिया जाए और जो शेष जमीन, इस बाढ़ से बच जाती है उसकी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किया जाए। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है इस दैवीय आपदा में जो केन्द्र सरकार के नारम्स हैं उससे बाढ़ सुरक्षा के लिए पैसा नहीं दिया जा सकता जिससे आज भी तमाम गांवों और उन जनपदों के विकास खण्डों में बाढ़ सुरक्षा एवं नहरों के कार्य नहीं हो पाए हैं। उन स्थानों पर बाढ़ सुरक्षा एवं सिंचाई नहरों का निर्माण करवाया जाए। जिस हेतु धन की व्यवस्था आवश्यक है। मान्यवर, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने वन मंत्री जी का और उन्हें बघाई देना चाहता हूँ कि वर्षों से अघर में लटकी परियोजनाओं को स्वीकृति देकर विकास कार्यों को गति दी है। साथ ही बघाई देना चाहता हूँ कि गोविन्द पशु बिहार (गोरी विकास खण्ड) के 45 गांव को इससे मुक्त रखने का प्रस्ताव हमारी सरकार ने भारत सरकार को भेजा है इसके लिए मैं पुनः वन मंत्री जी को बघाई देना चाहता हूँ और साथ ही मेरा सुझाव है कि "गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क" की जो घोषणा की है इसमें मेरा सुझाव है कि विकास खण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत पिलग, हुरी, हर्षिल सुक्खी, बुक्की, रैथल, घसली, मुखवा, तिहार, गनगानी, गोमुख आदि गांवों एवं क्षेत्रों को इस राष्ट्रीय पार्क से मुक्त रखा जाए। जिससे स्थानीय जनता व कारस्तकारों को अपने हक हक्क से वंचित न होना पड़े जिनकी जीविका भेड़ पालन, पशुपालन आदि प्रमुख स्थानीय रोजगार हैं। इससे जहां स्थानीय लोग प्रभावी होंगे वहीं यहां आने वाले पर्यटन पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसमें मेरा सुझाव है कि गोमुख से ऊपर वाली सीमा से पार्क प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को संशोधन के लिए भेजा जाए।

मान्यवर, मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित चिकित्सा व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए सुधारात्मक प्रयास किये हैं। डाक्टरों की नियुक्ति करके चिकित्सा व्यवस्था को नये आयाम दिये हैं। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि हमारे उत्तरांचल प्रदेश में जो ए0एन0एम0 सेन्टर हैं, वहां पर एक फार्मैसिस्ट एक ए0एन0एम0 व दाई की नियुक्ति कर दी जाये जिससे वहां के लोगों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा मिल सके। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बघाई देता हूँ माननीय पर्यटन मंत्री जी को जिनके अथक प्रयास से वर्षों से लटकी दयरा बुग्याल, शीत क्रीड़ा काम्प्लेक्स की मंजूरी दी है अनुरोध है कि उत्तरकाशी एवं पर्यटन व घासिक स्थल गंगोत्री में बस अड्डा निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाये। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि दयरा बुग्याल की तरह कुश कल्याण, बुग्याल ओडिताल, नचकेता ताल आदि पर्यटन स्थलों को विकसित करने हेतु इसी वित्तीय बजट में धन प्रदान करने की कृपा की जाय।

श्री अध्यक्ष—

कृपया समाप्त करें।

श्री विजयपाल सिंह सजवाण—

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भूकम्प, भूस्खलन, बाढ़ आदि दैवी आपदाओं के तहत ग्राम सालू, जामक, दिड़सारी विस, हुण्डा में बागी गांव जो भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त है का शीघ्र पुनर्वास करना अति आवश्यक है। क्योंकि आने वाली बरसात में सैकड़ों लोगों की जान खतरे में हो सकती है। मान्यवर, इनके पूर्ण विस्थापन की व्यवस्था की जानी चाहिये। मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुत बजट के द्वारा सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। इस उत्तरांचल प्रदेश के विकास के लिए पेयजल, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र और वर्ग का ध्यान रखा है। इससे उत्तरांचल राज्य का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री प्रीतम सिंह पंवार—

मान्यवर, आपने मुझे वर्ष 2003-2004 के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट जो घाटे का बजट है और जिसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है। प्रशंसनीय नहीं है, बल्कि निन्दनीय है। क्योंकि भेरा यह मानना है कि नये कर लगाये जाने चाहिए थे। जिन वर्गों पर नये कर लगाये जा सकते थे उनको लाभ पहुँचाने के लिए नये कर नहीं लगाये गये हैं। माननीय अध्यक्ष जी उत्तराखण्ड राज्य के लिए यहां के युवाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, छात्रों के द्वारा और सभी वर्गों के लोगों द्वारा ऐतिहासिक संघर्ष किया गया और उसके पीछे यहां की बेरोजगारी, पलायन जोकि पर्वतीय क्षेत्र से निरंतर युवाओं का पलायन हो रहा था और पर्वतीय क्षेत्रों की योजनायें ऐसे लोग बनाते थे जिनको यहां के बारे में यहां की भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं होती थी। मान्यवर, अपना राज्य बना, अपने लोगों का शासन है, बड़े दुःख की बात है कि आज भी जो योजनायें बनायी जाती हैं वह इस तरह बनाई जाती हैं कि इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, यहां किस तरह की स्थितियां होती हैं इसका उन्हें ज्ञान नहीं है।

मान्यवर, आज भी बजट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि यहां के युवाओं को रोजगार दिया जायें और उनका पलायन रूक सके। उत्तराखण्ड के अन्दर जो योजनायें आज हैं उनमें इनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य का अर्थ मात्र 2 या 3 जनपद नहीं है, दूरवर्ती जिले पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, टिहरी भी इसका भाग है और इन क्षेत्रों की आज उपेक्षा की जा रही है। विकल्पधारियों की समस्या का समाधान सरकार ढाई वर्ष बीत जाने पर भी नहीं कर पाई है।

मान्यवर, बेरोजगारों की एक फौज इस राज्य में दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। वहां की विषम आर्थिक स्थिति के बाद भी कोई योजना सरकार द्वारा अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। आज जो भी बेरोजगार हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। इसका भी कोई प्रावधान बजट में नहीं किया गया है। इसके अलावा शिक्षा मित्र और शिक्षा बन्धुओं का प्रकरण है, इन लोगों को नियमित किया जाना चाहिए और इसके लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा जो अशासकीय मान्यता प्राप्त जू० हाई स्कूल,

हाई स्कूल या इण्टर कालेज हैं उनको अनुरक्षण अनुदान सूची में लेने के लिए भी प्रावधान होना चाहिए। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा की समस्या सबसे बड़ी है, पूरे प्रदेश में आज हजारों पद रिक्त पड़े हैं चाहे वे प्राइमरी शिक्षा के हों या माध्यमिक शिक्षा के, उन्हें शीघ्र ही भरा जाना चाहिए और इसके अलावा जो अन्य विभागों में पद रिक्त हैं उन्हें भी भरा जाना चाहिए।

मान्यवर, इस राज्य के निर्माण के लिए जिन युवाओं ने संघर्ष किया था, वे आन्दोलनकारी जो मारे गये, या घायल हुये। आज तक उत्तरांचल सरकार ने, पूरे उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में 45 आन्दोलनकारी शहीद हुये हैं। उन्हें चिन्हित तक नहीं किया है। न उन्हें सम्मान दिया गया है न उनके आश्रितों को रोजगार मुहैया कराया गया है। जो आन्दोलनकारी इस आन्दोलन में गम्भीर रूप से घायल हुये थे जो कि आज भी संघर्षरत हैं उनके लिए किसी रोजगार की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है।

पर्यटन के क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी, इस बजट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

मान्यवर, जहां सरकार एक ओर पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर विकास की बात करती है, वहीं दूसरी ओर पर्यटन विकास के लिए प्रभावी कदम न उठाकर धार्मिक स्थलों की उपेक्षा करने का काम कर रही है। आज यात्रा मार्गों की स्थिति बहुत खराब है। इस बजट में उम्मीद की जा रही थी कि सेगुखेम, लाखामण्डल, पंचकोशी, हरिगहाराज तथा नागणीनवां आदि क्षेत्रों के विकास के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी, लेकिन इन क्षेत्रों के विकास के लिए कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गयी है। प्रतिवर्ष देश के अन्य प्रदेशों तथा विदेशों से हजारों की संख्या में श्रद्धालुजन इन स्थलों पर आते हैं। इसके अतिरिक्त कुश कल्याण तथा हर की दून जैसे रमणीक स्थलों के विकास के लिए भी इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि दयरा के लिए जो सर्वे किया गया था, उसको राजनीतिक चश्मे से देखा गया, यदि इस स्थल का विकास वास्तव में करना है तो इसमें राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहमति से ही सर्वे होना चाहिए।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि और बागवानी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें उत्पादित माल के विपणन की ओर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि विपणन का कार्य नहीं किया गया तो उत्पादन किस काम का रहेगा। मान्यवर, आज हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में कई गांव ऐसे हैं, जहां तक पहुंचने के लिए 2-3 दिन पैदल चलना पड़ता है, इन गांवों को सड़कों से जोड़ने की महती आवश्यकता है। मान्यवर इस बजट को देखने से यह लग रहा है कि इसमें केवल 3-4 जनपदों के विकास पर ही ध्यान दिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी जनपदों के विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। मान्यवर, शिक्षा के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ, आज हमारी शिक्षा की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। राज्य में स्थानान्तरण नीति का मजाक उड़ाया जा रहा है। कहते हैं, हमारी शिक्षा नीति बनी हुई है और हम उससे हट कर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं लेकिन जब ये चाहते हैं, इस नीति में राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है। जिनकी कहीं कोई पहुंच नहीं होती, उनको दूर-दराज के क्षेत्रों में 10-15 साल रख लीजिए और जिनकी पहुंच नेतागणों तक है, उनका मनपसन्द जगह स्थानान्तरण हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय पंवार जी, अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रीतम सिंह पंवार—

मान्यवर, एक अंतिम बात और कहना चाहता हूँ, मान्यवर, कल एक दुःखद घटना यहाँ पर हुई। माननीय मंत्री जी ने सदन में अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनका दोष सिर्फ यह था कि उन पर एक ऐसी महिला द्वारा आरोप लगाया गया, जिसके बारे में यह भी पता नहीं है कि वह कौन है, कहाँ की है। उस महिला द्वारा माननीय मंत्री जी पर ऐसा चारित्रिक आरोप लगाया गया कि उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा। माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में ऐसे लोगों को भी आरोपित किया, जो इस राज्य के प्रशासन में सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं। मेरा कहना यह है कि जिन उच्चाधिकारियों पर माननीय मंत्री जी ने आरोप लगाया है, उनको तत्काल निलम्बित किया जाय, अन्यथा उनके द्वारा जांच को भी प्रभावित किया जा सकता है।

मान्यवर, मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक हरक सिंह रावत के लिए ही इतना बड़ा षडयंत्र क्यों रचा गया, पूरी जनता पूछ रही है कि विपक्ष ने क्या किया। मैं इसके लिए विपक्ष की भी निन्दा करता हूँ। अंत में दो पंक्तियों के साथ कहना चाहता हूँ—“तुमने खड़े किये सजर बिना जरके कैसे सह लेंगे झंझावत ये, तुमने खड़ी की अटालिकायें नीव बिना, कैसे सह लेंगी भूकम्प मला ये, तुमने बनाई नौकाएँ पतवार बिना, कैसे पार करेगी भवर ये, बिना परो की उड़ायीं चिड़ियाँ तुमने, कैसे उड़ेगी तूफानों में, तुमने ले ली आजादी, लहू दिए बिना, कैसे संवरेगा उत्तराखण्ड मला ये। धन्यवाद।

श्री जोत सिंह गुनसोला—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आय-व्ययक 2003-2004 इस सदन में प्रस्तुत किया। इसमें सभी मदों को बड़े विस्तार से बड़े विचार-विमर्श करने के बाद सरकार ने सीमित संसाधनों में जितना बेहतर बजट प्रस्तुत कर सकते थे उससे बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जिसके लिए हमारी सरकार बघायी की पात्र है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उत्तरांचल प्रदेश को पर्यटन प्रदेश के रूप में एक खाका तैयार कर योजना में अवतरित करने का जो प्रयास किया है। उसका प्रयास था कि कुछ नये पर्यटक स्थलों को जोड़ा जाये और पुरानों को उनकी व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्थित किया जाये, इसके लिए एक प्रयास हमारी सरकार द्वारा किया गया। जिसका प्रमाण मसूरी में रिसोर्ट परियोजना ट्रैकिंग मार्गों के विकास के लिये बनायी गई है, जो एक दस्तावेज के रूप में हमारे सामने उभर कर आयी जिसको बजट में भी अवतरित किया गया। इसके लिए सरकार को बधाई देता हूँ और सरकार से यह अपेक्षा करता हूँ कि मसूरी को केन्द्र बिन्दु मानते हुए 100 कि०मी० की पैराफेरी में आने वाले पर्यटन स्थलों को जोड़ा जा सकता है। मैं अपनी सरकार को उद्योग नीति पर बधाई देता हूँ साथ ही सरकार से अपेक्षा करता हूँ और मेरा सरकार से आग्रह होगा कि मसूरी में उत्तरांचल की जो पर्यटन विकास विभाग की भूमि है उस भूमि पर इलेक्ट्रानिक पर आधारित बड़ी इन्डस्ट्री स्थापित की जाये।

मान्यवर, जिससे हमारे यहां के पड़े-लिखे नौजवानों को काम मिल सके। बेरोजगारी दूर हो। आर्थिक सम्पन्नता में वृद्धि हो। मान्यवर, मेरा सरकार से आग्रह है कि जो उद्योग बन्द पड़े हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए। मान्यवर, नई नीति के तहत नये उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जा रहा है उनको विभिन्न मदों में छूट दी जा रही है लेकिन उनके लिए विरतीय व्यवस्था न की जाय। पूर्व में यहां पर जो भी उद्योग स्थापित हुए उनकी स्थापना मात्र 20 से 25 प्रतिशत सब्सिडी को पाने के लिए की गई। मेरा सरकार से आग्रह है कि उद्योग की स्थापना के लिए मापदण्ड निर्धारित किये जाएं ताकि उद्योगों की स्थापना हो सके और क्षेत्र का विकास किया जाए। मैं सरकार को साधुवाद देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत लम्बे समय से विचाराधीन घोबीघाट पेयजल योजना का कार्यरूप दिया गया और मसूरी के निवासियों की पेयजल की समस्या का थोड़ा बहुत निदान हुआ। जिसे माननीय पेयजल मंत्री द्वारा जनता को समर्पित किया गया। मान्यवर, मेरा सरकार से पेयजल से सम्बन्धित एक योजना हाइड्रोफाल योजना के बारे में आग्रह है कि यह योजना 4 एम०एल०डी० की मसूरी के लिए प्रस्तावित है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस योजना के लिए सहमति भी व्यक्त की गई है। यह योजना यहां के लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है। मान्यवर, मेरा सरकार से आग्रह है कि पानी व पाकिंग देकर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। जिससे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी बेरोजगार नौजवानों को काम मिलेगा। इसी के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तथा सत्ता पक्ष के साथियों को बधाई देता हूँ।

श्रीमती आशा नौटियाल—

माननीय अध्यक्ष जी आपने बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपकी आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी विपक्ष के हमारे सभी सम्मानित साथियों ने इस बजट पर जो-जो बातें कही उन सबका मैं समर्थन करती हूँ। इस बजट पर कुछ चंद बातें अपने क्षेत्र के लिए कहूंगी। मान्यवर, यह उत्तरांचल राज्य, यहां की जनता के संघर्षों से, यहां की महिलाओं के संघर्ष से, यहां के युवाओं के संघर्ष से, बच्चों तथा वृद्धों के संघर्ष से मिला है।

मान्यवर, यहां पर मौजूद सभी लोग जानते हैं, उत्तरांचल राज्य की जनता के बलिदानों के संघर्ष से यह राज्य बना है। उत्तरांचल राज्य को एक सही दिशा देने वाले लोग यहां पर बैठे हुए हैं। मान्यवर, हमारा यह परम कर्तव्य है कि हमें अपने प्रदेश को एक सही दिशा पर लाना होगा, तभी राज्य प्राप्ति के लिए आंदोलन करने वाली जनता का लक्ष्य और उद्देश्य पूरा होगा। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहां पर रखूंगी। हमारे कुछ सम्मानित सदस्यों ने बजट पर चर्चा की है, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करती हूँ। सर्व प्रथम मैं चार घाम यात्रा की व्यवस्था का जिक्र करती हूँ। मान्यवर, इस यात्रा के बारे में सरकार बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन मैं समझती हूँ ये दावे खोखले हैं। मान्यवर, मैं प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने केन्द्र सरकार की सहायता से जनपद रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ के लिए अगस्तमुनि से पवनहंस हेलीकाप्टर की यात्रा प्रारम्भ की, इसके लिये केन्द्र सरकार भी बधाई की पात्र है। परन्तु मान्यवर, यह व्यवस्था केवल घनाद्वय लोगों के लिए है। सरकार को उन गरीब लोगों के लिए भी कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी जो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बदरीनाथ

की यात्रा करते हैं, परन्तु इनकी ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मान्यवर, यात्रा शुरू हुए लगभग डेढ़ महीने हो गये हैं, लेकिन केदारनाथ में लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, राशन आदि के लिए लोग तरस रहे हैं। मान्यवर, एक ओर जहाँ इस बजट में हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल के लिए अधिकारियों ने करोड़ों रु० की व्यवस्था की है, वहीं इन चार घातों की व्यवस्था के लिए एक-एक पैसे के लिए जनता त्रस्त है।

मान्यवर, गौरीकुण्ड से केदारनाथ तक यात्री कैसे पहुँच पायेंगे। मान्यवर, गौरीकुण्ड से केदारनाथ तक के मार्ग की क्या हालत है इसको हमारे माननीय मंत्री जी कैसे जानेंगे वे तो पचनहंस से पहुँचे थे। मान्यवर, वहाँ की जनता दुःखी है इसलिए मैं अपनी इस पीड़ा को सदन में रखना चाहती हूँ कि जहाँ के लिए एक भी पैसा बजट में नहीं है और वहाँ की व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त होने पर भी एक अधिकारी को निलम्बित किया जाता है, बड़े शर्म की बात है। मान्यवर, आजकल यात्रा का सीजन है और ऐसे समय में आपको कर्मचारियों की व्यवस्था करने की जरूरत होती है और ऐसे समय में एक अधिकारी का निलम्बन हो जाता है, कितने दुर्भाग्य की बात है। मान्यवर, सरकार कैसा बजट उत्तरांचल को देना चाहती है वह हमारी समझ में नहीं आता है। मान्यवर, ईमानदार अधिकारी श्री कल्याण सिंह का निलम्बन हुआ है सिर्फ केदारनाथ के पैदल मार्ग पर रेलिंग और स्नो कटर न होने के कारण। मान्यवर, जब पैसा ही नहीं होगा तो रेलिंग कहाँ से बनायेगा, क्या वह अपने घर से रेलिंग लगवायेगा। मान्यवर, हमारे गांव में नवम्बर में भूस्खलन हो गया और किसी को सम्भावना नहीं थी कि वह सड़क एक सप्ताह से पहले खुल पायेगी, पर उस अधिकारी ने 5 घण्टे में सड़क खोल दी और उसके बाद भी उसका निलम्बन किया गया, यह बड़े दुःख की बात है। मान्यवर, मैं मांग करती हूँ कि उसकी बहाली होनी चाहिए।

मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में अपार सम्भावनाएँ हैं, यह हम कई बार कह चुके हैं। मान्यवर, बेरोजगारों को रोजगार दें। मान्यवर, पिछले वर्ष वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना चली थी, लेकिन वह सिर्फ पुस्तकों में ही दिखती है, यात्रा में नहीं दिखती है। मान्यवर, वहाँ पर पर्यटन आवास बहुत अच्छे ढंग से चल सकते हैं और उससे सरकार को फायदा हो सकता है। मान्यवर, रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक, गुप्तकाशी से गोपेश्वर तक ऐसे स्थान हैं जहाँ से सरकार को लाभ मिल सकता है। मान्यवर, ऐसी पर्यटन नीति का हम क्या करेंगे, जैसी नीति बनाई गई है। मान्यवर, देवरियाताल हमारा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, वहाँ पर हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक और देशी पर्यटक जाते हैं, लेकिन उसकी आज तक कोई व्यवस्था या एक भी पैसा उसके विकास के लिए नहीं पहुँचा है। मान्यवर, चोपता जैसे महत्वपूर्ण स्थान के लिए मेरा सुझाव है कि उसे हिमक्रीड़ा केन्द्र बनाया जाए। मान्यवर, थामगणी जैसे कई ऐसे दूरस्थ स्थान हैं जहाँ का विकास करके राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। यदि हमारी सोच उत्तरांचल को सही दिशा में ले जाने के लिए, राजस्व प्राप्त करने के लिए है तो निश्चित रूप से हम इन दूरस्थ स्थानों का जब हम विकास करेंगे तभी हमारा भी विकास सम्भव है, उत्तरांचल की जनता का विकास सम्भव है।

श्री अध्यक्ष—

कृपया समाप्त करें।

श्रीमती आशा नौटियाल—

मान्यवर, इतने दिनों में बड़ी मुश्किल से महिलाओं को बोलने का समय दिया गया है, मैं थोड़ी देर में अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ। मान्यवर, मैं पी०डब्ल्यू०डी० के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। बार-बार हमारे माननीय सदस्यों द्वारा भी कहा गया है कि क्षेत्रीय असंतुलन की बात बार-बार आ रही है। मान्यवर, ऐसा तो उत्तरांचल आंदोलन में नहीं था कि क्षेत्रीय असंतुलन हो, यहाँ की जनता ने तो समानता से इस राज्य के लिए संघर्ष किया था उनको यह नहीं मालूम था कि हमारे साथ इस तरह की बातें होंगी। पिछले एक वर्ष में जो सड़क 2000-2001 में बनी, उससे पहले बनी, जो सड़कें मूखलन से क्षतिग्रस्त हो गयीं पिछले एक वर्ष में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी। इन सड़कों को यातायात के लिए खोलना था, लेकिन आज तक एक भी पैसा इन सड़कों को खोलने के लिए नहीं दिया गया और जनता इसके लिए बार-बार मांग कर रही है। मान्यवर, कई ऐसे स्थान हैं जिनको हम पर्यटन और तीर्थाटन को जोड़ने के लिए यदि वहाँ पर यातायात सुविधा दी जाए तो हमारा रोजगार भी बढ़ेगा और उन स्थानों को पर्यटन और तीर्थाटन के रूप में एक साथ जोड़ने में भी सहायता मिलेगी। मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि गौरीकुण्ड से रामबाड़ा तक एक सड़क बनायी जाए और यह सड़क कालीमठ जैसे स्थानों को जोड़े। मान्यवर, यदि इस प्रकार से तीर्थाटन और पर्यटन के क्षेत्रों को जोड़े तो निश्चित रूप से उत्तरांचल का विकास होगा।

मान्यवर, वन विभाग के बारे में मैं थोड़ा सा सुझाव देना चाहूँगी। यह जो आपकी वन नीति है यह समझ में नहीं आता कि उत्तरांचल में आपकी वन नीति कैसी है। मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ कि महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है वह लकड़ी या पशुओं के लिए चारा भी नहीं ला सकती। वह घरों को छोड़कर 6 माह तक ऊपर रहती हैं जिसे हम मरुणें कहते हैं और स्थिति यह है कि हमारी महिलाएं दूध तक निकालने हेतु अपनी गौशाला नहीं जा सकती, तो मान्यवर, इस वन नीति में कुछ परिवर्तन करना होगा। मान्यवर, हमारा प्रसिद्ध तीर्थाटन केदारनाथ जहाँ हजारों यात्री विदेशों से आते हैं, जब मैं जिला पंचायत सदस्य थी तो एक पुल वहाँ पास कराया था। उस पुल के न बनने से यात्रियों को भारी असुविधा होती है उसके लिए हमने पन स्वीकृत किया था वहाँ पर पुल बनना था लेकिन मान्यवर, आपके वन विभाग द्वारा जब वह आधा पुल बन गया तो बीच में ही रोक दिया गया और उस पुल के बनने में अड़चन डाली। यह पन का दुरुपयोग है। हमारा आपसे अनुरोध है कि हम जनता के हित के लिए यहाँ बैठे हैं इसलिए जनता के विकास कार्यों में व्यवधान नहीं डालना चाहिए, और उस पुल का कार्य जो डेढ़ दो साल से रुका पड़ा है उसको तुरंत बनने के निर्देश वन मंत्री जी द्वारा दिया जाना चाहिए। जिससे वहाँ लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके। मान्यवर, डेवरियाताल एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है वहाँ पर वन विभाग वाले व्यवधान कर रहे हैं। कलशिला में लोग रोजगार कर रहे हैं घाघ बेचकर, बिस्कुट बेचकर। उस स्थान पर वन विभाग वाले उन बेरोजगार लोगों को डण्डे मारते हैं। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि उन लोगों पर डण्डे मत मारिये उनको रोजगार दीजिए।

मान्यवर, चोपरा हमारे क्षेत्र में एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है वहाँ पर पर्यटक पार्क बनना चाहिए ताकि विदेशों से आने वाले यात्री वहाँ बैठकर अपना मनोरंजन कर सकें। मान्यवर, पेयजल के बारे में जहाँ एक और हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हमारा उत्तरांचल

पानी से तबालब भरा पड़ा है वहीं आज उत्तरांचल की जनता पानी के लिए तरस रही है। हमारे क्षेत्र की जनता को पानी नहीं मिल रहा है। यात्रा काल में दूर-दूर से आने वाले लोग एक-एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं। मान्यवर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शहीदों के गांवों का विकास किया जायेगा वहां पर सड़क बनायी जायेगी, उस गांव को विकसित किया जायेगा उनकी याद में लेकिन मान्यवर, हमारे यहां शहीदों के जो गांव हैं वहां अभी तक कुछ नहीं किया गया कोई विकास का कार्य नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष—

कृपया समाप्त करें।

श्रीमती आशा नौटियाल—

मान्यवर, हमारा क्षेत्र एक प्रसिद्ध विद्या का केन्द्र रहा है। शायद ही कई ऐसे उत्तरांचलवासी होंगे जो उच्च पद पर आसीन हैं जिसने उस विद्या केन्द्र से विद्या अर्जन न किया हो। मान्यवर, उस स्थान पर आज वीरानी छायी हुई है उसको देखने वाला कोई नहीं है। हमारा राज्य विकास के नाम पर बना है। विद्यापीठ जैसे स्थान पर कुछ न हो यह बात उत्तरांचल की जनता सहन नहीं कर पायेगी। मान्यवर, वहां पर जड़ी-बूटी संस्थान खोला जाए और पूर्व में वहां पर जो फार्मासिस्ट की कक्षाएं चलती थी उनको पुनः चालू किया जाए।

मान्यवर, रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ क्षेत्र बार-बार सन् 98 से दैवी आपदाओं से त्रस्त है। आज भी यहां के 15 गांवों के पुनर्वास की मांग की जा रही है। उनका प्रस्ताव शासन के पास लम्बित है। इनका पुनर्वास करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि 100 रुपये की किताब इनको निःशुल्क दी जा रही है। वहीं उस विद्यालय में निःशुल्क किताब तो जरूर दे रहे हैं (तालियां) पर उन किताबों के साथ कापी भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए और स्कूल में उन बच्चों को बैठने के लिए टाट-पट्टी भी चाहिए, अध्यापकों को बैठने के लिए चेयर-टेबिल चाहिए, चॉक चाहिए। ये सब व्यवस्थाएं भी आप कर दें।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहती हूँ जहां गैरसेण के बारे में इतनी बड़ी राजनीति होती है, हमारे प्रदेश की राजधानी वहां पर बनाने की बात होती है वह जगह, वह ब्लॉक आज एक अपर शिक्षा निदेशक के लिए री रहा है। जिस स्थान के लिए इतने बड़े सपने दिये गये हैं वहां पर अपर शिक्षा निदेशक के कार्यालय के लिए जनता मांग करती है। मेरा आपसे निवेदन है अपर शिक्षा निदेशक का कार्यालय गैरसेण में ही खोला जाये। मान्यवर, अंत में जैसा अन्य प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कहा यह बजट यहां की जनता को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया है, यहां के दूरस्थ क्षेत्रों को ध्यान में रख कर नहीं बनाया गया है, यहां की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। मान्यवर, मैं इस बजट का विरोध करती हूँ। धन्यवाद।

*काजी निजामुद्दीन—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट भाषण पढ़ा गया। इसमें उन्हीं की सलाह थी कि माननीय सदस्य इसका अध्ययन और चिंतन करें। मैंने पूरा अध्ययन

और चिंतन किया और अध्ययन और चिंतन करने के बाद मैंने यह पाया कि माननीय नेता सदन की जो पूरी दुनिया में इतनी ख्याति है, वह सिर्फ एक वजह से है कि वे बहुत पुराने पार्लियामेन्ट्रियन हैं, लेकिन उनके सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जिसे आज सदन के सामने मैं रखना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बेहतरीन और उच्च स्तर के साहित्यकार भी हैं। बजट पढ़ने पर लगा कि इसमें बहुत ही अच्छे किस्म का साहित्य है। मान्यवर, अच्छा साहित्य हमेशा काल्पनिक होता है। इस बजट को और पिछले बजट को भी मैंने पढ़ा। पिछले बजट में भी साहित्य ही साहित्य मिला और इस बजट में भी साहित्य ही साहित्य मिला। मान्यवर, पिछले वर्ष 2002-2003 के बजट में था कि राज्य के बुनकरों, कुम्हारों आदि को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इस तरह की कुछ बातें पिछले वर्ष के बजट में थीं। वर्ष 2003-2004 के बजट में कुम्हार का जिक्र नहीं किया गया है। इससे ऐसा लगता है कि या तो उनको पूर्णतः रोजगार दे दिया गया है या सरकार भूल गई हो। पहले कल्पना में यह बात आ गई हो और हो सकता है कि आज भूल गये हों। गन्ने को देख लिया जाय तो पिछली बार भी यही कहा था और आज भी उसी बात को धुमा कर रख दिया। पिछले बजट भाषण में कहा था कि हम अभी भी राज्य में स्थित चीनी मिलों की गन्ना आपूर्ति के लिए कुछ हद तक उत्तर प्रदेश पर निर्भर हैं और इसी बात को इस बार आंकड़ों से कह दिया कि "राज्य में स्थापित 10 चीनी मिलों में प्रति वर्ष 500 लाख कुन्तल गन्ने की पैसई की जाती है जिसमें से लगभग 95 लाख कुन्तल गन्ना उत्तर प्रदेश से प्राप्त करना होता है"। एक अच्छी सरकार के लिए जरूरी है कि वह एक्शन ले परन्तु यहां पर कोई एक्शन देखने में नहीं आ रहा है। यहां पर तो यह है, कि जो कहा यदि वह कर दिया तो कर दिया नहीं तो धुमा कर दूसरी तरह से कहकर फिर से रख दिया। लगातार इस सदन में और बाहर भी परम्परायें तोड़ी जा रही हैं। मैं माननीय सदन के सामने भी इसका उदाहरण दे सकता हूं। इसके भी मेरे पास प्रमाण हैं कि सदन खत्म होने के बाद बाहर ही घोषणाएं कर दी जाती हैं, सत्ता पक्ष ही नहीं विपक्ष की ओर से भी परम्परायें तोड़ी जा रही हैं अभी कुछ दिन पहले मेरे पिता जी का जिक्र सदन में आया था जो कि नहीं आना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति सदन में नहीं आ सकता है उसका जिक्र भी यहां नहीं होना चाहिए। जब यह बात मैंने उन्हें बतायी कि आपका ऐसा जिक्र यहां पर किया गया तो उन्होंने एक शेर कहा और फोन रख दिया। वह कुछ इस प्रकार था "मेरा नाम जोड़ा जो उनके नाम से, गैर जलने लगे इस मुकाम से"।

माननीय अध्यक्ष जी, एक आदमी एक बार देहरादून आया और उसने यहां के एक आदमी से पूछा कि सैहत के लिए यहां की आबोहवा कैसी है, उसने कहा कि बहुत अच्छी है। मैं जब यहां आया था तो न तो मैं बैठ सकता था, न खा सकता था मेरे घर के लोग गोद में मुझे उठाते थे और धम्मच से खाना खिलाते थे तो उस आदमी ने पूछा कि आप कब से यहां पर रह रहे हैं तो उसने कहा कि जन्म से। तो यही स्थिति और ऐसा ही रवैया सरकार का भी है किसानों को, उद्योगपतियों को जो कुदरती सहायता मिल जाये वह मिल जाये, परन्तु सरकार कुछ नहीं देगी। इस बजट को देखने के बाद यह नहीं लगता है कि कोई मदद सरकार के द्वारा हम लोगों को, आम लोगों को मिल जाये।

वार्षिक प्लान में 2716 करोड़ रुपये का जिक्र है जिसमें कहा गया है वह केंद्र पर आधारित है, एक पर है तो हम यह क्यों नहीं सोचते हैं कि हम उधार पर जी रहे हैं जो कि हमें आज नहीं तो कल वापस करना होगा और उसके लिए जरूरी है कि हम

अपने संसाधन जुटाये। राज्य की जनता को जो विकास का आईना दिखाया जा रहा है उसमें यह कहीं नहीं बताया जा रहा है कि यह सब उधार का है जिसे वापस भी करना है। जो पैसा हमें मिल रहा है उसकी भी फिजूलखर्ची हमारे अधिकारियों द्वारा की जा रही है। वह गलत है हमें इस पैसे का सदुपयोग करना चाहिए इसमें और एक मुश्त पैसे में तो मितव्ययता की ही जानी चाहिए। विदेशी कम्पनियां जो एक देती हैं उसमें शर्त लगा दी जाती है कि आपको यह काम करना है तो यह मशीन भी लेनी होगी ताकि हम कह सकें कि अमेरिकी कम्पनी द्वारा अमुक कार्य किया गया है। हम उत्तर प्रदेश के पद किन्हों पर ही चल रहे हैं, वहां पर भी यही चीज देखने को मिलती थी।

मान्यवर, माननीय वन मंत्री जी को ध्यान होगा कि वनों की आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर तक खरीद लिए गए थे। जब ये हेलीकॉप्टर वनों की आग को बुझाने के लिए खरीदे गए थे, तो ऐसी स्थिति में जब वन ही उत्तरांचल के हिस्से में आ गए हैं, तो उन हेलीकॉप्टरों को भी उत्तरांचल में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज उन हेलीकॉप्टरों का न तो उत्तर प्रदेश में कोई पता है और न ही उत्तरांचल में।

मान्यवर, हमारा राज्य एक खुशहाल राज्य है और यहां का लिटरेसी रेट कई अग्रणी राज्यों से भी अच्छा है। लेकिन हमारे यहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बजाय क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन पर अधिक बल दिया जाता है। जिस हिसाब से हमारे यहां लोग पढ़े-लिखे हैं, उनको उस स्तर का रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अन्य प्रदेशों में आज बहुत से कॉल सेंटर खुल रहे हैं, जिनके द्वारा एक ग्रेजुएट प्रतिमाह करीब 10-15 हजार रुपया कमा लेता है। हमें यहां पर कॉल सेंटर खोलने के लिए पढ़-लिखे बेरोजगारों को प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रशासन के बारे में कहा गया कि हम प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करेंगे। अभी जब सदन में हरिद्वार में हुए मर्डर की बात आयी तो वहां पर प्रशासन सचमुच चुस्त-दुरुस्त हो गया और रिक्शे वालों को पकड़ कर पीटा जाने लगा।

मान्यवर, हेल्थ के सम्बन्ध में, यूनानी मेडिसिन देने की बात इस बजट में कही गयी है, मैं कहना चाहता हूं कि यह बात सिर्फ इस किताब में ही बन्द रह जाएगी। मान्यवर, इण्टरकास्ट मैरिज के हिमायती तो महात्मा गांधी जी भी थे और चूंकि यह सरकार भी गांधीवादी है इसलिए इण्टरकास्ट मैरिज की हिमायती तो हो सकती है लेकिन इण्टररिलीजन मैरिज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में आज से करीब ढाई साल पहले एक इण्टररिलीजन मैरिज हुई थी, उसकी आग आज तक नहीं बुझी है। मान्यवर, पेयजल के विषय में कहा जाता है कि अगली वर्ल्डवार पानी के लिए ही होगी। आपका कहना है कि हम तालाबों को संरक्षित रखेंगे और जगह की बात तो मैं नहीं जानता लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र मंगलौर में तालाबों को पाटा जा रहा है। मान्यवर, मदरसों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा, चौधरी यशवीर सिंह जी के क्षेत्र में लाचड़देवा शेख में एक मदरसा और मस्जिद कई दिनों से बन रही है। एस०डी०एम० ने वहां पर जाकर काम रोकवा दिया। आप मदरसों और मस्जिदों के लिए करोड़ों रुपया देने की बात तो कर रहे हैं लेकिन उनको संरक्षित करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, हमारा नया राज्य बना है, यहां पर नई एप्रोच होनी चाहिए थी। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर मौजूद हैं, आपके पास अपार तजुर्बा है। लोगों को उम्मीद है कि आप अपने तजुर्बे के बल पर इस प्रदेश के विकास के लिए ऐसे काम करेंगे जिससे आने वाले कई वर्षों तक आपको याद किया जाएगा। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय

के अभिभाषण पर चर्चा के समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे एक शेर सुनाया था—

“तेरे दर्द मेरे दर्द में क्या फर्क है,

आ मैं बता दू तुझे ऐ दोस्त,

तेरा दर्द दर्द—ए—तन्हा,

मेरा दर्द दर्द—ए—जमाना।”

मान्यवर, मैं एक शेर कहता हूँ—“मेरा दर्द था दर्द ए तन्हा, तेरा गम था गम ए जमाना, अब जो तड़पने लगा जमा, सितमगर क्यों कर रहा है हीला बहाना।”

डा० नारायण सिंह जंतवाल—

माननीय अध्यक्ष जी आपने 2003-2004 के आय-व्ययक पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मान्यवर, नये राज्य की परिकल्पना के साथ यहाँ की जनता की परिकल्पना थी कि नई परिस्थितियाँ वैकल्पिक आर्थिक नीतियों के साथ हमारा राज्य को आर्थिक और समृद्धि की ओर यह ले जायेगा। इसमें सबसे अहम सवाल रोजगार का सवाल हमारे सामने था। जैसा कि हम महसूस कर रहे हैं कि हर जगह जो भी सरकारी क्षेत्र हैं उसमें रोजगार के अवसर सीमित होते जा रहे हैं यह कहा गया कि स्वरोजगार को बढ़ावा देकर लोगों को काम दिया जायेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इसे धरती पर उतारना आसान काम नहीं है जो योजनायें यहाँ पर बनी उसको देखा जाता तो उसका लाभ होता। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूँ कि जो रोजगार की योजनायें हैं उनको व्यवहारिक घरातल पर रखने के लिए उपाय करने पड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले लाभकारी व्यवसायों को चिन्हित करने के लिए बैंकों में विकास अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। बैंकविल प्रोजेक्ट बनाने के लिए विशेषज्ञों का दल हो जो बुचाओं को गाइडेंस दे सके, यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो उन्हें प्रशिक्षण भी दिलवाया जाय। यदि मार्जिन मनी का हमारे काबिल नौजवानों के पास प्रबन्ध नहीं है तो उन्हें मार्जिन मनी सन्डिडी या लोन के रूप में दी जानी चाहिए। ऋणों पर सरकार की अत्यधिक निर्भरता होती जा रही है। आय के साधन न बढ़ने से राज्य ऋण के कुचक्र में फँस सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि योजना आयोग द्वारा विशेष राज्य का लाभ उठाकर उत्तर प्रदेश से विरासत में मिले हुए पुराने ऋणों को 90.10 के अनुपात में अनुदान में परिवर्तित किया जाय ताकि ऋण का बोझ कम हो सके। नेता सदन ने कहा कि अन्य हिमालयी राज्यों को अनुदान केन्द्र से मिल रहा है वह हमारे राज्य को नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन एक्ट, 2000 बना उसमें व्यवस्था होनी चाहिए थी, हमें उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ दिया गया। जिसकी वजह से अन्य विशेष श्रेणी हिमालयी राज्यों की तरह हमें लाभ नहीं मिल पाया। पिछले साल हमारे राज्य को केन्द्रीय करों के रूप में 450 करोड़ रुपया मिला था जो कि कुल व्यय का 10 प्रतिशत से भी कम था। अन्य हिमालयी राज्यों की तुलना में यह प्रतिशत बहुत कम है। अन्य हिमालयी राज्यों को 74 से 90 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र की ओर से मिलता है। मैं समझता हूँ 12वें वित्त आयोग के सामने हमारे राज्य के केश को रखा गया होगा। मैं समझता हूँ नये राज्य बनने के कारण जो खर्च हुआ है उसको इसमें सम्मिलित किया गया होगा। लेकिन मुझे आशंका है कि जो 12वाँ वित्त आयोग बना उसके टर्म्स ऑफ रिफ्रेंस में इस बात का जिक्र है या नहीं है। यदि आयोग के टर्म्स ऑफ रिफ्रेंस (REFERENCE) में हिमालयी राज्यों में समानता

का समावेश नहीं होगा तो यह विषमता दूर होने में परेशानी होगी। सीमाग्य से हमारे मुख्यमंत्री जी राजनीतिक मामलों के साथ-साथ वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं यदि टर्म्स ऑफ रिफ्रेन्स में नहीं हैं तो 12वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रिफ्रेन्स में आवश्यक संशोधन हेतु उचित कार्यवाही की जाए। जिससे टर्म्स ऑफ रिफ्रेन्स में इसका उल्लेख हो।

मान्यवर, जब राज्य की परिकल्पना की गई थी तो माननीय श्री डी०डी० पन्त जी ने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि ऊर्जा हमारे राज्य की आय का प्रमुख स्रोत बनेगा। वे एक वैज्ञानिक भी थे। सरकार ने भी इस सम्बन्ध में कहा है कि 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का लक्ष्य 10वें प्लान में रखा गया है। केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 2704 मेगावाट बिजली उत्पादन के पश्चात् लगभग 324 मेगावाट बिजली का लाभ प्रदेश को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि सरकार इसका उपयोग लाभकारी योजनाओं के लिए तथा प्रदेश में जो छोटे उद्योग लगाने एवं अन्य उद्योगों को आकर्षित करने में कर सकती है, उनमें कर सकती है। निजी क्षेत्र की बिजली परियोजनाएँ ली गयी हैं उनकी प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें और जहाँ तक हो सके ऐसी योजनाओं को एन०एच०पी०सी० तथा टी०एच०डी०सी० को दिया जाए। ये केन्द्र-सरकार की एजेन्सियाँ हैं, इनके माध्यम से यदि कार्य करवाया जायेगा तो स्थिति अच्छी होगी। इसी प्रकार राज्य सेक्टर में पाला मनेरी, नन्दप्रयाग आदि योजनाओं को लेने के विषय में कहा गया है। जिन पर लगभग 2500 से 3000 करोड़ रु० खर्च होगा। सीमित साधनों से इस धनराशि को जुटाना कठिन होगा। घाटे की अर्थव्यवस्था वाली राज्य सरकार इतना पैसा कहाँ से लाएगी। आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्र को मध्य हिमालय की विपुल परियोजनाओं में और अधिक धन लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। वह हमारे राज्य के हित में ज्यादा अच्छा होगा, जिस प्रकार अन्य राज्यों को अपने संसाधनों के लिए रायल्टी मिलती है जैसे बिजली, पानी आदि में वह रायल्टी हमें भी मिलनी चाहिए।

मान्यवर, पर्यटन हमारे राज्य की आय का मुख्य स्रोत है। जब भी हमारी पर्यटन की नीति बने तो इसमें स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाए ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके। मान्यवर, हमारे पर्यटन मंत्री जी कहते हैं, टूरिज्म इज एवरिबडीज बिजनेस (Tourism is every bodies Business), बिना अच्छी परिवहन व्यवस्था बनाये पर्यटन व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता है।

मान्यवर, परिवहन मंत्री जी यहाँ पर इस समय मौजूद नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नैनीताल से देहरादून के लिए केवल दो डीलक्स बसें चलती थी आज एक बस भी ठीक से नहीं चल रही है। दिल्ली के लिए कोई डीलक्स बसें नहीं हैं, जो बसें चलती हैं वे ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से चलती हैं। मान्यवर, गले ही अभी तक हमारा निगम न बना हो, लेकिन हमें व्यवस्था करनी चाहिये। बसों को प्रदेश को अपने हाथों में लेना चाहिए था, अभी तक प्रदेश सरकार ने इस बारे में कोई प्रयास नहीं किया है।

मान्यवर, शिक्षा के बारे में, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा मानव संसाधन विकास की बात आयी प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से, लेकिन जिस तरह से प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को इतर कार्य सौंपे गये हैं यह ठीक नहीं है। मान्यवर, उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योगों की आवश्यकतानुरूप विषय विश्वविद्यालयों में

संचालित किये जायें, जिससे युवाओं को अधिक अवसर प्राप्त होंगे। जिस तरह से कम्प्यूटरीकृत और वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा चलाये जाने की बात हो रही है तो मैं समझता हूँ इससे हमारे नवयुवकों को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। मान्यवर, सूचना प्रौद्योगिकी की जो बात कही गयी है, वह अच्छी है। यदि रिमोट एरिया में राजधानी बनती है तो वीडियो कांफ्रेंसिंग और आईटी0के0 द्वारा उसे संचालित करने में सहायता मिलेगी। मान्यवर, मैं पर्यटन के विषय में ज्यादा न कहते हुए कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में औली रिकिंग रिजोर्ट की तरह अन्य रिजोर्ट भी खोले जायें उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाय, नये रिजोर्टों का निर्माण किया जाय, इससे प्रदेश सरकार को इनकम होगी। मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जिनके इनिशिएटिव केंद्र सरकार से नैनीताल की झीलों के लिए 95 करोड़ का पैकेज स्वीकृत किया इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रधानमंत्री जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जिस तरह से केंद्र सरकार ने कश्मीर में स्थित डल झील के लिए तीन सौ (300) करोड़ रु० का पैकेज दिया है तो मैं समझता हूँ कि नैनीताल के लिए यह बजट और बढ़ाया जाना चाहिए। मान्यवर, वाडिया इन्सटिट्यूट ऑफ जिशोलोंजी, देहरादून ने नैनीताल और आस-पास के पर्वतीय क्षेत्रों में टेक्नोलॉजिक एक्टिविटी से होने वाले खतरे से आगाह किया था। माल रोड में ग्राण्ड होटल के ऊपर व नीचे वाले इलाके में क्रीप का भी जिक्र किया था इसके लिए तुरन्त झील में पड़े लाइम स्टोन रबल (टुकड़ा) में एक्सीलरेटेड ड्रीलिंग की आवश्यकता पर जोर दिया था लेकिन इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस इलाके में कभी भी भूस्खलन हो सकता है, जिससे जानमाल का बहुत नुकसान होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय नगर विकास मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि समय रहते इस समस्या का समाधान खोज लिया जाय। मान्यवर, नैनीताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को ध्यान में रखते हुए विख्यात रामजे हास्पिटल जो अब श्री गोविन्द बल्लभ पंत जी के नाम से है उसे सरकारी या प्राइवेट सेक्टर से समन्वय कर उच्च कोटि का बनाया जाय। मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल जी वहां आजकल रहते हैं। वहां पर हाईकोर्ट है, वी०आई०पी० जाते हैं, इसको हैल्थ सेंटर बनाया जाय जिससे वहां पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जायें। आज छोटी-छोटी बीमारियों के लिए भी लोगों को बाहर भेज दिया जाता है, शहर की गरिमा व आवश्यकता के अनुरूप स्वस्थ सेवायें उपलब्ध करायी जायें। मान्यवर, कालाढुंगी में सब तहसील बहुत पहले से कार्यरत हैं, यह क्षेत्र प्रख्यात जिम कार्बेट का क्षेत्र रहा है, आने वाले समय में पूर्ण तहसील बनाने की बात आयेगी, मैं चाहता हूँ इस सब-तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया।

श्री सुबोध रनियाल—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, यह जो बजट पेश किया वह एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने भारत का बजट प्रस्तुत किया, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का बजट प्रस्तुत किया और उत्तरांचल का दूसरा बजट प्रस्तुत किया। मान्यवर, यह राज्य विगत 12-14 वर्षों तक विकास से अवरोद्ध रहने के कारण राज्य के लोगों में उपजे आक्रोश एवं असंतोष से नीजवानों, मात्रशक्ति, छात्रशक्ति के संघर्षों के बाद बना और उसके बाद जनता ने कांग्रेस

के नेतृत्व में सरकार बनाई, निःसंदेह लोगों को बहुत अपेक्षाएं हैं। मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों में परिवर्धन करने में असमर्थता केन्द्र सरकार द्वारा व्यक्त करने के बाद भी हमारी सरकार के सहयोग से विशेष केन्द्रीय सहायता तथा अतिरिक्त बाजार ऋण की सुविधा प्राप्त की। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा विगत वर्ष केवल 30 दिन ओवर ड्राफ्ट की स्थिति आई, मेरा मानना है कि उसके बाद इस राज्य की स्थिति को रास्ते में लाने की कोशिश हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई, उसके लिए हमारा पूरा मंत्रिमण्डल बधाई का पात्र है।

मान्यवर, पिछले राजस्व घाटे को पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर रुपये 1193 करोड़ तक सीमित किया और राजकोषीय घाटा भी आय-व्यय अनुमान रुपये 2317 करोड़ के सापेक्ष घटाकर रुपये 1844 करोड़ किया। मान्यवर, यह हमारे आर्थिक विशेषज्ञों के प्रयासों का परिणाम है। मान्यवर, पिछले साल के मुकाबले 648.83 करोड़ के ऋणों का भुगतान कर 6.95 प्रतिशत तक किया जो कि पहले 12 प्रतिशत था, जिससे राज्य सरकार के ऋणों पर देय ब्याज में प्रतिवर्ष लगभग 35 करोड़ की कमी होगी। मान्यवर, इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, हमारी सरकार ने कर्मचारियों के हितों के लिए भी किया। मान्यवर, जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था तो मैंने देखा कि पहाड़ का आदमी अपने जी०पी०एफ० के लिए दौड़ता था। अब सरकार द्वारा जी०पी०एफ० का कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है जिसकी इण्टरनेट पर भी सूचना उपलब्ध करायी जायेगी। अतः इससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा व्यापार कर विभाग को कम्प्यूटरीकरण किये जाने की प्रक्रिया आरम्भ की गई। इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

मान्यवर, आबकारी एक ऐसा विभाग है जो किसी भी प्रदेश की आय का सबसे बड़ा साधन हो सकता है। मान्यवर, इसके अन्तर्गत माफियाराज को समाप्त करने में हमारी सरकार सफल हुयी है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि नं० 2 की शराब को रोकने के लिए यदि अंग्रेजी शराब की दुकानों के साथ-साथ यदि उस्ती दुकान में देशी शराब का भी एक काउन्टर स्थापित कर दिया जाए तो उचित होगा।

(व्यवधान)

यदि इनको लगता है कि शराब बहुत बुरी चीज है तो उन्हें अपने कार्यकाल में इसे रोक देना चाहिए था। मान्यवर, कल इन्हीं लोगों ने नियम 311 के तहत नोटिस दी और जिसके चलते माननीय मंत्री जी ने इस्तीफा दिया और अब कहते हैं कि आपने उन्हें बलि का बकरा बना दिया, ये सरकार के इस्तीफे की मांग करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये तो आज भी सदन नहीं चलने देना चाहते थे, किन्तु हमारे अनुभवी मुख्यमंत्री जी की सीम्यता के कारण आज सदन की कार्यवाही चली। मान्यवर, ये तो ऐसी प्रतिभा के घनी हैं कि यदि उन्हें आज उत्तरांचल की 70 सीटों में से किसी एक पर भी चुनाव लड़ाया जाए तो भी वह जीतकर अपनी सरकार बनायेंगे।

(व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, यदि इनकी भी इच्छा यही है कि सदन नहीं चलने देना चाहते तो इधर आ जायें। यदि वे यही चाहते हैं तो हम आज फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा मांगते

है, मेरा अनुरोध है कि आप इसे आज तय कर लीजिए। मेरा अनुरोध है कि आप सत्ता दल के नेतागणों को नियंत्रण में रखिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

वह प्रकरण समाप्त हो गया है, कृपया शांत रहें।

श्री सुबोध उनियाल—

मान्यवर, खुले आम इन लोगों ने आरोप लगाया कि आपने एक मंत्री को बलि का बकरा बना दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शांत रहें।

श्री सुबोध उनियाल—

मान्यवर, मनोरंजन कर के बारे में मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि गत वर्ष मनोरंजन की दर 100 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दी गयी थी। मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि आज निसंदेह केबिल के बढ़ते प्रभाव से आज सिनेमा उद्योग संकट में है।

मान्यवर, मनोरंजन कर के बारे में हम एक सुझाव देना चाहते हैं कि हिमाचल की तर्ज पर यहाँ भी मनोरंजन कर पर शतप्रतिशत छूट देनी चाहिए जिससे इस उद्योग को ज़िन्दा रखने का कार्य किया जा सकता है। मान्यवर, ऊर्जा के क्षेत्र में आज निसंदेह हमारी सरकार ने बहुत प्रगति की है। मान्यवर लगभग 84% गांवों में विद्युतीकरण हो चुका है और आगामी 2007 तक लगभग हर गांव विद्युतीकरण से जुड़ जायेगा यह एक सराहनीय कदम हमारी सरकार का है।

श्री अध्यक्ष—

कृपया टीका टिप्पणी मत करिये।

श्री सुबोध उनियाल—

मान्यवर, ऊर्जा को द्वारा विकास ही इस प्रदेश का आगामी भविष्य है। इस प्रदेश की आर्थिक मजबूती के लिए लोगों को ऊर्जा के क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाना बहुत जरूरी है और यह काम हमारी सरकार ने किया। विपक्ष के लोगों ने तो काम कुछ नहीं किया बस धिल्लाते ही रहे, लेकिन हमारी सरकार ने काम किया। उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद जब उत्तरांचल बना उससे पहले हमें तमाम बार बिजली के लिए लखनऊ फोन करना पड़ता था। क्योंकि रुड़की वाले कहते थे कि हेडक्वार्टर लखनऊ है, कमी वीरमद फोन करो तो कहते हैं रुड़की फोन करें और रुड़की वाले लखनऊ फोन करने को कहते थे क्योंकि यहाँ पर 8-10 घण्टे बिजली नहीं आती थी लेकिन आज स्थिति यह है कि पूरे हिन्दुस्तान में पावर कट के मामले में उत्तरांचल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पावर कट नाम की कोई चीज ही नहीं

है। निःसंदेह ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने कार्य किया है। मान्यवर, जब आदमी सत्ता पर बैठता है तो उसकी अपनी अंधी बहू भी सुन्दर लगती है लेकिन जब उससे सत्ता छूट जाती है तो उसकी दूसरे की सुन्दर बहू भी अंधी लगने लगती है यही हाल हमारे विपक्ष का है। मान्यवर, ऊर्जा के क्षेत्र में हम अपनी सरकार को बधाई देते हैं। मान्यवर यहां पर मेरा एक सुझाव है कि ऊर्जा केंद्र के विकास के साथ आज उत्तरांचली जनमानस को इससे जोड़ने के लिए सरकार को ऊर्जा बांड जारी करने चाहिये ताकि इस क्षेत्र में जन सहभागिता भी सुनिश्चित की जा सके। मान्यवर, हमारी सरकार ने जो गरीब भाईयों के लिए कुटीर ज्योति योजना दी है जिसको इन्दिरा जी के समय में शुरू किया गया था और विपक्ष की सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, उसको पुनः शुरू किया है जिससे गरीब भाईयों को बिजली मिल सके।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, सड़क के मामले में हमारी सरकार ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले एक वर्ष में जितनी सड़कें उत्तरांचल में बनी हैं वह इससे पहले वाली सरकार में नहीं बनी। मान्यवर, माननीया इंदिरा जी के प्रयासों से ही यह संभव हुआ है। उन्होंने सड़क के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं उत्तर प्रदेश को पार करने के बाद आपको स्वयं ही महसूस होगा तथा लगने लगेगा कि हम उत्तरांचल में प्रवेश कर गये। मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने नरेन्द्र नगर के विकास के लिए जो प्रयत्न किए और उन्होंने नरेन्द्रनगर को देहरादून से सीधे जोड़ने हेतु नरेन्द्रनगर रानीपोखरी रोड की स्वीकृति दी इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। पहले माननीय विधायकों को केवल 5 कि०मी० सड़क बनाने के लिए दी जाती है लेकिन आज उत्तरांचल में सड़कों का जाल बिछा हुआ है।

मान्यवर, जो कमियां हैं उन पर मैं सरकार को सुझाव भी दूंगा। मान्यवर, जो हमारी पूर्व सरकार थी वह काम करवाने और निर्णय लेने में इनमैथ्योर थी जबकि हमारी कांग्रेस सरकार के पास बहुत लम्बा अनुभव है। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के 40 साल के राज में बहुत सी सड़कें बनी थीं। मेरे क्षेत्र में कई ऐसी-ऐसी सड़कें हैं जो 12-14 साल पहले स्वीकृत हुई थीं, लेकिन आज भी अधूरी हैं। मेरा निवेदन है कि इन अधूरी सड़कों को पूरा कराया जाये। मान्यवर, जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं, बरसात में अगर सड़क बंद हो जाती है तो खोलने में बहुत परेशानी होती है। पता करने पर पता चला कि गैंग 7/20 (बीस किमी० में 7 गैंग) के फार्मूले में रहता है। और प्रति 10 किलोमीटर में एक मेट रहता है। मान्यवर, अकेले टिहरी जनपद में ही 700 गैंगमैनो की कमी है। इस कमी को दूर किया जाये। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में गूलरगजा नाई मिठाई मार्ग पर 39 किलोमीटर में कोई भी गैंग नहीं है। सड़कों के रखरखाव पर भी हमारी सरकार को ध्यान देना होगा। मान्यवर, सड़क निश्चित रूप से पर्यटन विकास से जुड़ी हुई है। मान्यवर, सड़क मार्ग से आने वाला व्यक्ति आंख बन्द करके बता सकता है कि वह बसपा-भाजपा के राज की सड़कों पर यात्रा कर रहा है या उत्तरांचल राज्य की सड़कों पर।

मान्यवर, पिछले कई वर्षों से टिहरी बांध का निर्माण कार्य किया जा रहा है और उसमें जो पुनर्वास का कार्य है वह बहुत ही धीमी गति से चल रहा था। हमारी सरकार

के आने के बाद टिहरी बांध के द्वितीय फेज का कार्य भी प्रारम्भ हुआ है। मान्यवर, एक साल के अंदर 65 प्रतिशत पुर्नवास का कार्य और 70 प्रतिशत परिवारों को रोजगार देने का कार्य किया गया है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। मान्यवर, उत्तरांचल में हमारी सरकार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा प्रारम्भ की है। इसके लिए भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है। लोग कहा करते थे कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये प्रतिदिन सुबह अपने जिलाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करते हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग हेतु आन्ध्र प्रदेश के सभी जिलाधिकारी सुबह 7.30 बजे अपने कक्ष में पहुँच जाते हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग की वजह से उत्तरांचल में कानून-व्यवस्था एवं प्रशासनिक स्थिति चुस्त-दुरुस्त होगी। इसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूँ।

मान्यवर, मैं शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ। आप लोग कुछ भी कहना चाहें लेकिन जो 12-14 साल से कक्षाहीन विद्यालय थे, विपक्ष की भी सरकार आई थी लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। आज हमारी सरकार ने 100 से अधिक विद्यालयों को 4 एवं 480 विद्यालयों को दो अतिरिक्त कक्ष बनाकर दिये हैं। शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जहाँ हमारी सरकार ने 2000 एल0टी0 अध्यापकों की नियुक्ति की वहीं बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य किया है, सर्व शिक्षा अभियान कुशलतापूर्वक प्रारम्भ करने के लिए भी सरकार बधाई की पात्र है।

(विपक्ष के कई मा० सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

जहाँ तक पेयजल की बात है तो मैं पेयजल मंत्री जी को उनके कार्यों के लिए आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ यह सही है कि जल स्तर नीचे गिर रहा है, भूकम्प के आने से जो हमारे ग्रेविटी के सोर्स थे उनके रास्ते बदल गये हैं, और आपके जो प्रयास हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जल संवर्धन से या पम्पिंग स्टेशन खोलने का आपके प्रयास सराहनीय हैं। मैं पेयजल मंत्री जी को अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में चाक कोटेश्वर व सूर्यकुंडरानीताल में से एक पम्पिंग स्टेशन स्थापित करने का वादा किया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हर जनपद में एक आदर्श महाविद्यालय खोलने की बात हमारी सरकार द्वारा की गई है जिसमें रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को शामिल किया जायेगा और डिग्री कालेजों के माध्यम से यह सुनिश्चित होगा तो इसके लिए सरकार बहुत-बहुत बधाई की पात्र है। यह सरकार के उस संकल्प को और भी मजबूत करती है कि उत्तरांचल के युवाओं और बेरोजगारों के सुन्दर भविष्य के लिए पूर्ण प्रयास करेगी। सरकार ने पिछले वर्ष प्राविधिक शिक्षा के लिए सरकार ने एक उल्लेखनीय कार्य किया था, रुड़की के इंजीनियरिंग कालेज को आई0आई0टी0 का दर्जा दिलाया था उसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है।

(व्यवधान)

मैं आज आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तरांचल में 5 संसदीय क्षेत्र हैं और सरकार की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में एक इंजीनियरिंग कालेज होना चाहिए, इस संबंध में 4 संसदीय क्षेत्रों में पौड़ी में घुड़दौड़ी, अल्मोड़ा में द्वाराहाट, नैनीताल में पंतनगर तथा हरिद्वार में रुड़की इंजीनियरिंग कालेज स्थापित हैं लेकिन मात्र एक टिहरी संसदीय क्षेत्र में यह कालेज नहीं है मैं चाहता हूँ कि मा० मुख्यमंत्री जी इस संबंध में कुछ कार्यवाई करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—

कृपया समाप्त करें।

श्री सुबोध उनियाल—

मान्यवर, मैं दो-तीन बिन्दु और रख रहा हूँ। मान्यवर, अर्द्ध कुम्भ जो कि उत्तरांचल राज्य गठित होने के बाद पहली बार आयोजित होने जा रहा है। हमारी मा० सदस्या विजय बड़थवाल जी भी यहाँ पर हैं उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक में खुद सरकार को धन्यवाद दिया था। मान्यवर, आज राज्य अलग बनने से कुछ नहीं होता है, यह दिखाना भी चाहिये और उसे दिखाना भी चाहिए हमारी सरकार ने यह कार्य किया है। मान्यवर, इस कुम्भ क्षेत्र में यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र और मेरा नरेन्द्र नगर क्षेत्र और ऋषिकेश क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहता है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर रहते हुए केवल हरिद्वार जिले को ही तबज्जो दी जाती थी। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि आज नरेन्द्र नगर, यमकेश्वर तथा ऋषिकेश के भी विधायकों और नगरपालिका/नगर पंचायत अध्यक्षों को उच्च स्तरीय समिति का सदस्य बनाया गया है, ऐसा करके छोटे राज्य की परिकल्पना को साकार रूप देने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है।

मान्यवर, पर्यटन के बारे में कहना चाहता हूँ, रोजगार के क्षेत्र में पर्यटन के द्वारा हमारे प्रदेश में बहुत संभावनाएँ तलाशी जा सकती हैं। राज्य निर्माण के बाद यहाँ के लोगों की अपेक्षाएँ थी कि पर्यटन के माध्यम से हम लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन इस क्षेत्र में अभी तक हम सफल नहीं हो पाए हैं। मान्यवर, मनुष्य की यह मनोवृत्ति है, शहरी क्षेत्र के लोग आज ग्रामीण परिवेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं और ग्रामीण परिवेश के लोग शहरी परिवेश की ओर। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी परिवेश के अनुसार तथा शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण परिवेश के अनुसार पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। मान्यवर, मैं पर्यटन के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे पी०डब्ल्यू०डी०,वन विभाग या गढ़वाल मण्डल विकास निगम के जो गेस्ट हाउस हैं, उनकी स्थिति आज अच्छी नहीं है। इनमें सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मेरा सुझाव है कि इन गेस्ट हाउसों को यहाँ के बेरोजगारों को लम्बी लीज पर दे दिया जाए। इससे पर्यटन के क्षेत्र में भी सुधार होगा और हमारी बेरोजगारी की समस्या भी काफी हद तक दूर हो जाएगी।

मान्यवर, आपकी तरफ से यद्यपि मुझे अल्टीमेटम मिल चुका है, लेकिन फिर भी कुछ बातें और कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक साल बाद सदन में विचार रखने का मौका मिला है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में राजशाही के समय से एक झील है, उसके पुनरुद्धार के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पर्यटन मंत्री जी से कई बार अनुरोध किया। मुझे आज इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस झील के पुनरुद्धार के लिए 79.21 लाख रुपये का बजट रखा है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

मान्यवर, हरिद्वार और मुनि-की-रेती के मध्य एक करोड़ बीस लाख रुपये के हर्बल पार्क की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, सदन के अन्दर और सदन के बाहर विपक्ष का दोहरा चरित्र है।

मान्यवर, मैं माननीय प्रतिपक्ष पर एक शेर कहना चाहता हूँ—“हम आँह भी मरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वह कत्ल भी कर डालें तो कुछ नहीं होता”। आज आवश्यकता है इस राज्य के नवजवानों, छात्रों, कर्मचारियों, किसानों जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया था उनके हितों की रक्षा करने की जो इस राज्य निर्माण के पीछे लोगों की जो भावनाएँ थीं उन्हें पक्ष और विपक्ष मिलकर पूरा करे बजाय कि विरोध करने के, आपस में झगड़ने के। इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री रणजीत सिंह रायत—

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे 2003-2004 के आय-व्यय पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, किसी ऐसे राज्य के लिए जो नवोदित हो। जिसे वित्तीय आयोग की संस्तुतियों के आधार पर अनुदान का फायदा न मिल रहा हो उसे मात्र 30 दिन का ओवर ड्राफ्ट हुआ हो, इससे बड़ा वित्तीय प्रबन्ध हो नहीं सकता। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12% ब्याज वाले ऋण की अदायगी कर 8.95% ब्याज वाले ऋण में परिवर्तित 35 करोड़ रुपये की बचत का प्रबन्ध किया है वह उनका ही वित्तीय कौशल का परिणाम है। हमारी सरकार प्रदेश के दुर्लभ क्षेत्रों में जैसे डीडीहाट आदि जिसमें चकरीता भी है ऐसे उप कोषागारों को कम्प्यूटरीकृत करने का फैसला किया है। यह एक सराहनीय कदम है। इसमें सल्ट की उप कोषागार को भी शामिल किया जाये। सरकार द्वारा विभिन्न विभागों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है और इन्टरनेट पर सूचनाएँ उपलब्ध की गई हैं। यह सराहनीय कदम है। सरकार द्वारा विद्यालयों में शत प्रतिशत राजकीय हाई स्कूल, इण्टर कालेजों में कम्प्यूटर उपलब्ध करा दिये गये हैं और सरकार ने संकल्प व्यक्त किया है कि अशराफकीय विद्यालयों में भी कम्प्यूटर उपलब्ध करायेगे। मैंने स्वयं अपने विधान सभा क्षेत्र के 7 शासकीय विद्यालयों में 4 कम्प्यूटरों का सैट उपलब्ध कराया है उनका फायदा सभी मिल पायेगा जब कम्प्यूटरों को चलाने के लिए ट्रेनिंग और कुशल अध्यापक वहाँ पर होंगे। सरकार से आग्रह है कि वहाँ पर ट्रेनिंग शिक्षकों की नियुक्त करे तभी इसका फायदा मिल पायेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी का तकनीकी प्यार जग जाहिर है। उन्होंने जिस तरह से जिला मुख्यालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा है वह सराहनीय कदम है। आपका कम्प्यूटर अनुराग और तकनीकी अनुराग से हमको भी फायदा मिलना चाहिये। मुख्यमंत्री जी ने सभी सदस्यों को लैपटॉप मंजूर किया है, उसके लिए उन्हें कोटि-कोटि धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि सभी माननीय सदस्यों को एक हफ्ते का प्रशिक्षण दिला दें और उसके साथ एक इन्टरनेट कनेक्शन भी दिला दें। अगर खाली कम्प्यूटर होगा तो हमें किस विभाग में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पायेगी। हमें जो टेलीफोन दिया गया है उसमें जितने कॉल दिये जा रहे हैं उनका मूल्य बढ़ने से कटौती हो रही है, उस पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

मान्यवर, आबकारी के विषय में कहना चाहता हूँ जैसी आधुनिक तकनीकी अन्य क्षेत्रों में बड़ी है वैसे ही आबकारी के क्षेत्र में नये अवैध तरीके इजाद किये गये हैं। अवैध शराब की रोकथाम के लिए मैं डी०जी०पी० से भी मिला और उन्होंने मेरे क्षेत्र में चौकी लगाने की बात कही और अवैध शराब को रोकने की बात कही। लेकिन आज लोग शराब बनाने के लिए घरों में प्लास्टिक के रोल ले जा रहे हैं, मशीनें ले जा रहे हैं जिनसे शराब बनती है। पाउचों में भरकर उसकी तस्करी की जा रही है। मान्यवर, अवैध शराब

पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। मान्यवर, इसी शराब के तस्करो ने खाल्यूडाडा पीड़ी गढ़वाल में मेरे एक मित्र श्री गब्बर सिंह के दो नाबालिक बच्चों को काट डाला उनका कसूर इतना था कि उन्होंने शराब की तस्करी के बारे में लोगों को बता दिया था हालांकि अपराधी पकड़ लिये गये हैं। मान्यवर, मदिरा के अवैध व्यापार के खिलाफ एक बड़े अभियान को चलाने की जरूरत है। मान्यवर, जो लोग इसमें शामिल हैं, वे बहुत बड़े अपराधी लोग हैं, उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में मेरा कोई राजनैतिक विराधी नहीं है, लेकिन यही अपराधी तत्व मेरे विरोधी की भूमिका निभा रहे हैं। मान्यवर, शराब की रोकथाम के लिए मैं प्रतिपक्ष के लोगों का भी सहयोग चाहूंगा। मान्यवर, जो समस्याएँ हैं, जो दिक्कतें हैं, वह केवल मेरे क्षेत्र की ही नहीं, यह दिक्कतें हम सबकी हैं।

मान्यवर, राजनीति में किस तरह के लोग आने चाहिए इस पर हमें गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मान्यवर, अपने चुनाव घोषणा-पत्र में राज्य की जनता से वायदा किया था कि हम 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का सृजन करेंगे। इस क्षेत्र में सरकार द्वारा भागीरथी प्रयास किया गया है। जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बघाई के पात्र हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 43 गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, पूर्व में कुटीर ज्योति के नाम से एक योजना थी जिसके द्वारा गरीब व्यक्तियों के यहाँ भी प्रकाश पहुँचता था। अमीर आदमी तो जितना भी बिल आये अदा कर सकता है लेकिन गरीब व्यक्ति अधिक बिल अदा नहीं कर सकता। कालान्तर में कुटीर ज्योति योजना द्वारा जिनके घरों में बिजली पहुँचती थी उनका बिल 10-12 हजार रुपये तक आने लगा और उन गरीब व्यक्तियों ने अपने कनेक्शन कटवा दिये। उनकी आर०सी० कटी हुई है। इन गरीब तबकों के लोगों को बकाये को लेकर सरकार कोई नीति बनाये ताकि वे लोग, जिन्होंने कनेक्शन कटवा दिये हैं उन्हें पुनः कनेक्शन दिये जा सकें। इन गरीब तबकों के घरों में भी प्रकाश की किरण पहुँचे।

मान्यवर, समय बहुत कम है कहने को बहुत कुछ है अगर चर्चा कराई जाए तो दिन-रात चर्चा हो सकती है। फिर भी मैं इस बात को अवश्य कहूंगा कि इन 15-16 महीनों में राज्य में विकास के बहुत कार्य हुए हैं। जो कार्य पिछले 12-13 साल से रुके हुए थे, वहाँ पर काम हुआ है। बहुत ही अच्छे काम किये गये हैं। जितने शासनादेश पिछले 10 साल में नहीं हुए उससे अधिक शासनादेश इतने कम समय में हुए। यह एक सराहनीय कदम है।

मान्यवर, जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, उनको प्राथमिकता दी जाय। मेरे विधान सभा क्षेत्र "सल्ट" को महात्मा गांधी जी ने कुमाऊँ के "बारदोली" की संज्ञा दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस क्षेत्र में गये हैं, लेकिन उस क्षेत्र की पीड़ा आज भी वैसी ही है। आज भी लोगों को 19-19 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। जिससे बीमार लोगों, जो दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, उनकी हॉस्पिटल तक पहुँचते-पहुँचते मृत्यु हो जाती है। मान्यवर, मरघूला-नैरगखाल-सराईखेत के बीच का 19 किमी० के लिए तो शासनादेश हो गया है लेकिन 9 किमी० शुरुआत का और 32 किमी० बाद का कच्चा है। मान्यवर, डोटियाल-देवघाट मोटर मार्ग कच्चा है तथा घट्टी-वासोट-गिक्यासैण मोटर मार्ग भी कच्चा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ इनको पक्का किया जाय, जिससे

क्षेत्र का बहुमुखी विकास हो सके। मान्यवर, नाबार्ड से जो 240 करोड़ ₹० दिया गया है इससे मेरे क्षेत्र का भी विकास किया जाय। मान्यवर, मेरे क्षेत्र से एक सड़क पौड़ी तक जाती है लेकिन जो भाग पौड़ी में पड़ता है, उसका डामरीकरण हो गया है। मैं चाहता हूँ जो सड़क मेरे क्षेत्र में पड़ती है उसका भी डामरीकरण जल्द से जल्द किया जाय।

मान्यवर, जो नजूल की भूमि रुद्रपुर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ में है, इस जमीन को उन लोगों को दिया जाना चाहिए, जिन्हें अवैध कहा जाता है। यदि ऐसा होता है तो इससे राज्य को राजस्व की प्राप्ति होगी। मान्यवर, पहाड़ों में दाखिल खारिज संयुक्त होती है, जब तक परिवार में कोई गार्जन होता है जमीन उसी के नाम होती है। (व्यवधान) मान्यवर, सत्ता में होने के नाते हम लोगों को बोलने का अवसर कम ही मिलता है हमें अमूमन वोट एण्ड एकाउंट पर ही बोलने का अवसर मिलता है। अब मैं वन के बारे में सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। प्रदेश में बहुत बड़े भूभाग पर वन हैं यहाँ साल के वृक्ष हैं, परन्तु विहम्बना देखिये कि हमें इनके बीज केन्द्र से मंगाने पड़ते हैं।

मान्यवर, हमारे यहाँ उस साल के बीज को इकट्ठा किया जाए। मान्यवर, बांस के बीज भी मध्य प्रदेश से आते हैं। मान्यवर, आवला, रीठा आदि वन उपज के लिए एक नीति बननी चाहिए, जिससे उसका उपयोग हो सके। मान्यवर, वन वैज्ञानिक कहते हैं कि बांस 3-4 साल में खत्म हो जाता है, अतः उसके दोहन के लिए भी कोई नीति बननी चाहिए। मान्यवर, यहाँ बात आई कि सरकार कर्जा लेकर काम चलाती है। मान्यवर, कर्जा अपनी बेहतरी के लिए लिया गया तो कोई बुराई नहीं है। हमने विधानसभा से कर्जा लेकर गाड़ी ली। अगर हम उस गाड़ी का स्टेटस सिम्बल की तरह इस्तेमाल करेंगे तो कर्जा लेना गलत है और यदि हम सही काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वह कर्जा अपनी बेहतरी के लिए लिया गया कर्जा कहा जायेगा। मान्यवर, प्रतिपक्ष तो [X X X] रहता है।

श्री अध्यक्ष—

कार्यवाही से [X X X] शब्द हटा दिया जाए।

श्री रणजीत सिंह रावत—

मान्यवर, केन्द्र सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, केन्द्र सरकार के पास हर स्टेट से पैसा जाता है। मान्यवर, उत्तरांचल देश का पाचवाँ आयकर टैक्स पेयर है। मान्यवर, उत्तरांचल सवा पाँच हजार करोड़ रुपये आवक करता है। अगर हम उस आयकर के हिस्से को अपने हिस्से में लगायें तो सारी समस्या दूर हो जायेगी। मान्यवर, सरकार की मितव्ययता का कुछ विभाग मखौल उड़ा रहे हैं। मुझे कहने में कोई कोताही नहीं है कि गृह विभाग द्वारा S.S.P. देहरादून को एक मकान के लिए 86 हजार 3 सौ 32 रुपये किराया प्रतिमाह दिया जा रहा है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि ऐसे आवास की क्या जरूरत जिसके लिए इतना पैसा देना पड़े, अतः उसे तत्काल खाली कर देना चाहिए। मान्यवर, जिनमें फिजूल खर्ची हो रही है उन पर तत्काल लगाम लगाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ और उनके सहयोगियों को बधाई देता हूँ जिन्होंने आज पूरे प्रदेश में सफल संदेश पहुँचाया है। मान्यवर, हमारी सरकार बिजली पहुँचा रही है, कुटीर ज्योति

[X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

के माध्यम से प्रकाश पहुँचा रही है। मान्यवर, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने बजट के लिए कहा कि "न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल" और हमारे एक साथी ने कहा कि यह एक काल्पनिक साहित्य है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि बजट की परिकल्पना और बजट की परम्परा 1733 में सर रॉबर्ट वरपोट ने शुरू की थी।

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, क्या बजट भाषण का उत्तर माननीय मंत्री जी दे रहे हैं या माननीय नेता सदन देंगे।

श्री अध्यक्ष—

सामान्य चर्चा में ये हिस्सा ले सकते हैं।

श्री किशोर उपाध्याय—

मान्यवर, बजट किसी भी सरकार की आर्थिक, सामाजिक नीति का फण्डामेंटल इन्स्ट्रुमेंट होता है। बजट के 5 इन्डीकेंट्स हैं—ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, एकाउन्टबिलिटी, टाइम बाउण्ड क्वालिटी वर्क और फाइनेंसियल डिस्प्लेन बजट में होना चाहिए। मान्यवर, यदि आप हमारी सरकार के बजट का अवलोकन करें तो ज्ञात होगा कि हमने बिना कर लगाए कितना काम किया है पिछले 2 वर्षों में। मान्यवर, हमने राजस्व में बढ़ोत्तरी की। 2001-2002 का जो बजट था और हमारा जो पिछला बजट था जो हमारा पहला वर्ष था हमने 2943.57 करोड़ का राजस्व अर्जित किया जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल से तकरीबन 200 करोड़ ज्यादा था, वह भी बिना कर लगाए और इस बजट में जो राजस्व प्राप्ति का हमने लक्ष्य रखा है वह 4595.73 करोड़ का रखा है जो पिछले वर्ष की तुलना में डेढ़ हजार करोड़ से भी ज्यादा है जो कि विकास का प्रतीक है। प्रतिपक्ष के लोगों ने कहा कि विकास नहीं हो रहा है। जब हम सत्ता में आए उस समय 764.19 करोड़ रु० प्लान में खर्च हुए, जैसा कि कहा जा रहा है कि नानप्लान में बहुत हो गया और प्लान में है ही नहीं। हमने पिछले वर्ष प्लान में 1909.79 करोड़ रु० खर्च किया जो कि पूर्ववर्ती सरकार से लगभग 3 गुना है और इस वर्ष हम प्लान में 2715.99 करोड़ रु० खर्च करने जा रहे हैं। मान्यवर, हमने बिना कर लगाए राजस्व घाटे को कम करने के प्रयास किए हैं। मान्यवर, जो अनुमान था 1567.18 करोड़ रु० का, उसको मितव्ययिता के जरिए और चूंकि परसों यह प्रश्न भी उठा था 42 आस्टेरिटी के मेजर लागू किए जिससे कि घाटा 1193.79 करोड़ तक लाया गया और इस वित्तीय वर्ष में इसे और कम करके रु० 1072.37 करोड़ तक लाया जायेगा।

मान्यवर, जैसा कि इन्होंने कहा कि हम विकास का कोई कार्यक्रम नहीं लाए। मान्यवर, मेरे पास पूरी लिस्ट है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी—

मान्यवर, जैसा कि सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वरिष्ठ हैं और ज्ञाता भी हैं और हमारी इन्दिरा जी भी बहुत अनुभवी हैं। मान्यवर, सब लोग बोलें इसमें हमें एतराज नहीं है लेकिन मान्यवर, सामान्य रूप से वित्तीय मामलों में वित्त मंत्री को ही उत्तर देने का अधिकार है, इसलिए इस परम्परा को न तोड़ा जाए यह हमारा निवेदन है। इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी आपको अधिकार है कि आप किससे बोलवाए या न बोलवाए। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं और वित्त मंत्री भी वहीं हैं और वित्तीय मामलों के ज्ञाता हैं, अगर वे बोलने से असमर्थता जाहिर करते हैं तो अलग बात है लेकिन इस मामले में परम्परा नहीं तोड़नी चाहिए।

श्री प्रकाश पंत—

मान्यवर, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया और मैं समय को देखते हुए कुछ ही शब्दों में बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं जानता हूँ कि आप कम ही शब्दों में बोलेंगे।

श्री प्रकाश पंत—

मान्यवर, पिछले 28 मार्च, 2003 के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में निम्न पंक्तियों द्वारा उन्होंने इस सदन से सरकार से बड़ी अपेक्षाएं जाहिर की हैं। उसमें कवि रामकृष्ण बेनीपुरी पंक्तियों का उद्धरण करते हुए कहा कि—

“हम सागर यदि उत्तीव्र न सकें मगर,
आंखों की दो बूंदें हर लें।
हम पर्वत उठा सकें न मगर,
बोझे दो सिर के कम कर लें”।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने उद्धरण किया था। इसके बाद जब उस समय लेखानुदान आना था। लेखानुदान जब प्रस्तुत हुआ उस समय यहां पर सदन में कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी काल्पनिक बजट प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं हम एक वास्तविक बजट लाना चाहते हैं। यहां की जनता को बड़ी उम्मीद थी कि महामहिम राज्यपाल के विचारों के साथ मिल करके यहां के लिए कुछ किया जायेगा। और यह भी कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिकार्ड बनाया है बजट पेश करने में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बोली गयी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मान्यवर, उन्होंने कहा

“मुझे पतझड़ों की कहॉनियाँ, न सुना-सुना के उदास कर,
नये मौसमों का पता बता, जो गुजर गया सो गुजर गया”।

मतलब, बजट प्रस्तुत करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी पूछ रहे हैं कि कोई नये मौसम का पता बता दो ताकि इस राज्य का विकास हो सक। मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करूंगा, प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा, सत्ता पक्ष के सदस्यों से अनुरोध करूंगा और जिन्होंने भी इस बजट की चर्चा में भाग

लिया सभी ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहां पर रखा। मान्यवर, यह मजबूरी है कि सत्ता पक्ष के सदस्यों को कसीदे भी पढ़ने हैं। मान्यवर, यह बजट शब्दों की जादूगरी और आंकड़ों की बाजीगरी के सिवाय कुछ नहीं है। मान्यवर, एक कहानी मेरे जेहन में आ रही है। उसकी अन्तिम पंक्तियां ही सुनाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि नॉन प्लान का बजट जिस तरह बढ़ा है, वह इस राज्य के लिए खतरे की घंटी है। प्लान का बजट बढ़ना चाहिए था और बढ़ रहा है नॉन प्लान का। मान्यवर, यह इतिहास की कहानी है। लैला की शादी हो गई थी और वह विवाह करके चली गई थी, लेकिन मजनू चूँकि मजनू को दर्द था और वह लैला के पीछे-पीछे उसके महल तक जा पहुंचा और जब वहां पर पहुंचा तो उसके दरवाजे के बाहर वह बैठ गया। वहां भिखारियों की पंक्ति थी, वह भी उसी में शामिल हो गया। चूँकि जिस दिन लैला की शादी हुई उसी दिन से मजनू ने खाना-पीना छोड़ दिया था इसलिए वह काफी कमजोर हो गया था। एक दिन खिड़की से लैला की नजर मजनू पर पड़ी तो उसने उसे पहचान लिया। मजनू को देखकर उसे बड़ा दर्द हुआ और उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा कि वह जो व्यक्ति सामने कमल ओढ़े हुए खड़ा है उसे चांदी की कटोरी में मेवे मिलाकर दूध दे जाओ। वह मरने की स्थिति में पहुंच गया था। दासी ने जब मजनू को चांदी की कटोरी में मेवा मिला दूध दिया तो मजनू ने उसे पीने से मना कर दिया। मजनू के मना करने पर बगल वाले भिखारी ने कहा कि वह नहीं पीता है तो वह मेवा मिला दूध मुझे दे दो और वह भिखारी उस दूध को पी गया। लैला रोज चांदी की कटोरी में मेवा मिला दूध भेजती रही और बगल वाला भिखारी उसे पीता रहा। कुछ दिन बाद लैला ने देखा कि मजनू और कमजोर होता चला जा रहा है और बगल वाला भिखारी मोटा होता चला जा रहा है। उसने एक दिन परीक्षा ली। लैला ने अपनी दासी से कहा कि आज तू खाली कटोरी ले जा और उससे कहना की आज लैला ने दूध नहीं भेजा है, बल्कि कटोरे में मजनू का रक्त मांगा है। जब वह दासी उस मोटे-ताजे भिखारी के पास पहुंची और उसने उस मोटे-ताजे भिखारी से कहा कि लैला ने यह कटोरा भेजा है और उसने आज दूध नहीं भेजा, बल्कि कहा है कि इसमें अपना खून दे दो। तो उस भिखारी ने कहा कि मैं खून देना वाला भिखारी नहीं हूँ। मैं तो दूध पीने वाला भिखारी हूँ और उसने मजनू की तरफ इशारा किया और कहा कि खून देने वाला भिखारी वह है। तो मान्यवर, दूध पीने वाले भिखारी आज वहां बैठे हैं और खून देने वाले भिखारी विपक्ष में बैठे हैं।

(कई मा० सदस्यों के एक साथ हंसने और बोलने पर व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, जैसा कि मैंने साहित्य में पढ़ा है और पौट्रेट में देखा है तो मजनू की दाढ़ी हमेशा होती है।

(हंसी)

श्री प्रकाश पंत—

मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि दूध पीने वाली भिखारी उधर बैठे हैं और खून देने वाले इधर बैठे हैं तो आम जनजीवन में....

(व्यवधान)

मान्यवर, मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं है यदि आप आज्ञा देंगे तो मैं बोलूंगा, चूंकि समय कम है अतः मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब विमानवार चर्चा भी होनी है कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं, यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी बैठी हैं, जब वे विपक्ष में थीं तो लगातार बोलती रहती थीं परन्तु आज वे सत्ता में आते ही मूल गई हैं कि वे क्या-क्या बोलती थीं। मान्यवर, बजट तब प्रस्तुत किया जाता है तो उससे पूर्व समितियों के माध्यम से उस पर चर्चा होनी चाहिए। केन्द्र में ऐसा होता है। यदि सरकार ऐसा करे तो निश्चित रूप से उत्तरांचल में कहीं न कहीं परिवर्तन होता दिखाई देगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्णतः संशोधित बजट ही सदन में आना चाहिए। अभी तक कोई भी मंत्रीगण अथवा माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी 13 जनपदों का भ्रमण नहीं कर सके हैं। 2-3 जनपदों का दौरा हो सकता है किया हो परन्तु उत्तरांचल के सभी जनपदों का दौरा किसी भी मा० मंत्री द्वारा नहीं किया गया है, जब तक ऐसा नहीं होगा तक तक हम उनकी समस्याओं से रूबरू नहीं हो पायेंगे, उनकी पीड़ा तो नहीं समझ पायेंगे। इस स्थिति पर आप लोग विचार करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह बजट काल्पनिक नहीं होना चाहिए, सिर्फ आंकड़ों की बाजीमरी और शब्दों की जादूगरी नहीं होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री हेमेश खर्कवाल—

मान्यवर, मैं ज्यादा समय न लेकर संक्षेप में अपनी बात को रखूंगा। यह जो 82 पृष्ठों का दस्तावेज बजट के रूप में हमारे नेता सदन प० नारायण दत्त तिवारी जी ने प्रस्तुत किया है उसमें हमारे प्रतिपक्ष के वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य कोई गलती नहीं ढूँढ सके तो मेरा इस संबंध में कुछ कहने का औचित्य नहीं बनता है। आज हम माननीय नेता सदन की तीसरी पीढ़ी के लोग हैं और विचारों में जनरेशन गैप आना स्वाभाविक होता है। मुझे याद है जब मैं यह चुनाव जीत कर यहां पर आया था और मा० नेता सदन से मेरी भेंट हुई थी तो उन्होंने मुझे अपनी सन् 52 की यात्राओं के संस्मरण सुनाये कि मिठार से रीठा तक की यात्रा ने कैसे करते थे। और उन्होंने मुझसे पूछा था कि वहां पर सड़क बनी है या नहीं। हालात अभी भी वैसे ही बने हुए हैं।

मान्यवर, मैंने माननीय बहुगुणा जी के संस्मरण में पढ़ा था। भारचूला से लेकर भारचूला तक जब वे हिमालयी क्षेत्र में गए तो वहां जाकर उन्होंने लोगों से पूछा कि जानते हो, एम०एल०ए० क्या होता है। तो वहां के लोगों ने कहा कि यहां पर एम०एल०ए० नहीं होता है, यहां पर चौलाई और रामदाना होता है। हमारे हिमालयी क्षेत्रों की स्थिति आज भी वैसी ही है, यहां के लोग आज भी पटवारी को मुल्क की सरकार मानते हैं। मान्यवर, हिमालयी क्षेत्रों की उपेक्षा के कारण ही अलग राज्य की मांग उठी और राज्य के लिए आन्दोलन हुए और इन आन्दोलनों के परिणामस्वरूप राज्य का गठन हुआ। मान्यवर, यदि हम हिमालयी राज्यों की अवधारणा को पूरा करना चाहते हैं तो हमें विकास के कार्यों की शुरुआत उन क्षेत्रों से करनी होगी, जहां पर विकास की किरण अभी तक नहीं पहुंच पायी है। मान्यवर, यह देश गांधी, नेहरू और अम्बेडकर जैसे महापुरुषों का देश है और गांधी जी का कथन था कि भारत गांवों में बसता है, जब तक विकास की किरण गांव के अन्तिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। मान्यवर, हमें उस अन्तिम व्यक्ति तक विकास की किरण को पहुंचाना होगा।

मान्यवर, चौड़ाकोटा तथा सरकीडांग जैसे गांव जहां पर हमारे अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा हुए, वहां सड़क की मांग के लिए लोग कई बार राजमागों पर जाम लगा चुके हैं लेकिन कहीं पर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है। मान्यवर, हमारे उत्तरांचल राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों का क्षेत्रफल तो बहुत अधिक है लेकिन वहां पर आबादी बहुत कम है। ऐसे में 100नि0वि0 द्वारा आवंटित प्रत्येक विधायक को एक-एक करोड़ रुपया देना न्यायसंगत नहीं है। क्योंकि जितने रुपये में ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार में सड़क बन कर तैयार हो जाएगी, उतने रुपयों में पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का कटान भी नहीं हो पाएगा। मान्यवर, हमेशा हिमालयी क्षेत्रों की उपेक्षा होती रहती है। पूरे राज्य का जो वार्षिक बजट होता है, उसमें से 80-90 प्रतिशत सिर्फ हिमालयी क्षेत्रों के विकास के लिए ही खर्च होना चाहिए। मान्यवर, हम देहरादून में बैठकर बात करते हैं कि हमारे प्रदेश में विकास के बहुत से काम हो रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास धारचूला, मुनस्थारी, चौदास और दारमा के कुछ लोग आए थे, लेकिन यहां से खाली हाथ वापस लौट गए। मान्यवर, आज धारचूला और मुनस्थारी विधान सभा क्षेत्र में अधिकांश हिस्सों को आरक्षित मृग विहार घोषित कर दिया गया है, जिसके कारण घौलीगंगा फेज-3 तथा गौरीगंगा का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है, अन्य परियोजनाओं का कार्य रोक दिया गया है। मान्यवर, करतूरी मृग 14 हजार फीट के ऊपर पाया जाता है, मेरा अनुरोध है कि 10 हजार फीट से ऊपर के क्षेत्रों को ही मृग आरक्षित विहार घोषित किया जाय या फिर वहां के लोगों को यहां पर लाकर पुनर्वासित किया जाय जिससे उनको यह न लगे कि हमारी उपेक्षा की जा रही है। मान्यवर, शिक्षा के विषय में कुछ बातें कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने नये विश्व-विद्यालय खोलने की जो बात कही है, उसके लिए वह बढ़ाई की पात्र है। मान्यवर, अभी परसों ही जब 19 शासकीय हाई स्कूलों और जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में शामिल करने के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया तो उसके उत्तर में वित्त की बात कही गयी।

मान्यवर, पहाड़ों में मां-बाप बच्चों को कर्ज लेकर पढ़ाते हैं। अगर सरकार भी बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्ज लेकर व्यवस्था करे और वहां शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा मुझे कल बोलना था। कल मुझे ज्यादा मौका मिलता अपनी सभी बातों को कह देता। हम सब विकास की परिकल्पना सोच कर, लेकर आये हैं, हम सब समाज सेवा के लिए आये हैं। और हम सब विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिन्द जय भारत।

श्री अजय मट्ट-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि सभी माननीय सदस्य इसमें आकड़ों के साथ बोल चुके हैं। हमारे मित्र और छोटे भाई श्री हेमेश खर्कवाल और सुबोध उनियाल जी ने जो कहा, वह सही कहा। बजट में क्या कमी है इस पर सभी सदस्यों का अनुरोध आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट बनाया गया है हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनका नाम भारत के गिने चुने अर्थशास्त्रियों में है। मैं समझता हूँ कि बजट तैयार करते समय कुछ परेशानियां जरूर रही होंगी। क्योंकि अपने दल के दो गुटों की लड़ाई में बजट की ओर ध्यान नहीं गया होगा। इसमें कई कमियां रह गई हैं। मैं ज्यादा

न कहकर अपनी बात एक कहानी सुनाकर खत्म करता हूँ। "कुछ लोग काम करने के लिए नेपाल से आये जाड़ों के दिन में, हमारे यहाँ बैठ लोग आते हैं तो वह दो चादरों को बीच में एक नाड़ा लगाकर जोड़ते थे तब वह कहते थे कि फरकान्यो तो सभी लोगों का मुँह बायीं तरफ हो जाता था फिर फरकान्यो कहा तो उनका मुँह दायीं ओर हो जाता था। कभी दोनों ओर के लोग अपनी-अपनी ओर चादर खींचते थे, तो बीच वाले को ठंड लगती थी क्योंकि दोनों ओर से खींचने में छेदों से हवा आती थी। मान्यवर, इस कहानी के माध्यम से इतना ही कहूँगा कि फरकान्यो-फरकान्यो के कारण जो आदमी बीच में होता था उसे बड़ी ठण्ड होती थी। क्योंकि बीच में नाड़ा (छोरी) लगा होता था। दोनों किनारों के व्यक्तियों में कोई भी अगर चादर को खींचता था तो उसे ठण्ड होती थी। बाद में उस व्यक्ति से न रहा गया, अति हो गई तो उसने एक दिन कह दिया खुसुर-फुसुर मत करना बीच का घागा खिसका दूँगा। मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोगों से इतना ही कहूँगा कि जो प्रदेश में हो रहा है उसे सम्मालिये। विपक्ष ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे ढंग से निभाई है सत्ता पक्ष के लोगों को बहुत सहयोग दिया है इससे ज्यादा सहयोग विपक्ष नहीं दे सकता। जिस दिन दो घड़ों के बीच के व्यक्ति मुख्यमंत्री तिवारी जी ने घागा खिसका दिया उस दिन सब नंगे हो जायेंगे यानि सरकार चली जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। समय का अभाव है इसलिए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा बजट भाषण पर खड़े होकर बोलने पर समस्त सदस्यों द्वारा बैठकर बोलने का अनुरोध किया गया)

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)-

बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी कृपा की। श्रीमन्, मुझ सेवक को वित्त विभाग के माध्यम से सेवा करने का मौका मिला, इस प्रक्रिया में सदन ने, मेरे दल के सदस्यों ने सेवा करने का सुअवसर प्रदान किया जिससे मैं अपने जीवन के अन्तिम चरणों में 12वां बजट प्रस्तुत कर सका। इसके लिए मैं अपने पुराने सहयोगियों का और इस पीढ़ी के अपने सम्मानित सदस्यों और वरिष्ठ सदस्यों का बहुत आभारी हूँ। इस बजट पर माननीय नेता विरोधी दल श्री मंगत सिंह कोशधारी जी ने जो चर्चा प्रारम्भ की और जिस ढंग से उन्होंने विरोधी दल के नेता के कर्तव्यों को निभाया उसके लिए मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। विरोधी दल के नेता का कार्य बड़ा कठिन होता है, उन्होंने इस कार्य को भली-भाँति निभाया। मैं इस सदन की ओर से अपने पक्ष की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं इस अवसर पर माननीय श्री काशी सिंह ऐरी जी का विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही विचारोत्तेजक भाषण यहाँ पर दिया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने आज की परिस्थितियों में जो विचार उत्तरांचल के परिपेक्ष्य में कहे वे बहुत सराहनीय हैं, मैं उसका उल्लेख करना अपना कर्तव्य समझता हूँ।

मान्यवर, माननीय चौधरी यशवीर सिंह जी, माननीय बलवीर सिंह जी, माननीय तसलीम जी, माननीय हरभजन सिंह चीमा आदि ने यहाँ पर जो विचार व्यक्त किये मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। डा० अनुसूया प्रसाद वैखुरी ने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए अमर गाथा का उल्लेख किया इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। 17 जून को जो कार्यवाही हुई, मैंने उसे सुनने का यथासम्भव प्रयास किया उसमें माननीय शहजाद, माननीय मदन कौशिक, माननीय प्रदीप टन्टा, माननीय डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल,

माननीय महेन्द्र प्रसाद भट्ट, माननीय हरीश चन्द्र दुर्गापाल, माननीय गोपाल सिंह राणा, माननीय अनिल नौटियाल, माननीय विपिन चन्द्र त्रिपाठी आदि ने अपने सुझाव देकर हमें अनुग्रहीत किया। आज भी इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए माननीय मातबर सिंह कण्डारी, माननीय डा० नारायण सिंह जतवाल, श्रीमती विजय बटवाल, श्रीमती आशा नौटियाल, माननीय जोत सिंह गुनसोला, माननीय रणजीत सिंह रावत, माननीय नारायण पाल, माननीय काजी निजामुद्दीन, माननीय सुबोध उनियाल, माननीय हेमेश खर्कवाल, भूतपूर्व स्पीकर जिन्होंने इस सदन की मर्यादा को संभाला उन्होंने भी अपने अनुभव को संक्षिप्त शब्दों में यहां पर रखा। मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना अपना कर्तव्य समझता हूँ जिन्होंने यहां पर अपने अमूल्य सुझाव रखे और मैं इन प्रमुख सुझावों के प्रति न्याय कर सकूँ। माननीय नेता विरोधी दल ने यह कहना उचित समझा कि सरकार में कर लगाने का साहस नहीं दिखता और करों में छूट देने का भी साहस नहीं दिखता। हमें इस बात के लिए प्रेस किया गया कि हम नये संशोधन बढ़ायें और जहां तक हो सके हम करों में छूट भी दें। इस राय का हमने औद्योगिक नीति में अनुपालन करने का भरसक प्रयास किया। मैं चाहता हूँ जब औद्योगिक नीति पर चर्चा होगी तो उस समय अपने अमूल्य सुझाव दें। हमने अपने औद्योगिक नीति में रोजगार बढ़ाने का प्रयास किया है। इस नीति पर मंत्रिपरिषद् में पांच महीने तक निरंतर विचार-विमर्श हुआ ताकि हम एक व्यवहारिक औद्योगिक नीति बना सकें जोकि केन्द्रीय घोषणाओं के अनुरूप हो। इस नीति में हमने अपनी ओर से, राज्य की ओर से पिछड़े हुए क्षेत्रों में जो सहायता घोषित की है। तीन हजार से नीचे जो भी उद्योग लगेंगे उनमें हमने 5 प्रतिशत की दर पर दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित इकाईयाँ की सीमा रखी है, जिसकी सीमा तीन लाख रुपये होगी।

मान्यवर, भारत सरकार की योजना के अनुरूप हमने अपनी ओर से दूरगामी क्षेत्रों में इकाईयाँ लगाने के सम्बन्ध में यह नीति बनाई है, यह बैंकों से जुड़ी हुई है। हमें हर सब का समन्वय करना होता है, हमें सारे बजट का मूल्यांकन करना होगा। चाहे वह केन्द्र का बजट हो, चाहे बैंकों के मार्गदर्शक के सिद्धान्त हों, चाहे वित्तीय संसाधनों के सिद्धान्त हों, उन सब सिद्धान्तों को समन्वित करके अपने राज्य का बजट बनायेंगे। यह हमारी संवैधानिक अनिवार्यता है, इस संवैधानिक अनिवार्यता को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम बड़ी भारी भूल करेंगे और विकास के लिए न्याय नहीं कर पायेंगे। हमने प्रयास किया है बजट के माध्यम से कि जितने भी उद्देश्य भारत सरकार के बजट में हैं, रिजर्व बैंक के द्वारा घोषित हैं, अन्य संस्थायें हैं, अन्य वित्तीय संसाधन हैं उन सब की जो उत्तरांचल के परिप्रेक्ष्य में सलाह है, उसे हम देखते हैं कि हमारे यहां कौन सा परिप्रेक्ष्य हो सकता है। मान्यवर, अभी माननीय सदस्य श्री काजी निजामुद्दीन जी ने काल सेंटर की बात कही, तो मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो औद्योगिक नीति है इसमें काल सेंटर का उल्लेख है। काल सेंटर श्रेणी-1 में 25 सीटर 512 के बी पी एस हैं, 50 सीटर काल सेंटर 1 एमबीपीएस, 100 सीटर काल सेंटर 2 एमबीपीएस। श्रेणी-2 में ऑफ लाइन वी०पी०ओ० हैं। श्रेणी-3 में ऑन लाइन वी०पी०ओ० हैं। इन सब के लिए हमने प्राविधान किया है। मैं समझता हूँ कि एक सेंटर हरिद्वार में लगे। मैं चाहूंगा कि अपने स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करें। मान्यवर, जितने बड़े उद्योगपति संसार के हैं वे उतने ही बड़े कर्जदार हैं। वे कर्ज लेते हैं और ब्याज पर कर्ज वापस करते रहते हैं। तो इस तरह से चक्र चलता है, एक से ऋण लेते हैं और दूसरी तरफ उसका पैमेन्ट करते हैं। इस तरह से उनकी रिसाइकलिंग चलती

रहती है। मान्यवर, आज घाटे की बात कही गयी है, यह बात सही है कि घाटा जरूर बढ़ा हुआ दिखायी देता है और है भी, लेकिन यह घाटा एक प्रकार से बढ़ना अनिवार्य है। हमें यह देखना है कि सी-पेमेन्ट ठीक से हो रहा है या नहीं, ब्याज के लिए हमारे सल्ट के माननीय विधायक श्री रावत जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। मान्यवर, हमने इस बजट में कर्ज के ब्याज को कम करने की कोशिश की है। मान्यवर, यदि भारत सरकार ऋण दे रही है और हम न लें तो यह कौन सी बुद्धिमत्ता है। मान्यवर, कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जो केन्द्र के बजट की अनदेखी कर सकती है। मान्यवर, यह केन्द्र सरकार का श्री जसवंत सिंह जी द्वारा प्रस्तुत बजट है, जिनके साथ हमें पार्लियामेन्ट में साथ-साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह जो केन्द्र का बजट है वह वर्ष 2003-2004 का बजट है और उन्होंने अपने बजट में कहा कि "यह बजट एक ऐसे भारत का बजट है जो प्रगति के पथ पर है, एक ऐसा भारत जो समृद्धि की तरफ अब तेजी से बढ़ रहा है। यह बजट एक ऐसे भारत से संबंधित है जो गरीबी को निकाल फेंकेगा और अपने विशाल संसाधन अपनी मानव पूँजी की ताकत तथा ज्ञान के असीम भण्डार के आधार पर अपना निर्माण कर रहा है।" यह आह्वानकारी अंश इस साल के बजट का है। हमें गर्व है कि हम इसके अभिन्न अंग होते हुए इस देवभूमि के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, इसलिए जो बातें इस बजट में की गयी हैं वे हमारे लिए भी लागू होती हैं। क्या हम इसे नकार सकते हैं, क्या नेता विरोधी दल इसे नकार सकते हैं। यह विरोध का विषय नहीं है।

मान्यवर, हमने अपने बजट में उन सिद्धान्तों को ध्यान में रखा और जो अच्छी बातें इस बजट की हैं, जो लागू करने की हैं, उन सभी का हमने अपने बजट में प्रावधान किया है। मान्यवर, ग्राम पंचायतों से लेकर, ब्लॉकों से लेकर, खण्ड समितियों से लेकर, न्यायपालिका, नगरपालिका और नगर महापालिका से जितना भी नया नेतृत्व चुनकर आया है मैं उनका अभिनन्दन करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ और उनसे आह्वान करता हूँ कि वे अपने यहाँ के लिए ऐसा बजट बनायें जो इस राष्ट्रीय चित्र और मानचित्र के आधार पर हो। उसमें भी यही झलक आए कि हम अपने माध्यम से किस तरह से छोटे नगरों से बड़े नगरों से, पंचायतों से कैसे हम उत्तरांचल को आज भारत का एक अच्छा राज्य बना सकें। मान्यवर, इसका इस बजट में भी प्रावधान किया गया है। विरोध रचनात्मक हो सकता है, तो मान्यवर, यहाँ आज मैं आलोचना का हार्दिक स्वागत करता हूँ और रचनात्मक आलोचना का विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। श्रीमन्, यह माननीय जसवंत सिंह जी ने जो अपना बजट भाषण दिया उसमें जो आह्वानकारी शब्द थे उसको मैंने पढ़ा, इसमें जो पंच प्राथमिकताएँ दी हैं।

मान्यवर, पंचशील प्राथमिकताओं को देश भर के लिए केन्द्रीय बजट में, जिसमें उत्तरांचल शामिल है, प्रस्तुत किया है। वे निम्न हैं :-

(क) गरीबी उन्मूलन-हमारे नागरिकों के जीवन की समस्याओं को दूर करना जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और रोजगार शामिल हैं।

(ख) आधार संरचना का विकास।

(ग) कर सुधारों के माध्यम से राजकोषीय मजबूती और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के सुधार सहित बजटीय अड़चनों की उत्तरोत्तर समाप्ति, राज्य स्तर पर 1 अप्रैल, 2003 से सेवा कर एवं मूल्यवर्धित कर (वैट) शुरू करना।

(घ) सिंचाई सहित कृषि एवं उससे संबंधित पहलू और

(ङ) निर्यात संवर्धन और सुधार प्रक्रिया में आगे और तेजी लाने सहित विनिर्माण क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ाना।

इन पंचशील प्राथमिकताओं को हमें लागू करना है और इनके साथ जुड़ना है। अगर हमने लागू नहीं किया तो केन्द्र सरकार के नियम हैं। हम विशेष रूप से नेता विरोधी दल और यू०के०डी० के साथियों से आग्रह करते हैं कि कृपया करके देखें, प्रयास करें। कहां तक करें या न करें हमें बताएं। हमारी इन प्राथमिकताओं को देखते हुए वेट के मामले यह सही है कि अभी इसे सारे राज्यों ने लागू नहीं किया है लेकिन उत्तरांचल के परिप्रेक्ष्य में वेट प्रणाली को लागू करना, कुछ सुधार करना होगा। जिसमें ठग राणी दल राजी हुए। जैसे सेल्स टैक्स प्रणाली आज एक जैसी हो जायेगी। यूरोप में यह हो गया है अमेरिका, कनाडा आदि देशों में सेल्स टैक्स प्रणाली एक जैसी है। इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। हमारे सबसे नजदीक उत्तर प्रदेश है अगर वहां पर वेट लागू हो जाता है तो हमें भी लागू करना पड़ेगा यह हमारे लिए अनिवार्यता होगी। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी राज्यों के बजट को भी देखना होता है। हमारे नेता विरोधी दल जी ने बहुत बड़ी अनुकम्पा हमारे ऊपर की है, सम्मानजनक शब्दों को प्रयोग करके हमें भीष्म पितामह कहा है। यह तो उन्होंने प्रोत्साहन करने के लिए कह दिया। भीष्म पितामह को पानी पिलाने के लिए अर्जुन ने बाण मार करके पानी पिलाया था, क्योंकि वे शैव्या पर थे उठ नहीं सकते थे। यह ठीक है कि सभी पानी पिलाते हैं और पानी का गिलास अभी भी रखा है। पानी पिलाने में आप लोग हमारी सहायता करें (हंसी) ताकि शरशैव्या पर पड़े भीष्म पितामह को पानी पिलाया जा सके। मान्यवर, जो विरोधी दल में बैठते हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि वे केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा बाण मारिये जिससे पानी भी पीने को मिले।

मेरा अनुरोध है कि इसमें जितनी भी नीतियां हैं, इन सब नीतियों में हमने कोशिश की है आप देखेंगे कि कोई भी ऐसी नीति नहीं है जो केन्द्रीय नीति या रिजर्व बैंक की नीति के अनुरूप न हो। अभी प्रारम्भ का समय है। कुल सवा साल हुए हैं आपका आशीर्वाद मिले हुए। और इस सवा साल में 6-7 महीने आचार संहिता में ही गुजर गये। कभी-कभी हमें डांट भी पड़ती थी कि आप आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो आचार संहिता की धज्जियां भी न उड़ें इसे देखते हुए काम हुए हैं। ये चुनाव तो हमें प्रेरित करते हैं जिससे हम और भी अच्छा काम कर सकें। मैं नेता विरोधी दल और सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आप हमें सहयोग दें। हमारे सम्मानित काशी सिंह ऐरी जी ने बहुत सी बातें उठायीं। मैं उनके पूरे भाषण का मूल्यांकन तो नहीं करूंगा, उनसे अलग से परामर्श करना चाहूंगा। माननीय बलबीर सिंह नेगी जी से भी परामर्श करना चाहूंगा। माननीय ऐरी जी ने पूछा था कि पानी हमारे यहां है, लेकिन हमारे काम का नहीं है। अर्थात् यहां का पानी बहकर चला जाता है। अब हम नई टैक्नालॉजी का सहारा लेकर हमारे सम्मानित पेयजल मंत्री जी जो स्वयं इस समस्या से काफी चिंतित हैं कि कैसे हम ऊंची जगहों पर पानी पहुंचाएं। इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। कई बार इस समस्या पर उन्होंने घण्टों मुझसे परामर्श किया है। अब हाईड्रम की नई टैक्नालॉजी आई है। इसमें पानी घूमता हुआ ऊपर तक पहुंचता है। अब लिफ्ट टैक्नालॉजी को सस्ता बना दिया गया है। आई०आई०टी० रुडकी की टैक्नालॉजी का हम

इस्तेमाल कर सकें। यह हमारा प्रयास है। इसके लिए हमें रुड़की के विधायक माननीय सुरेश चन्द्र जैन का भी सहयोग चाहिए।

हमारे माननीय सदस्य शहजाद जी ने कहा कि हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इस बात को अन्य माननीय सदस्यों ने भी दोहराया है। हम तो हरिद्वार को प्राथमिकता देते हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तरांचल के साथ-साथ हरिद्वार को भी, क्योंकि यह तो हरि का द्वार है, उत्तरांचल का द्वार है, तीर्थों का द्वार है, तो हम तो हरिद्वार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस जिले की पेयजल समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करके ग्राम पेयजल योजना और राजीव गांधी पेयजल योजना के माध्यम से 40 करोड़ रुपये जनपद की पेयजल की व्यवस्था को ठीक करने के लिए दिया है। अब इसे अमल में लाना है तो इसके लिए हमें यह मतभेद मिटाने होंगे, चुनावों की लड़ाई को दूर करने के लिए और सब झगड़े कि कौन किस पार्टी का है या कौन हारा कौन जीता, इन सब को भुलाकर इस योजना को सार्वक करना है और हमें भी अपना योगदान देना है तभी हम लोग, सब लोग, यह पूरा सदन मिलकर प्रदेश का विकास सुनिश्चित कर पावेंगे।

इन्हीं योजनाओं को और चलाने के लिए हम वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हमारे यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की आई०ए०एस० की पी०सी०एस० की कमी है। मात्र 38 आई०ए०एस० हमारे कैंडिडेट में हैं पी०सी०एस० तो बहुत कम हैं जो आये हैं उनका भी झगडा है हाई कोर्ट का स्टे है, और भी कई विभाग हैं जहां पर इम्तहान हो चुके हैं परन्तु उस पर कोर्ट का स्टे लगा हुआ है हाई कोर्ट का स्टे है कुछ में सुप्रीम कोर्ट का स्टे है कहीं पर जिला कोर्ट का स्टे है लोगों ने इक्जाम पास कर लिये हैं परन्तु वे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रकार से अधिकारियों की काफी कमी हमारे पास है, लेकिन हम न्याय पालिका का पूरा सम्मान करते हैं और उनके आदेशों का अनुपालन हम कर रहे हैं। अभी माननीय विधायक नैनीताल श्री जंतपाल जी ने कहा, लेकिन हमें कोर्ट के आदेशों का भी पालन करना है और हम यह कर रहे हैं, इन स्टे को भी खत्म करवाना है इसके लिए हम उत्तरांचल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जायेंगे और सरकार का पक्ष रखेंगे। सरकार ने सोचा था कि सबसे पहले कुमाऊं मण्डल और गढ़वाल मण्डल के बीच जो दूरी है उसे कम किया जायेगा, इन दोनों मण्डलों में जो सड़क मार्ग की दूरी है उसे कम करने का प्रयास किया गया परन्तु कार्बेट पार्क के बीच में होने से यह कार्य नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है। भारत सरकार से भी हमारा यह आग्रह है कि वह कुमाऊं और गढ़वाल मण्डल के सड़कों की दूरी को कम करने में सहायता करें। जितनी भी सड़कें दोनों मण्डलों को मिलाती है, चाहे वह कर्णप्रयाग से होकर ग्वालदम और फिर बागेश्वर हो या पिथौरागढ़ हो या कर्णप्रयाग से गैरसँण तथा फिर भिकियासँण या रामनगर हो, तो इनको हाई वे में तब्दील होना चाहिए। राज्य के विभिन्न जो मार्ग हैं उन्हें हाईवे में तब्दील कर उनकी दूरी को कम किया जाना चाहिए। जो भी इस तरह की सड़कें हैं उन्हें केन्द्र सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें बार्डर रोड आर्गनाइजेशन का भी सहयोग हमें मिलता है हम उनके आभारी हैं, कई सड़कें उनके पास है जैसे चारघाम मार्ग है, उन्हें आज चौड़ा किया जा रहा है। अब कुछ मार्ग भी उन्हें देने होंगे।

मान्यवर, बार्डर रोड आर्गेनाइजेशन ने अल्मोड़ा-घाटमार्ग को पहले लिया और फिर बाद में छोड़ दिया। इसको नेशनल हाईवे बना देना चाहिए। इसी तरह टनकपुर से कैलाश मानसरोवर तक यात्रा मार्ग बनाया जाना चाहिए। भारत सरकार ने अभी घोषणा की है कि यात्रा मार्ग को खोला जाएगा, यह बहुत अच्छी बात है। अभी माननीय मैथुरी जी ने नये यात्रा मार्ग के सम्बन्ध में बताया, तो यह अच्छी बात है, दो यात्रा मार्ग भी खोले जाने चाहिए, इससे व्यापार में भी मदद मिलेगी।

मान्यवर, आजकल रिलीजियस टूरिज्म बहुत अधिक बढ़ गया है। केंदारनाथ जाने वाले मार्ग में प्रतिदिन 2-2 हजार गाड़ियां पार्क होती हैं, वहां पर पार्किंग स्पेस कम पड़ गया है। वहां पर रात में रुकने के लिए स्थान कम हो गया है। हम बैंकों की स्पेशल मीटिंग बुला रहे हैं, नाबाद और हुडको से कह रहे हैं कि यात्रियों के रात्रि विश्राम के लिए भवनों की व्यवस्था करें। हमारे धार्मिक स्थलों में आने वालों में बहुत से वी०वी०आई०पी० भी हैं, हम उनको मना नहीं कर सकते, लेकिन इतनी अधिक संख्या में श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं कि उनके लिए समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आपकी नियम समिति को चारघाम यात्रा के दौरान जो परेशानी हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज आप कितना भी टाईम टेबिल बनाकर चलें, उसमें तब्दीली करनी ही पड़ती है क्योंकि पहाड़ों में बारिश और स्लिप्स आते ही रहते हैं। कहा जाता है कि जब तक पहाड़ हैं, तब तक स्लिप्स होते ही रहेंगे। हो सकता है हमारे समय में संभव न हो पाए लेकिन नई पीढ़ी के नेताओं को यह देखने का सीमाग्य मिलेगा कि नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्लिप्स पर कंट्रोल पा लिया गया है और यात्रा मार्गों की सड़कें काफी चौड़ी हो गयी हैं। हमने आज इस क्षेत्र में मात्र एक कदम आगे बढ़ाया है, हो सकता है मंजिल तक पहुंचने में हमारे कदम लड़खड़ाते लगें, लेकिन हमें इन कदमों को आगे बढ़ाना ही होगा।

इस बजट और दसवीं योजना के लिए मैं आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं। मान्यवर, हर वर्ष नॉन प्लान बजट को बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि हर वर्ष पेंशन, तनखाह, इंफ्रीमेंट तथा डी०ए० बढ़ता रहता है, इसलिए नॉन प्लान खर्च बढ़ जाता है। शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्र तथा अन्य योजनाओं में बहुत अधिक खर्च होता है। कभी-कभी हमारा नॉन प्लान खर्च इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह ओवर ड्राफ्ट हो जाता है और रिजर्व बैंक हमें पैसा देना बन्द कर देता है।

मान्यवर, रणजीत सिंह रावत ने जो बात कही, वह उन्होंने ठीक पकड़ी। ओवर ड्राफ्ट से बचना शासन का पहला लक्ष्य है। हमने ओवर ड्राफ्ट को रोकने की बहुत कोशिश की, प्रमुख सचिव वित्त के साथ बैठकर। ट्रंजरी से उत्तर प्रदेश में एक बार एक दिन के लिए बिल बन्द हो गये थे तो पूरा प्रदेश डगमगा गया था। मान्यवर, विमल जलान जी ने इसकी सीमा बढ़ाकर 70 करोड़ कर दी है, यह ज्यादा अच्छी बात नहीं है क्योंकि इसकी पैनाल्टी भी देनी पड़ती है। नॉन प्लान में बहुत ज्यादा खर्च है। इससे कोशगारी जी, कण्डारी जी और प्रकाश पंत जी भी सहमत होंगे। इसमें फाइनेन्स कमिशन पहले ही रिपोर्ट दे चुका। हम उनको दोष नहीं देते। बाहर का खर्च बढ़ा है कहां से लायें क्योंकि फाइनेन्स कमिशन रिपोर्ट बाद में देगा। हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि वित्त आयोग अपनी आन्तरिक रिपोर्ट दे। जो नये राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़, झारखण्ड हम चाहते हैं कि वह हमें ज्यादा दे जिसके हम हकदार हैं। अगर 3 महीने 4 महीने पहले राज्य बन जाता तो हमारा हक बन जाता। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को आज साढ़े चार सौ

करोड़ रुपया नॉन प्लान ग्रान्ट मिल रही है।

हमारे ऊपर जो बोझ है आने वाली पीढ़ियों पर रखेंगे तो वह क्या कहेंगे कि शासन ने इस तरह का ढांचा बनाकर दिया। इसमें हम सबका सहयोग चाहते हैं। हमारे शिक्षा बन्धु और साथी हैं उन्हें कष्ट हो रहा है। यह स्थिति इतनी नाजुक है कि उसमें सबका सहयोग जरूरी है। जहां तक ऊर्जा का सवाल है हमने पहली प्राथमिकता ऊर्जा को दी थी, क्योंकि यह हमारी परिकल्पना नहीं है। माननीय विरोधी दल का और हमारा उत्तरांचल में तकनीकी और जड़ी-बूटी योजनाओं में एक मत रहा है। कहां पर है कि जड़ी-बूटी का विकास न हो, पर्यटन का विकास न हो।

मान्यवर, यहां पर बागवान मंत्री जी बैठे हैं, पंचायती राज मंत्री जी बैठे हैं। हम सबका प्रयास है हम इसे ऊर्जा स्टेट बनायें, इसे हर्बल स्टेट बनायें। वन विभाग की नीति बदली गई है। वन विभाग द्वारा भी जड़ी-बूटी का उत्पादन किया जायेगा। वनों में जल मूलक वृक्षों को लगाने की आवश्यकता है। जैसे बांस के पेड़, बांस के पेड़ आदि। ताकि हमारे पहाड़ों के नाले तथा घाटे सुरक्षित रहें इन्हें पेयजल योजना से लिंक करें। चूंकि हमारे प्रदेश का वन क्षेत्र लगभग 60-65 प्रतिशत है तो इन वनों के द्वारा युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग वनों की रक्षा कर रहे हैं तो इन वनों को आमदनी का जरिया भी बनाया जाना चाहिए। हर गांव की एक पंचायत होनी चाहिए। स्वजल योजना से हर पंचायत जोड़ा जाना चाहिए। विकास का सपना हमारा और आपका समान है। यह लैला मजनू का सपना नहीं है। ऐसा नहीं कि लैला भी प्यासी रह जाए और मजनू भी प्यासा रह जाए। हमें राज्य के विकास के लिए समान रूप से प्रयास करने होंगे। उत्तरांचल राज्य में पति-पत्नी के प्रेम का एक इतिहास रहा है वह संसार में और कहीं नहीं देखने को मिलता। उत्तरांचल की संस्कृति में जो पारिवारिक प्रेम है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। राजनीति तो कभी विकृति पैदा कर देती है। हम लोग दुनिया भर के विज्ञापन देखते हैं वहां की संस्कृति में और हमारी संस्कृति में बहुत फर्क है। इसलिए हम आस्था चैनल को बनाये रखने की बात करते हैं।

डब्ल्यूटीओओ के बन जाने के बाद आज आस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका के देशों से भी फूल यहाँ आ जाते हैं। हमारे भी फूल हालैण्ड जाते हैं। फूलों के व्यवसाय को हम बहुत स्तर तक बढ़ा सकते हैं। यह राज्य की आय का मुख्य स्रोत बन सकता है। फलोरीकल्चर को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमें अपने राज्य में पशुपालन, डेरी, मत्स्य पालन आदि को बढ़ावा देना चाहिए। बहुगुणा जी कहा करते थे कि हमको और आपको मिलकर इनको बढ़ाना है। खेती से आमदनी राज्य के लोगों की कैसे बढ़ेगी। क्योंकि यहां के लोग तो मोटा अनाज का उत्पादन करते हैं यह तो सस्ते गल्ले की दुकानों से मिल जाता है। इसलिए आज हम कह सकते हैं कि हमारे लिए ऊधमसिंह नगर बहुत महत्व रखता है यह गल्ले की पैदावार में प्रथम स्थान रखता है।

मान्यवर, अब हमें ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार के किसानों को और आगे बढ़ाना है, इन्हें हमें अपनी खाद्यान्न नीति से जोड़ना है। आज ऐसी-ऐसी जड़ी-बूटियां हैं जिनसे हमें बहुत फायदा हो सकता है, परन्तु इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपना कल्चर विकसित करना होगा। इसी उद्देश्य से हम गोपेश्वर में एक यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए बजट में हमने 10 करोड़ रु० का प्राविधान किया है। अब हमें यह तय करना होगा कि कौन सी जड़ी-बूटी हम कहां पर लगायें। वर्तमान में किसान भी जाग्रत हो गया है

मावर और बहुत से पर्वतीय क्षेत्रों में आज टमाटर व मटर की खेती की जा रही है। हमें यह सोचना होगा कि किस तरह से प्रति व्यक्ति आय बढ़े।

पर्वतन को हमने उद्योग का दर्जा दिया है यदि कोई ध्यान के लिए कुटिया बनाना चाहता है तो इसके लिए भी हमने बैंक से ऋण की व्यवस्था की है। पर्वतन क्षेत्र में हमें भूतपूर्व सैनिक इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में आप द्वारा किये गये प्रयास को मैं नकार नहीं सकता हूँ। आपके प्रवासों को हम और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। इसी में राज्य का हित निहित है। आपका और हमारा कम्पटीशन वाक आउट में नहीं है, बल्कि राज्य के विकास में है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जब हम विपक्ष में थे और हमारे नेता माननीय त्रिलोक सिंह जी थे तो उन्होंने हमें एक बार भी सदन से वाक आउट करने नहीं दिया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री भगत सिंह कोश्यारी—

मान्यवर, दिल्ली में वाक आउट की परम्परा पड़ी, इसलिए यहाँ भी हो गई। (व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, आज साथ चलने की जरूरत है। ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा से लेकर जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं उनको बढ़ाना है। मान्यवर, यह जो नेशनल थर्मल, टिहरी हाइड्रो आदि योजनाएँ और यू0पी0 से योजनाएँ जो मंजूर होकर आयेगी उनको भी मान्यता दे रहे हैं। मान्यवर, यह औद्योगिक नीति देश हित में है और जब पूरा देश उद्योग नीति को इन्वाइट कर रहा है तो मैं कैसे मना कर दूँ, आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे। मान्यवर, आपने अभी 2 लाख रोजगार की बात कही, तो 2 लाख रोजगार को 2 साल के लिए कहा था। इस औद्योगिक नीति के लागू होते ही कई लोग लाभान्वित होंगे। मान्यवर, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, हम हर कदम पर विरोध करेंगे, आंदोलन होते रहे तो कौन यहाँ आयेगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दसवीं योजना का कोई बड़ा लिखा है उसमें है कि रोजगार का महत्व क्या है। इसके लिए निश्चयात्मक शक्ति होनी चाहिए। मान्यवर, हमने नौजवानों से वायदा किया है कि हमारी अर्थ व्यवस्था ऐसी बनेगी कि 10 सालों में 1 करोड़ नौजवानों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिले। मान्यवर, रोजगार की परिभाषा सरकारी रोजगार नहीं है, यह ऐसी व्यवस्था कायम करने का है, ऐसा हाँवा बनाने की जरूरत है जिससे इकोनामिक शोध हो।

मान्यवर, उत्तरांचल इसके बाहर तो है नहीं और उसके लिए हम चाहते हैं कि जितनी भी मदद मिल सके, जुड़ सके उसको हम करें, तो मान्यवर, ये 2 लाख, एक करोड़ के सामने कुछ नहीं है। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यह घोषणा हमारे पास है और हम 2 लाख पूरा कर लेंगे और हाँ सकता है कि 2 लाख से ज्यादा कर लें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी—

मान्यवर, हिन्दुस्तान की 100 करोड़ जनता है, यदि इसमें एक करोड़ हो तो आपके यहाँ 84 लाख है, इसमें 2 वर्ष में हो सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, 2 साल में तो आ जायेंगे। बहरहाल हम केन्द्र के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे जितना कहा है आप उतना ही करा दीजिए बाकी हम कर लेंगे। मान्यवर, उद्योग नीति इसीलिए है कि भारत सरकार की उद्योग नीति से मिलकर औद्योगीकरण हो और बड़ी मात्रा में रोजगार बढ़े। मान्यवर, हम बिजली के उद्योगों के बजाय रोजगारपरख उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे हीरे का काम, हीरे को तराशना, गारमेट्स इण्डस्ट्री, जो कि सिले-सिलाए कपड़े पूरे संसार में सबसे ज्यादा निकते हैं, मान्यवर, हम इन सबको ज़िन्दा करना चाहते हैं। मान्यवर, देहरादून में पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है और यह सबसे बड़ा शहर है, यहां निरन्तर आबादी बढ़ रही है तो ध्यान देना होगा। कोई यह भी कह सकता है कि देहरादून के लिए पक्षपात ज्यादा हो रहा है तो मान्यवर, यह पक्षपात नहीं है। लोग तो यहां आयेंगे ही। क्या आज लोग न्यूयार्क में नहीं जा रहे हैं, शिकागो में नहीं जा रहे हैं, मान्यवर इसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन उनको ट्रेनिंग तो दे ही सकते हैं। ज्ञान और विज्ञान आज की शक्ति है। आपने देवभूमि को लेकर शुरुआत की, गायत्री परिवार का उसमें आते ही हमने यह काम किया कि देवभूमि विश्वविद्यालय मंजूर किया। अब हम आपकी मदद से पेट्रोलियम को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसकी यूनिवर्सिटी बन जाए तो उत्तरांचल में अपने आप विद्यार्थी ज्यादा आवेंगे, इसी तरह से यहां यदि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाए तो जो विद्यार्थी इकोनॉमिक्स में तेज हैं वे इसमें आ जायें। सेटलाइट के जरिए शिक्षा देना इस विश्वविद्यालय का विधेयक आपके पास स्वीकृति के लिए आ रहा है। हम चाहते हैं कि जैसा उत्तरांचल पहले था वैसा ही बने, तहजीब और एकता का भी सेन्टर बने, ज्ञान का भी केन्द्र बने। जो हमारा सपना है उसको मिलजुलकर साकार करने में सहायता करें।

कहने की तो बहुत बातें हैं लेकिन गन्ना किसानों के बारे में, गन्ना किसानों का इस बात के लिए आश्वस्त रहना चाहिए। जहां तक राज्य सरकारों की बातें हैं हम किसी भी प्रदेश से पीछे नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश से यहां लगभग 90 लाख कु० गन्ना आता है और यहां से 40 लाख कु० गन्ना हमारा जाता है। चीनी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है। उसने चीनी की मिनिमम प्राइस रखी है। कीमतें दो प्रकार की होती हैं एक तो केन्द्र निर्धारित करता है और दूसरा राज्य अपनी ओर से करता है। आज स्थिति यह है कि मुद्रारक्षीति नहीं बढ़ी, इसलिए चीनी की कीमत कम है। दूसरी तरफ गन्ने के दाम बहुत बढ़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो विचार है कि गन्ना और चीनी प्राइज में तालमेल होनी चाहिए, एक ही कीमत हो, जिसको कि भारत सरकार तय करें। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में कुछ और उत्तर प्रदेश में कुछ और, और यहां कुछ और। यह किसानों के हित में है। इस पर भारत सरकार बड़ी गंभीरता से सोच रही है। पांच सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। उसमें क्या होता रहता है, उसकी जानकारी हम समय-समय पर लेते रहते हैं। इसलिए जो उत्तर प्रदेश को मिलेगा वही हमको मिलेगा, हमको पूरा विश्वास है। यह पहली बार सवाल उठा है गन्ने का इसलिए गन्ना किसानों को तकलीफ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट इतनी ताकतवर है कि वह कभी भी किराी को मुला सकता है चीफ सेक्रेट्री हो या सेक्रेट्री, सब परेशान रहते हैं कंटेन्ट के लिए। यह अखिल भारतीय समस्या हो गयी है। यह पहली बार इतिहास में हुआ है। हम उत्तर प्रदेश के साथ जुड़े हुए हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल के गन्ने का भुगतान हो गया है इस साल का बाकी है।

भारत सरकार को भी शीघ्रता है। हम केन्द्र में वित्त मंत्री रह चुके हैं हम जानते हैं भारत सरकार क्या कर सकती है हम उन सारी गलियों से गुजरे हुए हैं। हम यह नहीं कह सकते कि वह असंभव को संभव कर सकते हैं लेकिन वे जितना संभव होगा केन्द्र सरकार करेगी। हम उनको साधुवाद देते हैं। हमें पूरी आशा है कि गन्ना किसानों को न्याय मिलेगा।

ऐसे ही अपराध का मामला है। लोग कह रहे हैं कि अपराध में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है लेकिन मेरे पास इसके आंकड़े हैं मैं इनको गिनाना नहीं चाहता। हमारा प्रयास है कि जितने भी केसेज हैं। सितारगंज के माननीय विधायक श्री नारायण पाल जी बैठे हुए हैं वे जानते हैं कि कितना गंभीर मामला हुआ था। बहुत से माफिया और क्रिमिनल राज्य बनने से आ गए हैं और वो क्राईम कर रहे हैं और क्राईम करके उत्तर प्रदेश भाग जाते हैं। यदि हम सख्ती करते हैं तो मान्यवर, उनको कमी कहते हैं कि इनका उत्तर हो गया है। सख्ती की जाये तो कैसे। हमने इसके लिए कोशिश की है कि निर्दोष के प्रति पुलिस अपना व्यवहार बदले। क्राइम दुनिया से कमी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इसको कम करने में प्रयास करते रहेंगे। हमने अपने मुख्य सचिव और प्रत्येक सचिव से कहा है कि माननीय सदस्यों ने जो यहां पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, उन्हें क्रियान्वित किया जाये। करीब 30 माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां पर रखे हैं, हर एक सुझाव पर विचार होगा और कल से घान्ट आने वाली है। उसमें भी सुझाव आयेंगे। मैं आप्तारी हूँ कि मंत्रिमण्डल का प्रत्येक सदस्य अपने-अपने विभाग की पूरी देखभाल कर रहा है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। यह बजट तो एक कदम मात्र है। कल न जाने कितने बजट आयेंगे, वित्त मंत्री बदल जायेंगे, मुख्यमंत्री बदल जायेंगे। वैसे मेरी तो इच्छा है कि यह सदन इसी तरह चलता रहे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी—

मान्यवर, आप मुख्यमंत्री बने रहें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मेरी तो उम्र बढ़ाई नहीं जा सकती। लेकिन अब तो नई-नई दवाएं आ रही हैं। वर्यो बेहड़ जी। (हंसी) जैनेटिंग इंजीनियरिंग में तो चेहरे मोहरे भी एक ही हो जाएंगे।

श्री किशोर उपाध्याय—

मान्यवर, इसे क्लोनिंग कहते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, हां इसे क्लोनिंग कहते हैं। आप्तारी हूँ कि किशोर उपाध्याय जी ने इसे बता दिया। मान्यवर, ये किशोर भी हैं और अनुभव भी है।

श्री सुबोध उनियाल—

मान्यवर, कृपा करके इनकी शादी करवा दीजिए। (हंसी)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, नेता विरोधी दल की गम्भीरता को देखकर अब मैं कुछ नहीं कह सकता। मान्यवर, ऐसा लगता है कि अभी तक इन्हें कोई सम्घात महिला नहीं मिली। (हंसी) तो मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका सहयोग चाहता हूँ और जो आपने यह कहा विधायक निधि के संबंध में तो जो परम्परा है कि बजट के आखिरी दिन जो दिन होता है उस समय इसमें जो भी हो सकेगा उसके बारे में देखेंगे। लैपटॉप के लिए तो मा0 अध्यक्ष जी ने आदेश दे ही दिये हैं उनका आदेश सर्वोपरि है।

(सभी मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई)

लैपटॉप में इण्टरनेट की भी सुविधा होती है, यदि वह कहीं सदन में बोलने लगेगा तो।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष की भी यही मंशा है कि लैपटॉप उपलब्ध कराया जाये। श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, उन्हें भी इससे निर्णय लेने में आसानी हो जायेगी। आजकल तो इण्टरनेट का जमाना आ गया है, सुनते हैं कि आजकल इण्टरनेट मैरिजेंज भी हो रही है।

(हंसी का स्वर)

यदि ऐसा होता है तो हम और आप इसका भी प्रयास कर लेंगे। अब मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। अभी पंत जी ने कहा था कि उन्होंने कहानी सुनाई थी लैला मजनूँ वाली कहानी। उन्होंने बताया तो वहाँ पर लैला को मजनूँ से यह कहना चाहिए था कि "तड़प, तड़प और इतना तड़प कि बन के तपाँ ऐ खुदारा हकीकत आसमा बन जाये" और उसे यही कहना चाहिए था कि बन के तपाँ हकीकत आसमा से मिल जाये। मान्यवर, कहानियाँ तो अनकों लैला-मजनूँ की है, शीरी फरहाद की भी है और हमारे राधा कृष्ण की भी कहानी है और मीरा की भी कहानी है घूँकि समय भी हो रहा है, कहानियाँ तो अनंत हैं जैसे भागवत पुराण होता है, कई कहानियाँ हो गई कई परायण हो गये फिर भी कहानी चलती रहती है, ऐसा ही कुछ बजट में भी होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस बजट को स्वीकृत कराने में उनकी मदद अवश्य हमें मिलेगी। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ।

श्री भगत सिंह कोश्यारी—

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो आय-व्ययक 2003-04 पेश किया गया है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना बजट भाषण पढ़ा था और आज कई माननीय सदस्यों ने लगभग 30-32 सदस्यों ने यहाँ पर इस पर चर्चा भी की। सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने भी सरकार का पक्ष रखा और उनके विचारों से भी हम लोग अवगत हुए।

मान्यवर, माननीय सदस्य जब बजट पर अपने विचार रख रहे थे, तो मैंने सद के अन्दर या बाहर लॉबी में बैठकर सबको सुना। जो विचार माननीय काशी सिंह ऐजी, माननीय हरिदास जी, माननीय बलबीर सिंह नेगी जी या इधर के माननीय सदस्य ने व्यक्त किए, कुछ वैसे ही विचार सत्ता पक्ष के लोगों के भी थे, यह अलग बात है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों का हाल वही था जैसे संस्कृत में एक श्लोक है—

‘‘उष्ट्राणां विवाहेषु गदर्भा स्तुति पाठकाः
परस्परं प्रशसन्ति अहो रूप महो ध्वनि।’’

मान्यवर, ऊटों के विवाह में गदर्म स्तुति पाठक बन गए और आपस में एक दूसरे की तारीफ करने लगे। गदर्म ऊटों से कहने लगे कि आपका रूप कितना अच्छा है और ऊट गदर्मों से कहने लगे कि आपकी वाणी कितनी मधुर है। मान्यवर, जब भाई रणजी सिंह जी और श्री हेमेश खर्कवाल जी बोल रहे थे, तो उनको मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हेमेश जी को और अधिक समय देना चाहिए था। आ हेमेश खर्कवाल जी को अपने क्षेत्र में जब पैदल भ्रमण पर जाना पड़ता है तो उनके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपनी जगहों के दिनों में जब उन क्षेत्रों में गए होंगे तो उनके पैरों में भी कांटे चुभें होंगे। आज भी वहां के रास्ते नहीं बन हैं। माननीय बलबीर सिंह नेगी जी भी दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं। दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहां पर बहुत सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया। पिछले साल जब मैं बजट भाषण पर बोल रहा था तब भी मैंने यह कहा था, मैं अभी दोहराना नहीं चाहता लेकिन मुझे लग रहा था कि जब माननीय सदस्य बोल लेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने समापन भाषण में कोई नई बात जोड़ेंगे और बजट नूतनता लाएंगे। मैं कोई कठोर बात नहीं बोलना चाहता, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री राजनीति के भीष्म पितामह हैं। अर्जुन को भीष्म पितामह पर मजबूरी में घाण चलाने पड़े हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी समापन भाषण देंगे तो स का ज्ञानवर्धन होगा। मैंने पिछली बार कहा था कि आप अनुभवी भी हैं और निपुण भी हैं। निपुण का अर्थ होता है, चालाक। आपने अपने बजट भाषण में उद्योग नीति का जिक्र किया। मैं यह नहीं कहता कि बजट में कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे यह अवसर लगा कि समापन भाषण में आप कहीं-कहीं पर गंभीर हो गए हैं।

मान्यवर, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कभी दादा दादी कहानी सुनाया करते थे—बीच-बीच में हंसी मजाक भी करते थे।

श्री अध्यक्ष—

श्री कोरवारी जी अपना भाषण संक्षेप में करिये।

श्री भगत सिंह कोरवारी—

मान्यवर, इससे हमारा मनोरंजन और ज्ञानवर्धन हो रहा था। हमारी कुमाऊँ एक कहावत है जो अधिक पेंडों में चढ़ता है वहीं नीचे गिरता है और जो नदी अधिक तैरता है वही बहता है। जन नेता सदन बजट भाषण का उत्तर दे रहे थे, आप पारंगत को चुनौती भी नहीं दे सकता और आपके ज्ञान पर प्रश्नचिन्ह भी नहीं डाल सकता। उत्तरांचल का बजट पेश करते-करते कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसी स्थिति रही है कि इस बजट में जिन विषयों को टच किया गया उन विषयों का कहीं पर व

नहीं आया? मान्यवर, जब आपने उद्योग नीति के बारे में कहा, मैंने उसे पूरा पढ़ा। उसमें कहा गया है कि जमीन की व्यवस्था भी आप करें और कोई बात है तो दिल्ली वाले करें। आपने कहा कि इसमें 10 लाख को रोजगार देंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कितनी रियल्टी है। आपने कहा कि कल्पना का बजट हम नहीं लाये। आपने कहा कि कल्पना करो तो ऊंची करो। केवल ऊंची बातों से उद्योग आ जायेगा। केन्द्र का 7 जनवरी को कानून आने के बाद आज 5 महीने में आपकी ये उद्योग नीति आयी और 6 महीने बाद अब बिजली का इंतजाम करेंगे, जमीन का इंतजाम करेंगे।

मान्यवर, इस पर अगले साल-दो-साल के अन्दर कुछ भी विशेष नहीं हो पायेगा। कुछ व्यवहारिक चीजें इसमें आनी चाहिए थीं। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र किया कि दूरस्थ क्षेत्र में निवास करने वालों के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। जैसे कि अभी माननीय सदस्या श्रीमती आशा नोटियाल जी ने अपने क्षेत्र की व्यथा कही। मान्यवर, समाज के अन्तिम व्यक्ति को भी कुछ विकास की किरण दिखनी चाहिए। लेकिन इस नीति में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय कोश्यारी जी, अब समाप्त करें। आप स्वयं विद्वान हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के बोलने के बाद चर्चा समाप्त की जा सकती थी। आप स्पष्टीकरण ले सकते हैं, कि दूरस्थ जंगलों के बारे में क्या सोचा गया है?

श्री भगत सिंह कोश्यारी—

मान्यवर, मैं सोच रहा था कि जो बिन्दु माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये हैं उन पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे। आप विद्वान हैं, आपने हमारा मनोरंजन भी किया यह तो ऐसा लगा कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। लगता ही नहीं कि हम विकास की ओर बढ़े हैं। आप तो हर काम वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर रहे हैं। कितनी गांव को भी जाकर देखें जो दूरस्थ क्षेत्रों में हैं वहां की समस्याओं को समझें। जो प्रदेश का सबसे गरीब अन्तिम व्यक्ति है, उसे भी बजट का लाभ मिलना चाहिए। मान्यवर, जैसा कि आपने कहा कि प्रदेश के सारे काम काल सेंटर के माध्यम से हो जायेंगे मैं इसे नहीं मानता जो पीडा इधर की है वहीं उधर की भी है एक ही पीडा है उसे दूर करने के लिए इसमें कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। इसलिए मैं आपके बजट का घोर पुरजोर विरोध करता हूँ।

(चर्चा समाप्त हुई)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं मैं इनमें से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर प्रशिक्षित बेरोजगार फार्मासिस्टों की नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा विद्यान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत राजकीय विद्यालय मूटाणू, चौवा खरसाही व सांकरी तथा प्रा० विद्यालय कुसील व सरास के उच्चीकरण के सम्बन्ध में श्री मालचन्द्र की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार करता हूँ।

(मद संख्या : 17, 18 व 19 पर अंकित संलग्न वक्तव्य पढ़े हुए माने जायें।)

प्रसिद्ध धार्मिक स्थान जोशीमठ में गम्भीर पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 16 जून, 2003 को दी गई सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत पेयजल मंत्री का वक्तव्य

*पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)—

[मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अंतर्गत यह अवगत कराया है कि प्रसिद्ध धाम जोशीमठ की गम्भीर पेयजल समस्या के समाधान हेतु 1 करोड़ 60 लाख की स्वीकृत योजना का कार्य वर्क आर्डर पर किया जा रहा है। योजना में जहाँ-तहाँ पाईप लाईन खुली हैं एवं घटिया किसम की फिटिंग एवं निम्न स्तर की निर्माण सामग्री का प्रयोग हुआ है। जबकि बट्टीधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव होने से योजना का निर्माण शीघ्र एवं उच्च गुणवत्ता से होना अति आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि जोशीमठ पुनर्गठन पेयजल योजना अनु० लागत रु० 166.63 लाख स्वरित नागर कार्यक्रम के अंतर्गत (50% केन्द्र पोषित) स्वीकृत है। योजना में 4 नग्न श्रोत कार्य, 43.74 कि०मी० वितरण प्रणाली एवं 4 नग्न जलाशयों का निर्माण प्रस्तावित है।

प्रश्नगत योजना के श्रोत पर लम्बे समय तक स्थानीय जनता द्वारा विवाद उत्पन्न करने एवं गुरुत्व प्रणाली रक्षा विभाग की भूमि से गुजरने के कारण कार्य को शीघ्र सम्पन्न कराने की दृष्टि से वर्क आर्डर से कार्य कराया जाना अपरिहार्य था। वर्क आर्डर पर केवल रु० 10.00 लाख के कार्य नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर कराये जा रहे हैं। माह मई, 2003 तक लगभग 10.50 कि०मी० पाईप लाईन बिछायी जा चुकी है जो विभागीय मानकों के अनुरूप दबायी गयी है। जिन स्थानों पर पाईप लाईन दबाया जाना सम्भव नहीं था, वहाँ पर नियमानुसार सुरक्षा कार्य कराये जायेंगे। योजना के निर्माण में जो सामग्री प्रयोग की जा रही है वह उचित गुणवत्ता की है, गुणवत्ता के बारे में वर्तमान तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।

योजना में प्रस्तावित 4 नग्न जलाशयों के निर्माण हेतु पूर्व में निविदायें आमंत्रित की गयी थीं, परन्तु एकल निविदा प्राप्त होने के कारण उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। पुनः दूसरी बार निविदायें आमंत्रित की गयी हैं। निविदा प्राप्त होने पर उन पर नियमानुसार निर्णय लेते हुए अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

नोट— [] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगरपालिका परिषद् पिथौरागढ़ के अन्तर्गत नजूल भूमि के फ्री-होल्ड के आवेदनकर्ताओं द्वारा समस्त धनराशि जमा करने के पश्चात् भी फ्री-होल्ड न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रकाश पंत, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 16 जून, 2003 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री ("श्रीमती" इन्दिरा इन्दयेश)-

[उत्तरांचल राज्य द्वारा नजूल भूखण्ड को फ्री-होल्ड करने के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती राज्य द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुपालन में ऐसे नजूल भू-खण्ड धारकों जिन्होंने अपने नजूल भू-खण्डों को फ्री-होल्ड करने हेतु शासनादेश के अनुरूप 25 प्रतिशत धनराशि जमा कर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर दिया गया हो, उनके नजूल भू-खण्डों को फ्री-होल्ड करने हेतु पत्र संख्या-726/श0वि0/आ0-03-187(आ) 2001 टी0सी0-1 दिनांक 10-03-03 द्वारा शासनादेश निर्गत किया जा चुका है। उक्त शासनादेश में पूर्ववर्ती राज्य द्वारा निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थाओं को यथावत् रखते हुए ऐसे नजूल भू-खण्डधारी जिन्होंने उत्तरांचल राज्य की गठन की तिथि 8-11-2000 तक 25 प्रतिशत धनराशि जमा कर दी हो, उनके भू-खण्डों को फ्री-होल्ड करने हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 2003 द्वारा दिनांक 30-04-2003 तक की तिथि निर्धारित की गई थी। चूंकि उक्त तिथि तक ऐसे समस्त भू-खण्डधारियों के भू-खण्डों को फ्री-होल्ड नहीं किया जा सका था फलस्वरूप उक्त तिथि को शासनादेश दिनांक 30 अप्रैल, 2003 द्वारा 31-05-2003 तक बढ़ा दिया गया था। पुनः शासनादेश संख्या-1669/श0वि0आ0-03-187(आ)01 टी0सी0-1 दिनांक 16 जून, 2003 द्वारा नजूल भू-खण्डों के फ्री-होल्ड हेतु निर्धारित तिथि में 31 अगस्त, 2003 तक की समय वृद्धि की जा चुकी है। उपरोक्त व्यवस्था के उपरांत ऐसे समस्त नजूल भू-खण्डधारी जिन्होंने उत्तरांचल राज्य गठन की तिथि के पूर्व तक 25 प्रतिशत की धनराशि जमा करते हुए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर दिया हो, के नजूल भू-खण्डों को फ्री-होल्ड करने के आदेश दे दिया गये हैं। अतः इन भू-खण्डों के फ्री-होल्ड करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई वर्तमान में नहीं है।

राज्य गठन के उपरांत 25 प्रतिशत की धनराशि जमा करने वाले नजूल भू-खण्डधारियों के भू-खण्डों को फ्री-होल्ड करने हेतु नीति तैयार की जा रही है।]

अल्मोड़ा शहर में टैक्सी स्टैण्ड का निर्माण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कैलश शर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जून, 2003 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)-

[आवास एवं शहरी विकास अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1215/न0वि0/आ/2001-443 (न0वि0) 2001 दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 द्वारा जनपद अल्मोड़ा में माल रोड पर टैक्सी/स्कूटर स्टैण्ड के निर्माण हेतु जिलाधिकारी अल्मोड़ा से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक

नोट:- [] यह अंश पढ़ा हुआ जाना गया।

19-09-2001, जिसके द्वारा रुपये 33.35 लाख का आगणन प्रेषित किया गया था, के टी एसी परीक्षणोपरान्त आंकलित धनराशि रुपये 31.69 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2001-02 में 5.00 लाख रुपये की धनराशि की स्वीकृति की गई थी। साथ ही साथ जिलाधिकारी अल्मोड़ा को यह निर्देश दिये गये थे कि अवशेष धनराशि की व्यवस्था नगरपालिका परिषद् अपने निजी स्रोतों से करते हुए उक्त कार्य सम्पन्न करा लें। किन्तु नगरपालिका परिषद् की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उक्त कार्य नहीं कराया जा सका।

उपरोक्त के अतिरिक्त अल्मोड़ा नगर में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में नगर पालिका परिषद् अल्मोड़ा द्वारा रा०३०का० अल्मोड़ा एवं मालरोड अल्मोड़ा के मध्य अपने सार्वजनिक मार्ग एवं रा०३०का० अल्मोड़ा की रिक्त पड़ी भूमि पर टैक्सी स्टैंड के निर्माण का प्रस्ताव प्रधानाचार्य रा०३०का० अल्मोड़ा की सहमति के उपरान्त शासन को पुनः प्रेषित किया गया था। जिसके सापेक्ष शासन द्वारा रिवाल्विंग फण्ड में उपलब्ध धनराशि में से रु० 6.77 लाख की धनराशि शासनादेश दि० 09-10-2002 द्वारा स्वीकृत कर दी गई। प्रश्नगत भूमि पर अभिभावक संघ द्वारा टैक्सी स्टैंड के निर्माण पर आपत्ति व्यक्त करने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।]

श्री अध्यक्ष—

अब हम कल 11.00 बजे पूर्वान्ह तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन 08 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

देहरादून

दिनांक : 19 जून, 2003

महेश चन्द्र,

सचिव, विधान सभा,

उत्तरांचल।

